भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) के अनुसार प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट।

Everain Global Services Private Limited
Delhi-110001

खण्ड	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	9
1.1	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013	9
1.2	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का संक्षिप्तिकरण	9
1.3	परियोजना के लिए आवश्यकता और लोक प्रयोजन	12
1.4	स्थल विवरण	12
1.5	परियोजना के अधीन भूमि अर्जन का आकार और विशेषता	13
1.5.1	गांव वार खण्ड	13
1.5.2	घटक वार खण्ड	14
1.6	वैकल्पिक विचार	14
1.7	क्षेत्र का भूमि उपयोग रीति	15
2	परियोजना विवरण	16
2.1	परियोजना के मुख्य बिन्दु	16
2.2	सौंग पेयजल परियोजना की संरचना	18
3	अध्ययन रीति और कार्यप्रणाली	19
3.1	कार्य प्रणाली के लिए विवरण और रीति	19
3.2	सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने की प्रकिया	19
3.3	उददेश्य	19
3.4	आंकडों के संग्रहण के लिए उपयोग में लाये गये यंत्र	20
3.4.1	पैमाइस पर्यवेक्षण	20
3.4.2	द्वितीय स्रोत से आंकडे	20
3.4.3	प्रारम्भिक आंकडों का संकलन	20
3.5	आंकडों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन	20
3.6	लोक परामर्श	21
3.7	लोक बैठकों और परामर्शों का कार्यवृत्त	24
4	अध्ययन क्षेत्र का विवरण	28
4.1	उत्तराखण्ड राज्य	28
4.2	उत्तराखण्ड के जिले	29
4.3	जिला टिहरी गढ़वाल	30
4.4	धनौल्टी तहसील	30
4.5	रगड़गांव	30
4.6	घुड़साल गांव	31
4.7	सौंदणा गांव	33
4.8	प्लेड गांव	34

5	प्रभावित क्षेत्र परियोजना का सामाजिक–आर्थिक विवरण	35
5.1	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का जनसांख्यकीय विवरण	35
5.2	साक्षरता विवरण	35
5.3	जाति विवरण	36
5.4	व्यवसायिक विवरण	36
5.5	कृषि	37
5.6	शिक्षा विवरण	37
5.7	स्वास्थ्य सुविधायें	38
5.8	वित्तीय सुविधायें	38
5.9	विस्थापितों की वित्तीय आय और शैक्षिक स्तर	39
5.10	प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर गांवों का जनसांख्यकीय विवरण	40
5.11	प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर शैक्षिक सुविधाएं	40
5.12	प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर चिकित्सा सुविधाएं	41
5.13	प्रतिरोधी क्षेत्र में गैर सरकारी सुविधाओं का विवरण	41
5.14	प्रतिरोधी क्षेत्र में पेयजल सुविधा/स्रोतों की उपलब्धता	42
6	परियोजना की जागरूकता, उपलब्धि और सामाजिक आघात	43
6.1	जागरूकता स्तर	43
6.2	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों और अन्य ग्रामीणों की उपलब्धियां	43
6.3	सामाजिक आघात	44
6.3.1	रोजगार और स्थानीय आर्थिकी पर प्रभाव	44
6.3.2	भूमि और भूमि आधारित निवासियों पर प्रभाव	44
6.3.3	सामुदायिक संरचना और सेवाओं पर प्रभाव	45
6.3.4	सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव	46
6.3.5	सांस्कृतिक विरासत पर प्रभाव	47
6.3.6	लिंग आधारित प्रभाव	47
7	प्रभावित कुटुम्बों का निर्धारण और संख्या तथा सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए लिए निर्धारण	48
7.1	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों, भूमि और सम्पतियों का चिन्हीकरण	48
7.2	प्रभावित गांवों और भूमि का विवरण	48
7.3	सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए अपेक्षित निजी भूमि	49
7.4	परियोजना प्रभावित क्षेत्र में आवासों, सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि की संख्या	49
7.5	प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रभावित निजी भूमियों, सम्पतियों और लोक संरचनाओं का संक्षिप्तिकरण	50
8	सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना	51
8.1	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार विचार किये जाने वाले क्षतिपूर्ति के घटक	51
8.1.1	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार	51

	भूस्वामियों हेतु क्षतिपूर्ति	
8.1.2	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 प्रथम अनुसूची के अनुसार प्रभावित कुटुम्बों के अचल सम्पतियों हेतु क्षतिपूर्ति	52
8.1.3	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम सूची के अनुसार ईधन/ उत्पादन वृक्षों के लिए क्षतिपूर्ति	53
8.1.4	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 द्वितीय अनुसूची के अनुसार परियोजना प्रभावित कुटुम्बों के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति	54
8.2	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 द्वितीय अनुसूची के अनुसार भूमि के क्रम में खण्ड 8.1.1 के उपबन्धों के अनुसार यदि क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं करायी जानी है।	55
8.3	सामाजिक समाघात प्राधिकारी की बैठक में लोक मांग को सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना सम्बोधित करने के घटक	55
8.4	लोक सम्पतियों का स्थानांतरण	60
9	परिशिष्ट	62
9.1	बैठकों /परामर्शों के दौरान हितधारकों से कतिपय वार्तालाभ	62
9.2	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण प्रश्नावली प्ररूप	64
9.3	लोक बैठकों और परामर्शों के दौरान लोक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गयी उपस्थिति और मांग पत्र	70

तालिका और अंक

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1	यथालागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का संक्षिप्तिकरण	9
तालिका 2	परियोजना के मुख्य बिन्दु	16
तालिका 3	उत्तराखण्ड के जिले	29
तालिका 4	जिला टिहरी गढवाल की जनसंख्या	30
तालिका 5	रगड़गांव की जनसंख्या विवरण	31
तालिका 6	घुड़साल गांव की जनसंख्या विवरण	32
तालिका 7	सौंदणा गांव की जनसंख्या विवरण	33
तालिका 8	प्लेड गांव की जनंसख्या विवरण	34
तालिका 9	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों के सांख्यकीय विवरण	35
तालिका 10	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का साक्षरता विवरण	35
तालिका 11	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का जाति विवरण	36
तालिका 12	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का व्यवसायिक विवरण	36
तालिका 13	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का कृषि विवरण	37
तालिका 14	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का शैक्षिक विवरण	38
तालिका 15	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों की चिकित्सा सुविधाएं	38
तालिका 16	परियोजना प्रभावित कुटुम्बों में वित्तीय संस्थाएं	38
तालिका 17	विस्थापितों का आय और शैक्षिक स्तर	39
तालिका 18	प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर गांवों का जनसांख्यकीय विवरण	40
तालिका 19	प्रतिरोधी क्षेत्रों के भीतर शैक्षिक सुविधाएं	40
तालिका 20	प्रतिरोधी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं	41
तालिका 21	प्रतिरोधी क्षेत्रों में गैर सरकारी सुविधाओं का विवरण	41
तालिका 22	प्रतिरोधी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता	42
तालिका 23	रोजगार और क्षेत्रीय आर्थिकी पर समाघात का निर्धारण	44
तालिका 24	भूमि और भूमि आधारित निवासियों पर समाघात का निर्धारण	45
तालिका 25	सामुदायिक संरचनाऔर सेवाओं पर प्रभाव	46
तालिका 26	सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव का निर्धारण	46
तालिका 27	प्रभावित गांवों और भूमि का विवरण	48
तालिका 28	सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए अपेक्षित निजी भूमि	49
तालिका 29	परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में आवासों, सामुदायिक कुटुम्बों और अन्य की संख्या	49

तालिका 30	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार भू–स्वामियों के लिए क्षतिपूर्ति	51
तालिका 31	प्रभावित कुटुम्बों की अचल सम्पति के लिए क्षतिपूर्ति	52
तालिका 32	ईधन/उत्पादन और क्षैतिक वृक्षों के लिए क्षतिपूर्ति	53
तालिका 33	लोक सम्पतियों के परिवर्तन के लिए मूल्य	54
तालिका 34	विशेष क्षतिपूर्ति (यदि समान भूमि परियोजना प्रभावित कुटुम्बों को उपलब्ध करायी गयी है)	55
तालिका 35	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार आवंटनों का विवरण	60

अंक

अंक	विवरण	पृठ संख्या
अंक 1	स्थलीय नक्शा	13
अंक 2	क्षेत्र का भूमि प्रयोग रीति	15
अंक 3	स्थापित योजना	18
अंक 4	लोक परामर्श फोटोग्राफ	22
अंक 5	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन संचालन करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना	23
अंक 6	उत्तराखण्ड के जिले के नक्शे	28
अंक 7	टिहरी जिले का नक्शा	29
अंक 8	रगड़गांव का नक्शा	31
अंक 9	घुड़साल गांव का नक्शा	32
अंक 10	सौंदणा गांव का नक्शा	33
अंक 11	प्लेड गांव का नक्शा	34

परिभाषिक शब्दकोश

संक्षिप्तिकरण	विवरण
एओआई	प्रभावितों का क्षेत्र
डीआईए	जिला प्रभावित क्षेत्र
एमओईएफ एण्ड सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पीएपी	परियोजना प्रभावित लोक/ कुटुम्ब
पीएमसी	परियोजना अनुश्रवण और नियंत्रण
आरसीसी	कंक्रीट बिछाने वाला रोलर
आरएफसीटीएलएआरआर	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम
एसआईए	सामाजिक समाघात निर्धारण
टीओआर	संदर्भ का विवरण
यूकेआईडी	उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग

1. भूमिकाः

1.1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम,2013 एक भारतीय अधिनियम है जो कि भारत में प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन स्वीकृत करने के लिए भूमि अर्जन और उससे सम्बंधित प्रक्रियाओं तथा नियमों को उपलब्ध कराता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 लोक प्रयोजनों के लिए लोक, निजी सहभागिता या निजी अर्जन द्वारा या अवधारित और नियंत्रण में उसके अपने प्रयोग के लिए सरकार द्वारा भूमि के अर्जन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना को तैयार करना बाध्यकारी है।

अधिनियम का सम्पूर्ण उददेश्य भूमि अर्जन प्रक्रिया में भागीदारी, मानवीय, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना है। यह अधिनियम भूमि अर्जन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण को निम्नवत रीति से करने या न्यायगत करने की व्यवस्था करता है–

क. यह कि भूमि का अर्जन लोक प्रयोजनों के सेवार्थ है।

ख. यह कि लोक प्रयोजन के लिए अर्जित की गयी भूमि का विस्तार न्यूनतम वहन करता है।

ग. क्या भूमि अर्जन वैकल्पिक स्थान पर विचार किया गया और उसे उपयुक्त नहीं पाया गया।

घ. क्या सामाजिक समाघात और निर्धारण मूल्य का सम्पूर्ण मात्रा लाभ देगा।

ड.. प्रस्तावित अर्जन द्वारा प्रभावितों को दी जाने वाली भूमि का विस्तार, लोक और निजी, आवास, व्यवस्थापन और अन्य समान सम्पतियां।

च. प्रभावित कुटुम्बों की संख्या एवं सम्भावित पुनर्वासित होने वाले कुटुम्बों की संख्या।

1.2 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का संक्षिप्तिकरणः

तालिका 1: यथालागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 का संक्षिप्तिकरण

क्र. सं.	धाराएं	धाराओं का विवरण
1	4(1) सामाजिक समाघात निर्धारण अधिसूचना	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन

2	4(6)	सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना
3	5	सामाजिक समाघात प्रबन्धन रिपोर्ट के लिए लोक सुनवाई
4	6(1)	सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना सहित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का प्रकाशन यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम की स्थानीय भाषा में उपलब्ध करायी जायेगी और जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसील के कार्यालयों तथा समुचित सरकार की वेबसाइट पर प्रदशित की जायेगी
5	6(2)	केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत पर्यावरण समाघात निर्धारण अभिकरण को सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
6	7(1)–विशेषज्ञ समूहों द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन	• विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन। • दो गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक, दो पंचायत और ग्रामसभा के प्रतिनिधि, दो विशेषज्ञ पुनर्व्यवस्थापन के तथा एक तकनीकी विशेषज्ञ सम्बंधित विषय क्षेत्र का होना चाहिए। • सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट पर विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियों का प्रकाशन
7	8	• समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन और सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव का परीक्षण
8	8(3)	• समुचित सरकार का निर्णय यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम और जिला मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और तहसील के कार्यालयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा और समुचित सरकार के वैबसाइट पर प्रदशित किया जायेगा।
9	11(1)–भूमि अर्जन के लिए नोटिस	• भूमि अर्जन हेतु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित भूमि का विवरण सहित प्रभावित व्यक्तियों का प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन।
10	11(5)–भूलेख अद्यतन	• यथाविहित दो माह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भू–अभिलेखों का अद्यतन कराया जाना।
11	14– सामाजिक समाघात निर्धारण शून्य अवधि पर की जाने वाली कार्रवाई।	• धारा 7 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण की अप्रेजल रिपोर्ट की तारीख से 12 माह के भीतर यदि धारा 11(1) के अधीन (धारा 4(1) अधिसूचना की तारीख से 18 माह) प्रकाशित नही की गयी है तो ऐसी रिपोर्ट शून्य हो जायेगी और तब भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अधीन अर्जन किये जाने से पूर्व पुनः सामाजिक समाघात

		निर्धारण की आवश्यकता होगी। • समुचित सरकार को 12 माह की अवधि को विस्तारित किये जाने की शक्ति होगी।
12	15(1)–आपत्तियों का सुना जाना	• धारा 11(1) की अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर।
13	16(1)–प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की तैयारी	• प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की अधिसूचना धारा 11(1) के प्रकाशन के पश्चात। • पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक प्रभावित कुटुम्बों का जनसंख्या सर्वेक्षण आयोजित करेगा।
14	16(2)	• प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना आलेख का तैयार किया जाना
15	16(4)	• प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना आलेख का व्यापक प्रचार करना और सम्बंधित ग्राम सभा या नगर पालिका में विचार विमर्श करना।
16	16(5)	• पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की लोक सुनवाई
17	16(6)	• जिला मजिस्ट्रेट को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना आलेख का प्रस्तुतिकरण।
18	17(1)	• जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का पुनर्विलोकन।
19	18–अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना प्रकाशित करना	• आयुक्त श्रेणी का अधिकारी या उत्तराखण्ड सरकार का सचिव (इस प्रकरण में आयुक्त) यथास्थिति पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम और जिला मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी और तहसील के कार्यालयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जायेगा और समुचित सरकार के वैबसाइट पर प्रदशित किया जायेगा।
20	19(1)– पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और संक्षिप्तीकरण का प्रकाशन	• धारा 11(1) अधीन अधिसूचना की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर प्रकाशित किया जायेगा। (माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार यदि कोई स्थगन आदेश हो को छोडकर)
21	19(7)– धारा 11(1) अधीन अधिसूचना का समापन	• धारा 11(1) के अधीन जारी अधिसूचना से 12 माह के भीतर यदि कोइ घोषणा नही का जाती है। (माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार यदि कोई स्थगन आदेश हो को छोडकर)
22	21(1)	• कब्जा लेने के लिए लाभग्राही व्यक्तियों की सूचना
23	23	• जिलाधिकारी द्वारा जांच एवं भूमि अर्जन का अधिनिर्णय
24	26	• जिलाधिकारी द्वारा भूमि के बाजारी मूल्य का निर्धारण
25	27	• भू–स्वामी को क्षतिपूर्ति की धनराशि का निर्धारण

		जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
26	29	• भूमि से सम्बद्ध परिसम्पतियों का मूल्य का विनिर्धारण।
27	31(1)	• प्रभावित व्यक्तियों के लिए कलक्टर द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनिर्णय।

1.3 परियोजना के लिए आवश्यकता और लोक प्रयोजनः

उत्तराखण्ड राज्य में सौंग नदी, गंगा नदी की मध्यम सहायक लघु नदी है। लगभग 2400 मीटर के संयोजन पर धनौल्टी से सौंग नदी का उद्गम है और हरिद्वार के ठीक पूर्व गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उत्तराखण्ड के जिला देहरादून में सौंग नदी पर बनने वाली यह सौंग बांध पेयजल योजना है और यह देहरादून शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। परियोजना में लगभग 130 मीटर ऊंचा आरसीसी बांध का निर्माण होने के फलस्वरूप लगभग 4 किलोमीटर लम्बे और लगभग 69 हैक्टेयर क्षेत्र में फैले जलाशय का निर्माण होगा। यह परियोजना देहरादून शहर और उसके शहरी क्षेत्रों के लिए गुरूत्व के माध्यम से भविष्य में 15 लाख की आशायित जनसंख्या को 150 एमएलडी पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगी।

यह परियोजना गुरूत्व के माध्यम से जल की आपूर्ति करने में सहायक होगी और इसलिए बहुत बडी मात्रा में टयूबवैलों से जल को पम्प करने में समाहित व्यय की बचत होगी। जलाशय में जल का भण्डारण भूजल को पुनर्भरण में मदद करेगा और यह निचले सतही क्षेत्रों में भी जल के प्राकृतिक स्रोतों को बढ़ावा देगा तथा यह पर्यटन स्थल को भी विकसित करेगा।

1.4 स्थल विवरणः

सौंग बॉध पेयजल परियोजना सौंग नदी पर प्रस्तावित है और यह देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल जिले की सीमा पर स्थित ग्राम सौंदणा (देशान्तर 78°11′30″ई0 और अक्षांस 30°18′08″ एन0) में, देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है।

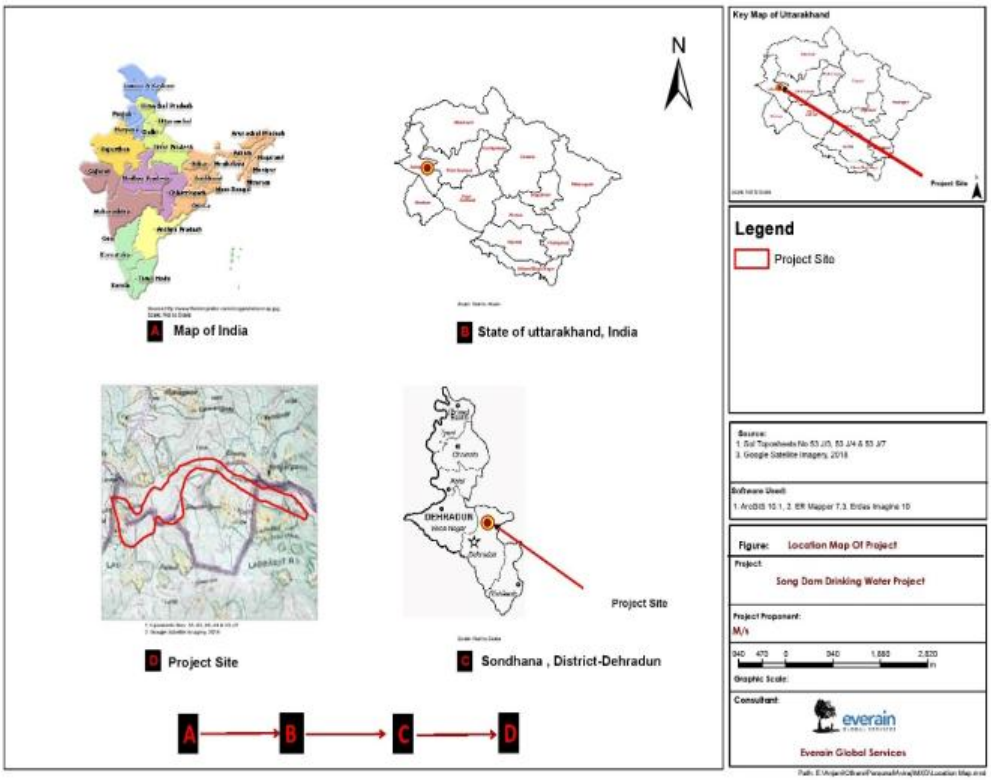

अंक 1:स्थलीय नक्शा

1.5 परियोजना के अधीन भूमि अर्जन का आकार और विशेषता:

क्र.सं.	जिले का नाम	वन/सरकारी भूमि (है0)	निजी भूमि (है0)
1	देहरादून	55.8638	2.061
2	टिहरी गढ़वाल	71.8074	8.58(8.257+0.323 रा.इ.का.)
	योग	127.6712	10.641(10.318+0.323 रा.इ.का.)

स्रोत– उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

1.5.1 गांव वार खण्ड:

क्र.सं.	गांव	वन भूमि (है0)	गैर वन भूमि (है0)
1	रगड़गांव	5.1914	0.446(0.123+0.323 रा.इ.का.)
2	घुड़सालगांव	18.1867	4.316
3	प्लेड	9.917	2.061
4	सौंदणा	4.2668	3.818
5	भरवाकाटल	0.504	0
6	श्रीपुर	0.433	0
7	थेवा	0.056	0
8	रैनीवाला	0.42	0
9	खैरीमानसिंह	1.48	0

10	पुस्ताड़ी	0.8	0
11	कुलहानमानसिंह	0.62	0
12	मरोठा	0.161	0
13	रायपुर रेंज (मंसूरी वन प्रभाग)	49.2699	0
14	मंसूरी रेंज (मंसूरी वन प्रभाग)	1.762	0
15	थानो रेंज (देहरादून वन प्रभाग)	34.6034	0
	योग	127.6712	10.641(10.318+0.323 रा.इ.का.)

स्रोत– उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

1.5.2. घटक वार खण्डः

क्र.सं.	घटक	वन भूमि (है0)	गैर वन भूमि (है0)
1	सबमरजेंस, बैचिंग प्लांट, क्वेरी, स्टॉकपाइल्स और अन्य उपस्करें	112.8012	10.641(10.318+0.323 रा.इ.का.)
2	पाईप लाईन	14.87	0
	योग	127.6712	10.641(10.318+0.323 रा.इ.का.)

स्रोत– उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

1.6 वैकल्पिक विचारः

इस स्थल के चयन के लिए प्रक्रिया के कुछ आधारित निम्नवत घटक है–

क– क्षेत्र का भूगर्भ,

ख– तकनीकी दृश्यता अध्ययन,

ग– वन आच्छादन और हटाये जाने वाले वृक्षों की संख्या,

जल विज्ञान, भूगर्भ के सम्बंध में यह स्थल एक विशिष्ट है जो देहरादून शहर को 150 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित भण्डारण के सम्बंध में यह परियोजना उच्च तकनीक की है। इसलिए बांध के सन्निर्माण के लिए यह सबसे उचित चयनित स्थल है। अतः इस परियोजना के लिए कोई अन्य स्थल या स्थानों पर विचार नहीं किया गया है।

1.7 क्षेत्र का भूमि उपयोग रीतिः

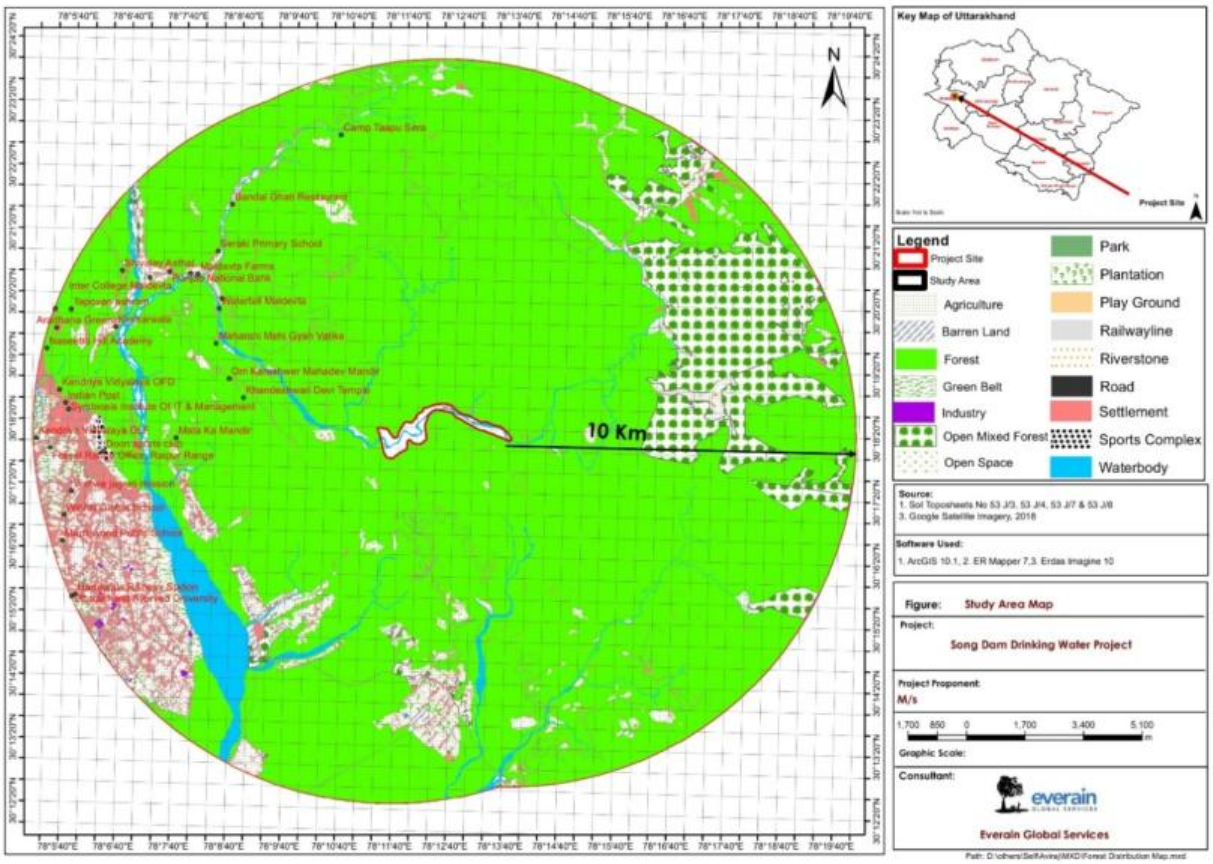

अंक 2:क्षेत्र का भूमि प्रयोग रीति

2. परियोजना विवरणः

2.1. परियोजना के मुख्य बिन्दुः

तालिका 2 –परियोजना के मुख्य बिन्दुः

क – स्थल (Location)	
राज्य (State)	उत्तराखण्ड (Uttarakhand)
जिला (City)	देहरादून (Dehradun)
नदी (River)	सौंग (Song)
बांध की अवस्थिति (Location of Dam)	ग्राम सौंदणा के निकट अवस्थित (Located near village Sondhna)
निकटतम वायु मार्ग एवं रेल मार्ग (Nearest airport & Rail head)	देहरादून (Dehradun)
अक्षांश (Lattitude)	30˚17' से 30˚21'एन ()
देशांतर (Longitude)	78˚05' से 78˚17'ई ()
ख – जल विज्ञान (Hydrology)	
जलग्रहण क्षेत्र (Catchment area)	85 वर्ग किमी0
जलग्रहण क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा (Annual average rainfall in the Catchment area)	2249.12 मिमी0
परिकल्पित बाढ़ (Design flood)	1228 क्यूमेक्स
परिवर्तित बाढ़ (अधिकतम प्रेक्षित बाढ़) Diversion flood (Maximum observed flood)	19.39 मीटर ^{3}/से0– गैर मानसून
ग – बांध (Dam)	
प्रकार (Type)	आरसीसी प्रकार (RCC Type)
न्यूनतम बुनियाद के ऊपर अधिकतम उंचाई (Maximum Height above deepest foundation level)	131.60 मीटर
नदी स्थल से ऊपर अधिकतम उंचाई (Maximum Height above river bed level)	109.00 मीटर
बांध का ऊपरी स्थल (Top level of Dam)	ईएल 982.0 मीटर
बांध स्थल पर नदी स्थल स्तर (River bed level at dam site)	ईएल 874.75 मीटर
सम्भावित अधिकतम बुनियाद स्तर (Expected deepest foundation level)	ईएल 851.4 मीटर
मुख्य सड़क चौडाई (Top road width)	12.5 मीटर
उच्चतम लम्बाई (Top length)	225.0 मीटर
ऊपरी स्थल ढलान (Upstream slope)	0.3 (एच);1(वी) (0.3 H:1 V)
निम्न स्थल ढलान (Downstream slope)	0.8 (एच);1(वी) (0.8 H:1 V)

घ – बहाव मार्ग (Spillway)	
नाली के द्वार से बहाव मार्ग (Orifice type spillway)	
बहाव मार्ग की प्रकृति (Type of spillway)	द्वार के प्रकार का बहाव (Orifice type spillway)
मुख्य मार्ग प्रकार बहाव मार्ग (Spillway gate type)	त्रिज्जीय प्रकार (Radial type)
प्रारम्भ की संख्या और आकार (No. & Size of openings)	2 संख्या का 7.0 मीटर×7.5 मीटर
चोटी स्थल (Crest level)	912.0 मीटर
परिकल्पिक बाढ़ (Design flood)	1228.00 क्यूमेक्स
ऊर्जा क्षय (Energy dissipation)	प्रक्षेपवक्र बाल्टी प्रकार सहित डुबकी पूल (Trajectory Bucket type with plunge pool)
उच्च स्तरीय बहाव मार्ग(अधिक बहाव प्रकार)	
High level spillway (Overflow type)	
नाली के द्वार का प्रकार (spillway gate type)	लम्ब रूप लिप्ट मार्ग (Vertical lift gate)
प्रारम्भ की संख्या और आकार (No. & size of openings)	1 संख्या का 5.0 मीटर× 5.0 मीटर
शिखा की ऊंचाई (Crest elevation)	975.00 मीटर
ड. – जलाशय (Reservoir)	
जलाशय स्तर(एफआरएल/एमडब्लूएल) (Reservoir level)	ईएल.980.00 मीटर
न्यूनतम निम्न निकासी स्तर (एमडीडीएल) (Minimum draw down level)	ईएल.923.00 मीटर
एफआरएल/एमडब्लूएल पर कुल भंडारण (Gross storage)	26.4 एमसीएम
एमडीडीएल पर मृत भंडारण (Dead storage)	4.00 एमसीएम
एफआरएली/एमडब्लूएल पर जलाशय क्षेत्र (Reservoir area)	64.829 है0
जीवित भण्डारण (Live storage)	22.4 एमसीएम
आपूर्ति क्षमता (Supplying capacity)	150 एमएलडी
च –प्रवेश (Intake)	
स्थल (Location)	खण्ड संख्या 4 (Block No.4)
प्रवेश प्रकार (Intake type)	घंटी मुह (Bell mouth)
पलट स्थल (Invert level)	ईएल.918.0
कचरा पेटी (Trash racks)	झुका हुआ (Inclined)
छ –जल सम्प्रेषण पद्धति (Water conveyance system)	
कुल लम्बाई (Total length)	14.70 कि0मी0

प्रारम्भ स्थल (Start location)	बांध खण्ड संख्या 3 (Dam block no. 3)
समाप्ति स्थल (End location)	कुल्हान मानसिंग पर डब्लू टी पी
पाईप लाईन का व्यास (Dia. of pipe line)	1.5 मीटर
सौंग नदी के साथ लम्बाई (Length along song river)	10.5 कि0मी0
बाल्दी नदी के साथ लम्बाई (Length along baldi river)	4.2 कि0मी0
सैडल सहयोग / खम्बें (Saddle supports/piers)	संख्या 335 / संख्या 190
लंगर खण्ड (Anchor blocks)	संख्या 69
नदी आर–पार (River crossings)	संख्या 03
पाईप लाईन की मोटाई (Thikness of pipelines)	15 एमएम और 20 एमएम

स्रोत– उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

2.2. सौंग पेयजल परियोजना की संरचनाः

सौंग नदी के जलग्रहण क्षेत्र और उससे जुडे हुए क्षेत्र के स्थलाकृतिक, भूगर्भ और जल वैज्ञानिक हेतु उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित निम्नलिखित घटकों से मिलाकर प्रस्तावित पेयजल परियोजना की संरचना––

एक– 130 मीटर का उच्च भंडारण बांध,

दो– उच्च स्तरीय मजबूत बांध सहित परिवर्तनशील सुरंग

तीन– बहाव मार्ग,

चार– बांध से प्रस्तावित जल उपचार संयंत्र, कुल्हानमानसिंग, देहरादून तक 14.7 किलोमीटर लम्बाई की जल सम्प्रेषण की व्यवस्था।

पांच– जल सम्प्रेषण पद्धति के लिए घाट सैडल और एंकर खण्ड।

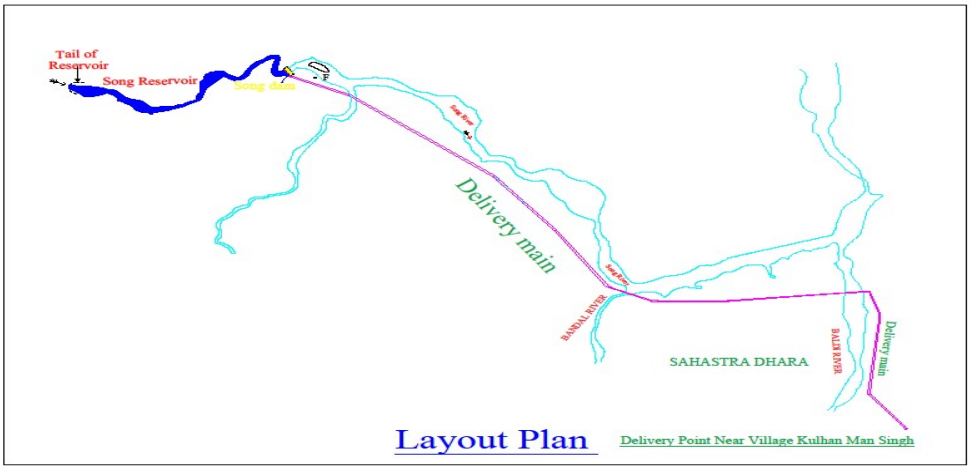

अंक 3:स्थापित योजना

3. अध्ययन रीति और कार्यप्रणाली:

3.1. कार्य प्रणाली के लिए विवरण और रीति:

सामाजिक समाघात निर्धारण का उददेश्य संरचनाओं, प्रभावित कुटुम्बों और सामाजिक समाघातो को चिंन्हित कर पूर्ण सूची तैयार करना है। इस कम में वर्तमान प्रयोग हेतु आंकडों को प्राप्त करने के लिए कई प्राथमिक और द्वितीयक आंकडा स्रोतों से संपर्क किया गया।

एक सभी मुख्य लाभार्थियों की सूची तैयार की गयी, जिसमें परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को सम्मिलित किया गया। इस सूची को अंतिम रूप से तीन मुख्य श्रेणियों में विभक्त किया गया, अर्थात–

एक– प्राथमिक लाभार्थी (परियोजना प्रभावित कुटुम्ब)

दो– द्वितीयक लाभार्थी (परियेाजना क्षेत्र के 10 किलोमीटर के भीतर वाले गांव/कुटुम्ब)

तीन– संस्थागत लाभार्थी (परियोजना क्षेत्र के भीतर स्थित विद्यालय, धार्मिक केन्द्र, शैक्षिक सुविधाएं इत्यादि)

3.2. सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने की प्रकिया:

सामाजिक समाघात निर्धारण अपेक्षित है जब परियोजना के परिणामस्वरूप या तो भौतिक रूप से या आर्थिक रूप से लोगों को विस्थापित करना है। योजना में यह सुनिश्चित होना चाहिये कि परियोजना से प्रभावित लोगो की आजिविका परियोजना आरम्भ से पूर्व स्तरों पर बहाल हो सके। एक प्रभावी सामाजिक समाघात निर्धारण तैयार करने के लिए मस्तिष्क में कुछ घटक और कदम उठाने आवश्यक है उनमें से परियोजना के सामाजिक आर्थिक समाघात का चिन्हीकरण, लोगों/समुदाय से विचार विमर्श, भूमि अर्जन और क्षतिपूर्ति के लिए विधिक रूप रेखा, हकदारी नीति, विस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन, आय को बनाये रखना और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का खाका खींचना है।

3.3 उद्देश्य:

इस सामाजिक समाघात अध्ययन के मुख्य उददेश्य निम्नलिखित हैं–

- ✓ क्या प्रस्तावित अर्जन का उददेश्य लोक प्रयोजन है, का निर्धारण
- ✓ प्रभावित कुटुम्बों और कुटुम्बों की संख्या जिन्हें विस्थापित किया जाना है, का निर्धारण,
- ✓ भूमि का विस्तार, लोक और निजी आवास, प्रस्तावित अर्जन द्वारा प्रभावित होने वाले पुनर्व्यवस्थापन और अन्य सामान्य सम्पतियों का निर्धारण,
- ✓ क्या अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यर्थाथ न्यूनतम सीमा तक ही है।

- ✓ क्या भूमि अर्जन के लिए कोई वैकल्पिक स्थान है, पर विचार किया गया और वह स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया,
- ✓ परियोजना का सामाजिक समाघात का अध्ययन और प्रकृति तथा उसके अर्जन किये जाने का मूल्य तथा परियोजना के लाभ सहित परियोजना के सम्पूर्ण मूल्य पर उसके मूल्य का आघात,

3.4.आंकडों के संग्रहण हेतु प्रयुक्त साधन :

3.4.1. पैमाइस सर्वेक्षणः

सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए भूमि अर्जन और अनुवर्ती विकास के कारण लोगों पर पड़ने वाले सामाघात के विस्तार का सर्वेक्षण दल द्वारा पैमाइसी सर्वेक्षण किया गया।

3.4.2 द्वितीयक स्रोतों से आंकडेः

द्वितीयक स्रोतों से सूचना कई भागो में एकत्रित की गयी जैसे जनगणना, सांख्यिकी हस्तपुस्तिका, सम्बन्धित ग्राम पंचायतें, पटवारीयों, आगनबाढ़ी केन्द्रों और अन्य मानक साहित्यों से। इस प्रकार द्वितीयक स्रोतों की सूचना प्राथमिक आंकडों को पूरा करती हैं जिसे कि प्रभावित लोगों और अन्य लाभार्थियों से क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया था। विस्तृत क्षेत्र अनवेषण करने से पूर्व परियोजना क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के बारे में समझदारी बनायी गयी है।

3.4.3. प्रारम्भिक आंकडों का संकलनः

प्राथमिक आंकडे केन्द्रित समूह विचार विमर्श और अर्धसंरचित प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किये गये। परियोजना दल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पारिवारिक सदस्य उत्तरदाताओं, क्षेत्रीय उत्तरदाताओं, अन्य कार्यालयों तथा प्रभावित क्षेत्र के लाभार्थियों से सम्पर्क किया। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टिहरी और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रभावित गांवों के ग्रामीणों तथा लोक प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 31.07.2019 को सौंग बांध के निर्माण से उत्पन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं के पुनर्विलोकन हेतु बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में उत्तरदाताओं के विचार और हितों को अभिलिखित किया गया। आंकडों को वर्ष के दौरान नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहा और उसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

3.5 आंकडों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन :

सामाजिक समाघात निर्धारण में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक और मात्रात्मक सूचना दोनों पर विश्वास किया गया। प्रथम स्तर पर द्वितीय स्रोतों की सूचनाओं का विश्लेषण किया गया और सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक संदर्भों के रूप में प्रयोग किया गया। उसके पश्चात् प्रशिक्षित आंकडा प्रबंधन दल द्वारा सन्निरीक्षा, चिन्हांकन, डाटा एंट्री के साथ साथ मात्रात्मक आंकडों का प्रसंस्करण किया गया। विस्तृत सांख्यिकी रीति से प्रारम्भिक आंकडों के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया जिसमें तालिकाओं और रेखा चित्रों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के त्रिकोणीयन रीति से और पहलुओं को सामुहिक रूप से समझने के आधार पर तैयार किया गया है।

3.6 लोक परामर्शः

प्राथमिक आंकडों के साथ–साथ जनित द्वितीयक आंकडों का उपयोग कर क्षेत्र के जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक स्वरूप का मुल्यांकन किया गया और क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिये गंभीर विश्लेषण किया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दौरान लोक बैठकों का आयोजन किया गया और परियोजना घटकों तथा इसके निहितार्थों के सम्बंध में प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों से विचार विमर्श किया गया। सौंग बांध पेयजल परियोजना के बारे में लोगों के पूर्ण विचारों के साथ–साथ लागों की आवश्यकताएं, विचार और परामर्श को प्राप्त करने के लिए केन्द्रित सामूहिक विचार विमर्श तथा अर्द्धसंरचनात्मक प्रश्नावलियों का उपयोग किया गया और यदि कोई हों, इसके लाभ और हानि पर विचार किया गया। गांव की सुविधाओं, भूमि धारकों, भूमि प्रयोग रीति, विभिन्न कृषि फसलों, सिंचाई सुविधाओं, आवासीय और स्वच्छता, वित्तीय संस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं के सम्बंध में गांवों और उनके पारिवारिक मुखियाओं के सामुहिक विचार विमर्श पर विचार संकलित किये गये और इसके सम्बंध में गांव की सामान्य सूचना संकलित की गयी। लोक बैठकों/ परामर्शों से पूर्व गांव के प्रधानों से संपर्क किया गया और बैठकों के लिए सुविधाजनक समय और तारीख निर्धारित की गयी। बैठकों के कार्यवृत्त और बैठक के दौरान किये गये विचार विमर्श में शामिल लाभार्थियों की सूची को परिशिष्ट में दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मांगे/विचार, जागरूकता और परियोजना के बारे मे अवधारणा इस रिपोर्ट के अध्याय 6 परियोजना की जागरूकता, उपलब्धि और सामाजिक आघात में दिया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने के दौरान आयोजित लोक परामर्श बैठकों को जारी रखने के लिये तथा पूर्व में एकत्रित सूचनाओं को अद्यतन करने के लिये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के पश्चात भी दिनांक 18.12.2019 और दिनांक 16. 01.2020 को लोक बैठकें आयोजित की गईं। बैठक के दौरान किये गये विचार विमर्श में शामिल लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है।

अंक 4: लोक परामर्श फोटोग्राफ

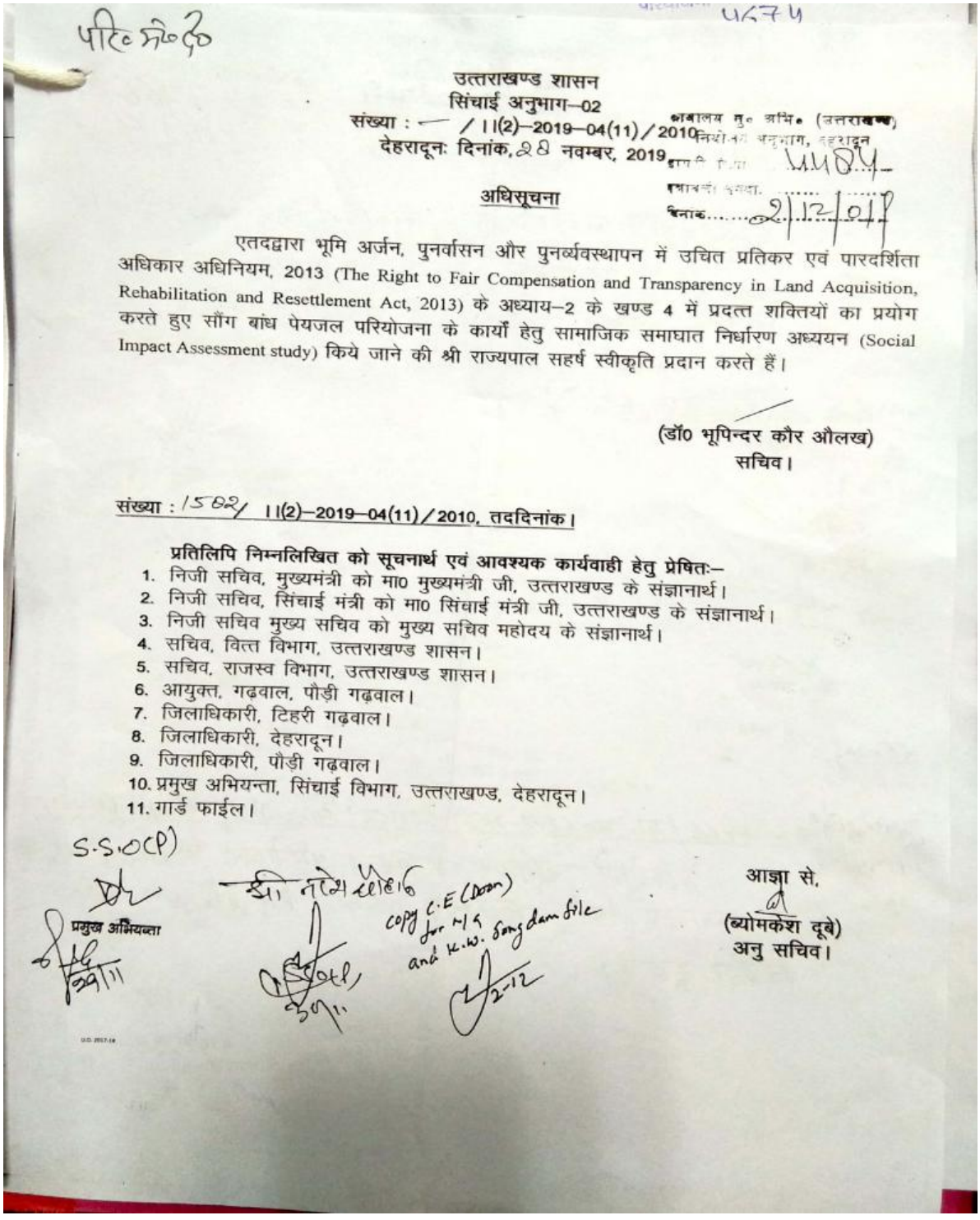

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–02
संख्या : — / II(2)–2019–04(11)/2010
देहरादूनः दिनांक, 28 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

एतदद्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के अध्याय–2 के खण्ड 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सौंग बांध पेयजल परियोजना के कार्यों हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (Social Impact Assessment study) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या : 1502/ II(2)–2019–04(11)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री को मा0 सिंचाई मंत्री जी, उत्तराखण्ड के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।
7. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

प्रमुख अभियन्ता

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

अंक 5 :सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन संचालन करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना

3.7 लोक बैठकों और परामर्शों का कार्यवृत्तः

सौग बॉध पेयजल परियोजना के निर्माण एवं प्रभाव की जानकारी देने हेतु दिनांक 15.12.2018 को एक खुली बैठक रगड़गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित की गई थी जिसमे विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीयों, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति संलग्न है (ए.0)। तदपश्चात् दिनांक 31.07.2019 को जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल की अध्यक्षता में प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवायी हेतु रगड़गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीयों, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति संलग्न है(ए.1)। सौंग बॉध पेयजल परियोजना के पुनर्वास कार्यो हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act 2013) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (Social Impact Assessment Study) हेतु धारा 5 के अनुसार दिनांक 18.12.2019 एवं दिनांक 16/01/2020 को राजकीय इंटर कॉलेज रगडगांव (टिहरी गढ़वाल) के प्रांगण में लोक सुनवाईयों का आयोजन किया गया था। दिनांक 18.12.2019 एवं दिनांक 16.01.2020 को बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीयों, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति क्रमशः संलग्न है(ए2) एवं (ए3)। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा दिनांक 15.12.2018 एवं 31.07.2019 को आयोजित खुली बैठकों एवं दिनांक 18.12.2019 एवं दिनांक 16/01/2020 को सौंग बॉध पेयजल परियोजना के पुनर्वास कार्यो हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act 2013) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (Social Impact Assessment Study) हेतु धारा 5 के अनुसार लोक सुनवाईयों में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मांगे उठायी गयी। बैठको में उठायी गयी मांगो के अतिरिक्त समय–समय पर ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मांग पत्र दिये गये। ग्रामीणों द्वारा विभिन्न मांग पत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक (ए4) से (ए31) तक संलग्न है।

ग्रामीणों द्वारा उठायी गयी मांगो/समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0स0	माँग/समस्या	सन्दर्भ	माँग/समस्या का विवरण
1	मोटर/सर्म्पक मार्ग	सलंग्नक–ए4, ए5, ए8, ए12, ए13, ए14, ए16, ए17, ए18,	1. मालदेवता से घुत्तु गंधक पानी वाया द्वारा सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाये। 2. दुबडी–रगड़गांव पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये। 3. ग्राम पंचायत बनाली से घुड़सालगांव तक सड़क का निर्माण किया जाये, यह सड़क पूर्व में वन विभाग की आन्तरिक सड़क थी जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 से कराया जाये। 4. सौंदणा के पास पुल एवं सड़क का निर्माण कर तोल्याकाटल ग्राम सभा को कनेक्ट किया जाये।

		ए19, ए20, ए21, ए23, ए25, ए26, ए27, ए30 ए31	5. रगडगांव, शेरा गांव, पसनी गांव में सौंग नदी पर पुलो का निर्माण किया जाये। 6. रगडगांव से कुण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क का निर्माण किया जाये। 7. अखण्डवाली भिंलग से सौंधना ग्राम तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाये।
2	अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि	सल्गनक–ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए9, ए10, ए11, ए12, ए16, ए19, ए20, ए21, ए26, ए27, ए31	1. ग्रामीणों को भूमि के प्रतिकर की जगह भूमि ही दी जाये। 2. परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों को उनकी प्रभावित भूमि की सूचना दी जाये। 3. प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास परियोजना का प्रारूप दिया जाये। 4. ग्रामीणों द्वारा मांग की गई की मकान के बदले मकान, गौशाला के बदले गौशाला एवं पनचक्की के बदले पनचक्की/लघुउद्योग दिया जाये। 5. प्रभावित परिवारों को एक ही स्थान पर जमीन दी जाये। 6. प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास के लिये देहरादून के पास गुल्लरघाटी में घोडा फैक्ट्री की जमीन दी जाये।
3	बेनाप भूमि पर काबिज कास्तकारों एवं	सल्गनक–ए7, ए16,	1. बेनाप भूमि/सरकारी भूमि पर काबिज कास्तकारों एवं व्यवसायियों को मुआवजा दिया जाये।

	व्यवसायियों को क्रमशः भूमि के बदले भूमि एवं मुआवजा	ए19, ए24, ए29,	2. ऐसी भूमि जो किसी और के नाम है किन्तु उस पर कोई और के कब्जे में है और काश्तकारी कर रहा है, उसे भी भूमि के बदले भूमि दी जाये। 3. ऐसी भूमि जो सरकारी है पर प्रभावित परिवार खेती/व्यवसाय कर रहे है उसके बदले ग्रामीणों को पट्टे आंवटित किये जाये।
4	रोजगार एवं आय सृजन सम्बन्धि मांग	सल्गनक–ए4, ए6, ए8, ए12, ए16, ए19 ए22, ए24, ए26	1. बॉध निर्माण के पश्चात झील में व्यवसायिक गतिविधियों में स्थानीय लोगों/प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाये। 2. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को रोजगार/सरकारी नौकरी/बॉध निर्माण कार्य में रोजगार दिया जाये।
5	सम्पार्श्विक क्षति का उपचार	सल्गनक–ए16, ए26	1. प्रभावित क्षेत्र के चारागाहों एवं वनो का विस्तारीकरण किया जाये। 2. बॉध बनने के पश्चात भू–स्ख्लन से प्रभावित घरों व भूमि को चिन्हित कर समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाये। 3. बॉध से प्रभावित ग्रामीणों के हक–हकूकों का संरक्षण किया जाये।
6	सामुदायिक सुविधाओं का पुर्नर्निर्माण	संल्गनक– ए8, ए15, ए16,	1. बॉध से प्रभावित होने वाली सामुदायिक सुविधाओं सड़क, स्कूल, मंदिर, गूल, विद्युत लाइन, पेयजल तथा श्मशान घाट का पुनर्निमाण किया जाये।
7	अन्य मांगे	सल्गनक–ए6,	1. प्रभावित गांवों के ग्रामीणों के लिये स्वास्थय केन्द्र स्थापित किया जाये।

		ए16, ए19, ए27, ए28,	2. ग्राम पंचायत घुड़सालगांव में नवोदय विद्यालय खोला जाये। 3. ग्राम पंचायत घुड़सालगांव को ओ0बी0सी0 का दर्जा दिया जाये। 4. वर्तमान में हमारे क्षेत्रवासियों को ओ0बी0सी0 का लाभ मिल रहा है, विस्थापन के फलस्वरूप ऐसा ना हो की भविष्य में हमें सरकारी व्यवस्था के अनुसार मिल रहे लाभ से वंचित रहना पड़े। 5. जो सुविधायें टिहरी बॉध में दी गई है वही सुविधायें सौंग डैम में दी जाये। 6. बालिका/किशोरी को भविष्य में सरकार द्वारा सुख–सुविधा प्रदान की जाये।

टिप्पणी – उपचारात्मक उपाय इस रिपोर्ट के अध्याय 8 सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में रखा गया है।

4. अध्ययन क्षेत्र का विवरण

अंक 6 :उत्तराखण्ड के जिले के नक्शे

4.1 उत्तराखण्ड राज्यः

उत्तराखण्ड राज्य 55483 वर्ग कि0मी0 में फैला हुआ हिमालय पर्वत श्रंखला की तलहटी में अवस्थित है। यह नवम्बर 2000 में भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। राज्य मुख्यतः पर्वतीय राज्य है। इसमें उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल की अंतराष्ट्रीय सीमाएं लगी हुई हैं। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है जबकि दक्षिण में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। यह विभिन्न ग्लेशियरों, नदीयों, घने जंगलों और हिम आच्छादित पर्वतों की चोटियों के साथ विशेष रूप से जल और जंगलों के प्राकृतिक स्रोतों के लिए धनी है। वर्ष 2011 की जनसंख्या गणना रिपोर्ट जो कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गयी है, में वर्ष 2001 से 2011 के दशक में पिछले दशक 1991 से 2001 के सापेक्ष 18.81 प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि उत्तराखण्ड की जनसंख्या में हुई है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान के अनुसार उसका घनत्व 488 प्रतिवर्गमील है।

अंक 7: टिहरी जिले का नक्शा

4.2 उत्तराखण्ड के जिले:

उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिले दो प्रशासनिक मण्डलों यथा गढ़वाल मण्डल (7 जिले) तथा कुमाउं मण्डल (6 जिले) अवस्थित हैं।

तालिका 3: उत्तराखण्ड के जिले

क्र0सं.	जिले का नाम	क्षेत्रफल(वर्गमी0)	जनसंख्या(2011)	मुख्यालय का नाम
1	अल्मोडा	3083	621927	अल्मोड़ा
2	बागेश्वर	2302	259840	बागेश्वर
3	चमोली	7520	391114	गोपेश्वर
4	चम्पावत	1781	259315	चम्पावत
5	**देहरादून**	**3088**	**1698560**	**देहरादून**
6	हरिद्वार	2360	1927029	हरिद्वार
7	नैनीताल	3860	955128	नैनीताल
8	पौड़ी गढवाल	5399	686527	पौड़ी
9	पिथौरागढ़	7100	485993	पिथौरागढ
10	रूद्रप्रयाग	1890	236857	रूद्रप्रयाग
11	**टिहरी गढवाल**	**4080**	**618931**	**नई टिहरी**
12	ऊधमसिंह नगर	2908	1648367	रूद्रपुर
13	उत्तरकाशी	8016	329686	उत्तरकाशी

स्रोतः जनसंख्या गणना 2011– टिप्पणी मोटे अक्षरों में दर्शाये गये जिले परियोजना क्षेत्र के लिए हैं।

4.3 जिला टिहरी गढ़वालः

टिहरी गढवाल भारत के उत्तराखण्ड राज्य का एक जिला है। टिहरी गढवाल का कुल क्षेत्रफल 3,642 वर्ग कि0मी0 सहित 3,575.89 वर्ग कि0मी0 ग्रामीण क्षेत्र तथा 66.11 वर्ग कि0मी0 शहरी क्षेत्र है। टिहरी गढवाल जिले की जनसंख्या 6,18,931 है। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार जिले में लगभग 1,32,714 आवास हैं।

तालिका 4: टिहरी गढवाल जिले की जनसंख्या

जनसंख्या का प्रकार	पुरूष जनसंख्या	महिला जनंसख्या	कुल जनसंख्या
ग्रामीण	2,59,381	2,89,411	5,48,792
शहरी	38,605	31,534	70,139
कुल	2,97896	3,20,945	6,18,931

स्रोतः जनसंख्या गणना 2011

टिहरी गढवाल में विकास खण्डों की सूची

1–नरेन्द्र नगर, 2–चम्बा, 3–जौनपुर, 4– थौलधार, 5– प्रताप नगर, 6– जाखणीधार, 7– हिण्डोलाखाल, 8–कीर्तिनगर, 9, भिलंगाना,

4.4 धनौल्टी तहसील

धनौल्टी उत्तराखण्ड के टिहरी गढवाल जिले की एक तहसील है। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार धनौल्टी विकासखण्ड के उपजिला संख्या 00298 है। धनौल्टी का कुल क्षेत्र 555 वर्ग कि0मी0 है जो 263 गांव से बनी है। उपजिले में लगभग 74083 लोग हैं जिसमें 12409 घर हैं।

4.5 रगड़गांवः

टिहरी गढवाल जिले की धनौल्टी तहसील में अवस्थित रगड़गांव मध्यम आकार का गांव है जिसमें कुल 53 परिवार निवास करते हैं। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार रगड़गांव की जनसंख्या 324 है जिसमें 178 पुरूष जबकि 146 महिलाएं हैं। रगड़गांव में 0–6 आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या 64 है जो कि गांव की कुल जनंसख्या का 19.75 प्रतिशत बनाता है। रगड़गांव की औसत लिंग अनुपात 820 है जो कि उत्तराखण्ड राज्य के औसत 963 से न्यूनतम है। जनसंख्या गणना के अनुसार रगड़गांव में बच्चों का लिंग अनुपात 684 है जो कि उत्तराखण्ड की औसत 890 से न्यून है। रगड़गांव की साक्षरता दर उत्तराखण्ड की तुलना में उच्च साक्षरता दर है। 2011 में रगड़गांव की साक्षरता दर उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 78.82 प्रतिशत की अपेक्षा 78.85 प्रतिशत थी। रगड़गांव की पुरूष साक्षरता दर 85.71 प्रतिशत थी जबकि महिला साक्षरता दर 70.83 प्रतिशत थी। पंचायती राज अधिनियम के अधीन रगड़गांव प्रधान (गांव का प्रमुख) द्वारा प्रशासित है जो कि गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि है।

अंक 8: रगड़गांव का नक्शा

तालिका 5: रगड़गांव का जनसंख्या विवरण

विवरण	कुल	पुरूष	महिला
आवासों की कुल संख्या	53	—	—
कुल क्षेत्र (है0)	123.36	—	—
जनसंख्या	324	178	146
बच्चे(0—6 वर्ष)	64	38	26
अनुसूचित जाति	40	22	18
अनुसूचित जनजाति	0	0	0
साक्षरता दर	78.85 %	85.71 %	70.83 %
कुल कामगार	159	84	75
मुख्य कामगार	155	155	0
पार्श्व स्थित कामगार	4	2	2

स्रोतः जनसंख्या गणना 2011

4.6 घुड़साल गांवः

टिहरी गढवाल जिले की धनौल्टी तहसील में अवस्थित घुड़साल गांव मध्यम आकार का गांव है जिसमें कुल 40 परिवार निवास करते हैं। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार घुड़साल गांव की जनसंख्या 231 है जिसमें 128 पुरूष जबकि 103 महिलाएं हैं। घुड़साल गांव में 0—6 आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या 37 है जो कि गांव की कुल जनसंख्या का 16.02 प्रतिशत बनाता है। घुड़साल गांव की औसत लिंग अनुपात 805 है जो कि उत्तराखण्ड राज्य के औसत 963 से न्यून है। जनसंख्या गणना के अनुसार घुड़साल गांव बच्चों का लिंग अनुपात 850 है जो कि उत्तराखण्ड के औसत 890 से न्यूनतम है। घुड़साल गांव की साक्षरता दर उत्तराखण्ड की तुलना में उच्च है। 2011 में घुड़साल गांव की साक्षरता दर उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 78.82 प्रतिशत की अपेक्षा 86.08 प्रतिशत है। घुड़साल गांव की पुरूष

साक्षरता दर 98.15 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 70.93 प्रतिशत है। पंचायती राज अधिनियम के अधीन घुड़साल गांव प्रधान (गांव का प्रमुख) द्वारा प्रशासित है जो कि गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि है।

अंक 9: घुड़साल गांव का नक्शा

तालिका 6: घुड़साल गांव की जनंसख्या विवरण।

विवरण	कुल	पुरूष	महिला
आवासों की कुल संख्या	40	–	–
कुल क्षेत्र (है0)	166.37	–	–
जनसंख्या	231	128	103
बच्चे(0–6 वर्ष)	37	20	17
अनुसूचित जाति	22	12	10
अनुसूचित जनजाति	0	0	0
साक्षरता दर	86.8 %	98.15 %	70.93 %
कुल कामगार	125	74	51
मुख्य कामगार	62	56	6
पार्श्व स्थित कामगार	63	18	45

स्रोत जनसंख्या गणना 2011

4.7 सौंदणा गांवः

अंक 10: सौंदणा गांव का नक्शा

टिहरी गढवाल जिले की धनौल्टी तहसील में अवस्थित सौंदणा गांव मध्यम आकार का गांव है जिसमें कुल 53 परिवार निवास करते हैं। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार सौंदणा गांव की जनसंख्या 95 है जिसमें 53 पुरूष जबकि 42 महिलाएं हैं। सौंदणा गांव में 0–6 आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या 06 है। सौंदणा गांव की साक्षरता दर 67 प्रतिशत उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 78.82 प्रतिशत की तुलना में निम्न है (जनगणना 2011)। सौंदणा गांव की पुरूष साक्षरता दर 81 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत है। पंचायती राज अधिनियम के अधीन सौंदणा गांव तोल्याकाटल के प्रधान द्वारा प्रशासित है जो कि गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि है।

तालिका 7: सौंदणा की जनंसख्या विवरण

विवरण	कुल	पुरूष	महिला
आवासों की कुल संख्या	70	–	–
कुल क्षेत्र (है0)	61.44	–	–
जनसंख्या	95	53	42
बच्चे(0–6 वर्ष)	6	5	1
अनुसूचित जाति	21	9	12
अनुसूचित जनजाति	0	0	0
साक्षरता दर	67 %	81 %	50 %
कुल कामगार	50	26	24
मुख्य कामगार	50	26	24
पार्श्व स्थित कामगार	–	–	–

स्रोत जनसंख्या गणना 2011

4.8 प्लेड गांव

देहरादून जिले में अवस्थित प्लेड गांव है जिसमें कुल 27 परिवार निवास करते हैं। जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार सौंदणा गांव की जनसंख्या 139 है जिसमें 73 पुरूष जबकि 166 महिलाएं हैं। प्लेड गांव में 0–6 आयु समूह के बच्चों की जनसंख्या 14 है। प्लेड गांव की साक्षरता दर 67.62 प्रतिशत उत्तराखण्ड की साक्षरता दर 78.82 प्रतिशत की तुलना में निम्न है। प्लेड गांव की पुरूष साक्षरता दर 82. 19 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 51.51 प्रतिशत है। पंचायती राज अधिनियम के अधीन प्लेड गांव लड़वाकोट के प्रधान द्वारा प्रशासित है जो कि गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि है।

अंक 11: प्लेड गांव का नक्शा

तालिका 8: प्लेड गावं की जनंसख्या विवरण।

विवरण	कुल	पुरूष	महिला
आवासों की कुल संख्या	27	–	–
कुल क्षेत्र (है0)	296.5	–	–
जनसंख्या	139	73	66
बच्चे(0–6 वर्ष)	14	7	7
अनुसूचित जाति	–	–	–
अनुसूचित जनजाति	0	0	0
साक्षरता दर	67.62 %	82.19 %	51.51 %
कुल कामगार	68	44	24
मुख्य कामगार	30	29	1
पार्श्व स्थित कामगार	38	15	23

स्रोत जनसंख्या गणना 2011

5. परियोजना प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक विवरण

5.1 परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का जनसांख्यकीय विवरणः

परियोजना प्रभावित कुटुम्बों की कुल संख्या तालिका 9 में नीचे दर्शायी गयी है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान 50 परियोजना प्रभावित कुटुम्बों को चिन्हांकित किया गया है और प्रभावित कुटुम्बों की कुल जनंसख्या 486 अभिलिखित की गयी है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा विवाहित बालिकाएं भी सम्मिलित हैं–

तालिका 9ः परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का जनसांख्यकीय विवरण

जिला	ग्रांम पंचायत	गांव	आवास	कुल जनसंख्या		
				जनसंख्या	पुरूष	महिला
टिहरी	रगड़गांव	रगड़गांव	1	4	2	2
टिहरी	घुड़साल गांव	घुड़साल गांव	24	155	100	55
टिहरी	तोल्याकाटल	सौंदणा	17	274	205	69
देहरादून	लड़वाकोट	प्लेड गांव	8	53	41	12

5.2 साक्षरता विवरणः

विभिन्न सम्बंधित क्षेत्रों में प्रभावित कुटुम्बों की साक्षरता दर का विवरण तालिका 10 में दिया गया है। रगड़गांव में कुटुम्बों की कुल साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। घुड़साल गांव, सौंदणा, प्लेड की साक्षरता दर क्रमशः 84.51 प्रतिशत, 77.73 प्रतिशत और 79.00 प्रतिशत है। साक्षरता दर को बहुत निम्न आंका गया है और क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक पिछडेपन को उजागर किया गया है। इन सब के होते हुए भी पुरूष साक्षरता की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता बहुत न्यूनतम आंकी गयी है।

तालिका 10ः परियोजना प्रभावित कुटुम्बों की साक्षरता विवरण

जिला	**गांव**	**प्रभावित आवासों की कुल जनसंख्या**	**जनंसख्या साक्षरता**		**जनसंख्या गैर साक्षरता**	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
टिहरी	रगड़गांव	4	2	1	0	1
टिहरी	घुड़साल गांव	155	76	55	3	6
टिहरी	सौंदणा	274	124	89	7	36
देहरादून	प्लेड	53	26	16	2	6

5.3 जाति विवरणः

प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों की कुल जनसंख्या 486 है। जाति पर आधारित जनसंख्या का वर्गीकरण तालिका 11 में दिया गया है। यह पाया गया है कि जनसंख्या का अधिकतम भाग अन्य पिछडा वर्ग से सम्बन्धित है जो कि कुल जनसंख्या का 51.3 प्रतिशत है, जबकि सामान्य वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 42.3 प्रतिशत है। कुल आच्छादित क्षेत्र की जनसंख्या का, अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बंधित जनसंख्या केवल 6.2 प्रतिशत है।

तालिका 11ः परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का जाति विवरण

गांव का नाम	कुल प्रभावित आवास	जाति विवरण(परिवार वार)			
		सामान्य	अन्य पि0वर्ग	अनु0जाति	अनुजन0जा0
रगड़गांव	1	—	1	—	—
घुड़साल गांव	24	18	2	4	—
सौंदणा गांव	17	1	15	1	—
प्लेड गांव	8	7	1	—	—

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.4 व्यवसायिक विवरणः

क्षेत्र के आर्थिक विकास में भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत, व्यापार और नियोजन, उद्योग एवं जनशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सम्बंधित तहसील क्षेत्र का व्यवसायिक विवरण तालिका 12 में दिया गया है–

तालिका 12ः परियोजना प्रभावित कुटुम्बों का व्यवसायिक विवरण

व्यवसाय	रगड़गांव	घुड़साल गांव	सौंदणा गांव	प्लेड गांव	कुल
श्रमिक	0	20	3	2	25
मुख्य कृषक	4	95	120	30	245
निजी सेवा	0	9	3	2	40

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

यह पाया गया है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कुल मुख्य कृषक 245 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत है। श्रमिकों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत है। 2.7 प्रतिशत जनसंख्या निजी क्षेत्र की नौकरियों में सहयुक्त हैं। अवशेष 44.3 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है। व्यवसायिक विवरण बहुत खराब है, 44 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गैर–श्रमिक है। मुख्य व्यवसाय कृषि है और क्षेत्र में आय का इससे अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नही है। प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत श्रमिकों के आंकड़े से ज्ञात होता है कि अधिकांश श्रमिक पुरूष है और बहुत ही कम प्रतिशत महिलाओं का है।

5.5 कृषिः

प्रभावित क्षेत्र में उगने वाली मुख्य फसल खरीफ में सब्जियां और रबी में गेहूं है जिसमें से लगभग कुल फसल क्षेत्र क्रमशः 45 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त क्रमशः खरीफ और रबी में उगाई जाने वाली 9 प्रतिशत मटर/बीन्स की है और 6 प्रतिशत मात्र अन्य फसलों की है। अधिकतर सिचाई सतही जल स्रोत से है और शेष वर्षा जल पर निर्भर है। प्रभावित क्षेत्र की फसल रीति का विवरण तालिका 13 में दिया गया है। यह पाया गया है कि खरीफ में सब्जियां और और रबी में गेहूं क्षेत्र का मुख्य उत्पादन है। वर्षा आधारित फसलों के अधीन फसल बहुत कम और भिन्नता में होती है।

तालिका 13: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में फसल विवरण

फसल	देहरादून जिला	टिहरी गढ़वाल जिला		
	प्लेड	सौंदणा	रगड़गांव	घुड़साल गांव
मक्का	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
शिमला मिर्च	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
हल्दी	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
गेहूं	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
मटर	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ
बीन्स	हॉ	हॉ	हॉ	हॉ

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

ग्रामीण फसल रीति का अनुसरण करते हैं और कृषि फसलों के बजाय अधिक सब्जियां उगाते हैं। प्रभावित क्षेत्र में एक एन0जी0ओ0 द्वारा क्षेत्र के कृषकों के कृषि सम्बन्धित ज्ञानवर्धन हेतु नैनीताल का भ्रमण कराया गया एवं उनके द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों के कारण क्षेत्र के कृषक जैविक कृषि को वरीयता देते है। कृषि के अधिकतर भाग प्रकृति और उस पर निर्भर है एवं कार्य उतपाद रायपुर और देहरादून बाजार के निकट बेचे जाते हैं।

5.6 शिक्षा विवरणः

प्रभावित क्षेत्र में शैक्षिक विवरण उपलब्ध हैं इसमें आंगनबाड़ी (कक्षा 1 से 5 तक के लिए) प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल इत्यादि हैं। (कक्षा 6 से 12 तक के लिए) रगड़गांव में इण्टर कालेज स्थापित है किन्तु प्रभावित क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त नही है। ग्रामीण बेहत्तर शिक्षा सुविधा के लिए देहरादून तक की यात्रा करते हैं। शिक्षा विवरण तालिका 14 में दिया गया है–

तालिका 14: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा विवरण

गांव का नाम	आंगनबाढ़ी	प्राथमिक स्कूल	इण्टर कालेज	कालेज	प्रौढ साक्षरता केन्द्र
हिलांशवाली	1	1	0	0	0
सौंदणा	1	1	0	0	0
प्लेड	0	0	0	0	0
रगड़गांव	1	1	0	0	0
घुड़साल गांव	1	1	0	0	0

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.7 स्वास्थ्य सुविधायें

तालिका 15: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थय सुविधाएं

गांव का नाम	आंगनबाड़ी	एलोपैथिक अस्पताल	जच्चा–बच्चा कल्याण केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
हिलांशवाली	1	0	0	0
सौंदणा	1	0	0	0
प्लेड	0	0	0	0
रगड़गांव	1	0	0	0
घुड़साल गांव	1	0	0	0

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.8 वित्तीय सुविधायें:

प्रभावित क्षेत्र के गांव में उपलब्ध वित्तीय संस्थाओं का विवरण गांव वार तालिका 16 में दिया गया है। यह पाया गया है कि किसी भी गांव में बैंक/ जमा समितियां उपलब्ध नहीं है। अतः ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए काफी दूरी तक यात्रा करते हैं। इसमें से निकटतम कुमाल्डा 10 किलोमी0 है जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कॉपरेटिव स्टेट बैंक की शाखाएं है।

तालिका 16: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में वित्तीय संस्थाएं

गांव का नाम	बैंकिग सुविधाएं	व्यवसायिक बैंक	जमा समितियां	कृषि जमा समितियां
हिलांशवाली	0	0	0	0
सौंदणा	0	0	0	0
प्लेड	0	0	0	0
रगड़गांव	0	0	0	0
घुड़साल गांव	0	0	0	0

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.9 विस्थापितों की वित्तीय आय और शैक्षिक स्तरः

विभिन्न आय समूह में निवास करने वाले कुटुम्बों की सभी श्रेणियों के आर्थिक और शैक्षिक स्तर की सम्पूर्ण विवरण नीचे तालिका संख्या 17 में उल्लिखित की गयी है।

क– घुड़साल गांव

- यहां दो कुटुम्ब सामान्य वर्ग के हैं जिनकी वार्षिक आय 5000 से कम है।
- यहां तीन कुटुम्ब सामान्य वर्ग के हैं जिनकी आय समूह 10000 से 15000 के मध्य है।
- यहां 15 समान्य वर्ग और 4 अनु0जाति के कुटुम्ब हैं जिनकी आय 30000 वार्षिक से अधिक है।

ख– रगड़गांव'

- यहां एक अन्य पिछडा वर्ग का परिवार है जिसकी वार्षिक आय 5000 से कम है।

ग– प्लेड गांव

- यहां सामान्य वर्ग के 04 परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 5000 से कम हैं
- यहां 4 समान्य वर्ग के कुटुम्ब हैं जिनकी आय 30000 वार्षिक से अधिक हैं।

घ– सौंदणा गांव

- यहां कुल 13 परिवार हैं जिसमें 1 समान्य, एक अनु0जाति तथा 11 अन्य पिछडावर्ग के हैं जिनकी आय 30000 वार्षिक से अधिक है।

तलिका 17: परियोजना प्रभावितों की आय और शैक्षिक स्तर

गांव का नाम	आय वर्ग														
	क < 5000			ख 5000–10000			ग 10000–18000			घ 18000–30000			ड. >30000		
	अनु. जा.	अ. पि. व.	सामा.	अनु. जाति	अ0पि0	सामा0	अनु. जाति	अ0पि0	सामा0	अनु. जाति	अ0पि0	सामा0	अनु. जाति	अ0पि 0	सामा0
घुड़साल गांव	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	15
रगड़गांव	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्लेड गांव	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
सौंदणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.10 प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर गांवों का जनसांख्यकीय विवरण

तालिका 18 प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर गांवों का जनसांख्यकीय विवरण

विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम	गांव का कुल क्षेत्र है0में	कुल जनसंख्या (2011 की जनगणना)	कुल आवासधारी (2011 की जनगणना)
रायपुर	अखण्डवाली भिलांग	348.8	527	93
	द्वारा	1104.7	1500	274
	थेवा	142.2	801	164
	प्लेड	296	139	27
जौनपुर	सेरा गांव	51.1	225	34
	कुण्ड	175.3	309	46
	डांडा गांव	42.3	58	9
	चिफाल्डी लग्गा	87.5	109	17
	तोल्याकाटल	61.4	95	17
	ऐरल गांव	97.3	116	19

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.11 प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर शैक्षिक सुविधाएं

तलिका 19: प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर शैक्षिक सुविधाएं

विकास खण्ड का नाम	गांव का नाम	उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की संख्या (यदि गांव में उपलबध नही है तो दूरी जैसे क के लिए 5 किलोमी., ख के लिए 5से 10 किमी0 और ग के लिए 10 से अधिक किलोमी. में निकटतम स्थान जहां सुविधा उपलब्ध है)						
		पूर्व प्राथमिक वि0	प्रा0वि0	जूनियर हाई स्कूल	मा0स्कूल	वरि0 मा0वि0	अनौपचारिक प्रशिक्षण केन्द्र	दिव्यांगों के लिए विशेष छूट
रायपुर	अखण्डवाली भिलांग	क	1	1	क	क	ग	ग
	द्वारा	क	1	1	1	क	ग	ग
	थेवा	1	1	1	1	1	ग	ग
	प्लेड	ग	1	ग	ख	ख	ग	ग
जौनपुर	सेरा गांव	ग	1	क	क	ग	ग	ग
	कुण्ड	ग	1	ख	ख	ग	ग	ग
	डांडा गांव	ख	1	ख	ग	ग	ग	ग
	चिफाल्डी लग्गा	ख	1	ख	ख	ग	ग	ग
	तोल्याकाटल	क	क	क	ख	ग	ग	ग
	ऐरल गांव	ग	1	ख	ख	ग	ग	ग

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.12 प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर चिकित्सा सुविधाएं

तलिका 20: प्रतिरोधी क्षेत्र के भीतर चिकित्सा सुविधाएं

गांव का नाम	उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की संख्या (यदि गांव में उपलबध नही है तो दूरी जैसे क के लिए 5 किलोमी., ख के लिए 5से 10 किमी0 और ग के लिए 10 से अधिक किलोमी. में निकटतम स्थान जहां सुविधा उपलब्ध है)							
	सामु. स्वास्थ्य केन्द्र	प्रा0स्वा. केन्द्र	प्रा0स्वा0उपकेन्द्र	जच्चा बच्चा कल्याण केन्द्र	दवाखाना	पशु अस्पताल	सचल स्वास्थ्य केन्द्र	पारिवारिक कल्याण केन्द्र
अखण्डवाली भिलांग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	1
द्वारा	ग	ग	1	ग	ग	ग	ग	ग
थेवा	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग
प्लेड	ग	ग	ख	ग	ख	ख	ख	ग
सेरा गांव	ग	ग	1	ग	ग	ग	ग	ग
कुण्ड	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	1
डांडा गांव	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग
चिफाल्डी लग्गा	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ख
तोल्याकाटल	ग	ग	ग	ख	ग	ग	ग	क
ऐरल गांव	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	क

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.13 प्रतिरोधी क्षेत्र में गैर सरकारी सुविधाओं का विवरण

तालिका 21: प्रतिरोधी क्षेत्र में गैर सरकारी सुविधाओं का विवरण

गांव का नाम	पूर्त गैर सरकारी अस्पताल	एमबीबीएस डिग्री वाला डाक्टर	डिग्री वाला डाक्टर	बिना डिग्री वाला डाक्टर	पारम्परिक डाक्टर और विश्वापात्र	दवाईयों की दुकान
अखण्डवाली भिलांग	0	0	0	0	0	0
द्वारा	0	0	0	0	0	0
थेवा	0	0	0	0	0	0
प्लेड	0	0	0	0	0	0
सेरा गांव	0	0	0	0	0	0
कुण्ड	0	0	0	0	0	0
डांडा गांव	0	0	0	0	0	0
चिफाल्डी लग्गा	0	0	0	0	0	0
तोल्याकाटल	0	0	0	0	0	0
ऐरल गांव	0	0	0	0	0	0

स्रोतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण।

5.14 प्रतिरोधी क्षेत्र में पेयजल सुविधा/स्रोतों की उपलब्धता

तलिका 22: प्रतिरोधी क्षेत्र में पेयजल सुविधा/स्रोतों की उपलब्धता

गांव का नाम	विभिन्न प्रकार की सुविधाएं						
	टेप वाटर	वैल वाटर	हैण्ड पम्प	टयूबवैल/बोर वैल	स्प्रिंग	नदी/नहर	तालाब
अखण्डवाली भिलांग	हां	नही	नही	नही	नही	हा	नही
द्वारा	हां	हां	हां	नही	नही	हां	नही
थेवा	हां	नही	नही	नही	नही	हां	नही
प्लेड	हां	नही	नही	नही	नही	नही	नही
सेरा गांव	नहीं	नही	नही	हां	नही	हां	नही
कुण्ड	हां	नही	हां	नही	नही	नही	नही
डांडा गांव	हां	नही	हां	नही	नही	नही	नही
चिफाल्डी लग्गा	हां	नही	हां	नही	नही	नही	नही
तोल्याकाटल	हां	नही	हां	नही	नही	हां	नही
ऐरल गांव	हां	नही	हां	नही	नही	नही	नही

6. परियोजना की जागरूकता, उपलब्धि और सामाजिक समाघातः

6.1 जागरूकता स्तरः

प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना की जागरूकता के बारे में यह अवधारणा है कि अधिकतर प्रभावित और गैर प्रभावित निवासी प्रस्तावित परियोजना के प्रति जागरूक हैं। सूचना का मुख्य स्रोत ग्रामीण प्रतिनिधियों और स्थानीय विधायक, उत्तराखण्ड सिचाई विभाग के अधिकारियों, समाचार पत्रों और टेलीविजनों तथा उत्तराखण्ड के मा0 मुख्यमंत्री की यात्रा , जिला मजिस्ट्रेट टिहरी द्वारा आयोजित बैठक, उपजिलाधिकारी और स्थानीय परामर्शियो/ गैर शासकीय संगठनों द्वारा परियोजना के लिए आंकडे संकलित करने के फलस्वरूप है।

6.2 परियोजना प्रभावित कुटुम्बों और अन्य ग्रामीणों की उपलब्धियांः

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उल्लिखित विभिन्न हकों के सम्बंध में प्रभावित कुटुम्बों की आशा और संदर्भों को जानने के लिए यह अध्ययन आयोजित किया गया है। तदनुसार उनके पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन के सम्बंध सभा प्रभावित कुटुम्बों से उनकी प्राथमिकताओं या इच्छा को जानने के लिए सर्वेक्षण के दौरान एक प्रयास किया गया। इसके पीछे मुख्य उददेश्य यह था कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार की प्रक्रिया को सहभागी एवं लोकोन्मुख बनाया जा सके। प्रत्येक और सभी प्रभावित कुटुम्बों से इसके लिए बरीयता देने के लिए सम्पर्क और बैठकें की गयी हैं। इस संदर्भ में प्रभावित कुटुम्बों की जागरूकता और सदर्भ के स्तर को उल्लिखित किया गया है जिसे सर्वेक्षण के दौरान लोगों से लिया गया है, जिनको नीचे उल्लिखित किया गया है–

- ✓ लगभग 70 से 80 प्रतिशत लोगों ने यह उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित परियोजना के कारण क्षेत्र में सड़कों और अन्य संरचनाओं का सुधार होगा।
- ✓ लगभग 91 प्रतिशत लोगों ने यह उल्लेखित किया है कि यदि परियोजना में उनकी भूमि का अर्जन होता है तो वे भूमि के बदले में भूमि चाहेंगे।
- ✓ लगभग 72 प्रतिशत लोगों ने यह उल्लेखित किया है कि यदि परियोजना में उनकी भूमि का अर्जन होता है तो वे आवास के बदले में आवास चाहेंगे।
- ✓ लगभग 50 से 60 प्रतिशत लोगों ने यह उल्लेखित किया है यदि परियोजना में उनकी भूमि का अर्जन होता है तो वे उपरोक्त दो शर्तों के साथ योग्यता और कुशलता के आधार पर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दिये जाने की मांग करेंगे।
- ✓ लगभग 70 से 80 प्रतिशत लोगों ने यह उल्लेखित किया है यदि परियोजना में उनकी भूमि का अर्जन होता है तो वे रगड़गांव में स्थित विद्यालय को नये स्थान पर स्कूल के सन्निर्माण के लिए उपबंध चाहेंगे।

- ✓ 70 से 80 प्रतिशत लोगों ने यह उल्लेखित किया है यदि परियोजना में उनकी भूमि का अर्जन होता है तो वे रगड़गांव में स्थित शिव मंदिर को अन्य नये स्थान पर पुनः निर्मित करने के उपबंध चाहेंगे।

6.3 सामाजिक समाघात

6.3.1 रोजगार और स्थानीय आर्थिकी पर प्रभाव

सन्निर्माण चरण के दौरान रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी और दीर्घ अवधि में कुशल, अर्द्ध;कुशल और अकुशल कामगारों तथा अभियंताओं आदि की आवश्यकता होगी। सामानों और सेवाओं के लिए स्थानीय व्यापार के अवसर बढेंगे(यथा सन्निर्माण सामग्री, उपस्कर कैम्प के लिए भोजन आदि की व्यवस्था)। परिणामस्वरूप स्थानीय विद्यमान व्यापार में बढोतरी होगी और परियोजना की मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय नये व्यापार स्थापित करेंगे जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बांध क्षेत्र पर्यटन को भी बढावा देगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को अप्रत्यक्ष रूप से बढाने में मदद करेगा।

तालिका 23 प्रभावित क्षेत्र में रोजगार और स्थानीय आर्थिकी पर प्रभाव

समाघात	सन्निर्माण चरण	संचालन चरण
प्रभाव प्रकृति	रोजगार अवसरों और सामान तथा सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।	पर्यटन आकर्षण के रूप में भी सेवा उपलबध होने के फलस्वरूप बांध स्थल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार अवसरों की वृद्धि होगी।
प्रभाव का प्रकार	प्रत्यक्ष प्रभाव है	प्रत्यक्ष प्रभाव है
प्रभाव की अवधि	सन्निर्माण के दौरान अल्प समय के लिए प्रभाव है।	संचालन के दौरान दीर्घ समय के लिए प्रभाव है।
प्रभाव की सीमा	प्रभाव क्षेत्रीय होगा क्योंकि परियोजना स्थानीय ग्रामीणों और गांवों के चारों ओर के निवासियों के लिए सम्भवतया रोजगार अवसरों को उपलब्ध करायेगी।	प्रभाव क्षेत्रीय होगा क्योंकि परियोजना स्थानीय ग्रामीणों और गांवों के चारों ओर के निवासियों के लिए सम्भवतया रोजगार अवसरों को उपलब्ध करायेगी।

6.3.2. भूमि और भूमि आधारित निवासियों पर प्रभावः

सौंग बांध पेयजल परियोजना के सन्निर्माण से ग्रमीणों की कृषि भूमि और घर की भूमि अधिग्रहित हो जायेगी जिससे आय में क्षति होगी। प्रभाव का विस्तार अर्जित की जाने वाली उत्पादक भूमि के अनुपात पर निर्भर करेगा। जब भूमि का अर्जन स्थायी रूप से होगा तब से स्थायी रूप से प्रभाव भी होगा। अतः यह सम्भव है कि कुछ प्रभावित घर या तो अत्याधिक रूप से प्रभावित हो जायेंगे या वे सरकार द्वारा किये जाने वाले अर्जन के पश्चात भूमिहीन हो जायेंगे।

तालिका 24 प्रभावित क्षेत्र में भूमि और भूमि आधारित निवासियों पर प्रभाव

समाघात	सन्निर्माण चरण	संचालन चरण
प्रभाव की प्रकृति	प्रभावित परिवारों के विस्थापन के कारण नकारात्मक प्रभाव होगा। यद्यपि प्रभावित परिवारों के लिए प्रभावी समाघात योजना तैयार की जा रही है और यह समाघात सामान्य कर लिया जायेगा।	परियोजना क्षेत्र में संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के कारण समाघात सकारात्मक होगा।
प्रभाव का प्रकार	प्रत्यक्ष प्रभाव	प्रत्यक्ष प्रभाव
प्रभाव की अवधि	प्रभाव अस्थायी रूप से होगा क्योंकि जिन भूस्वामियों की भूमि अर्जित की जायेगी उसके परिणामस्वरूप आय की क्षति को विस्तृत आर्थिक अवसरों से पूरा किया जा सकेगा।	प्रभाव अस्थायी रूप से होगा क्योंकि जिन भूस्वामियों की भूमि अर्जित की जायेगी उसके परिणामस्वरूप आय की क्षति को गैर कृषि आय और समुचित समाधान योजना से पूरा किया जा सकेगा।
प्रभाव की सीमा	जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है, स्थानीय भूमि स्वामियों पर सीमित समाघात होगा।	जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है, स्थानीय भूमि स्वामियों पर सीमित समाघात होगा।
प्रभाव की आवृत्ति	सम्पूर्ण परियोजना अवधि में।	सम्पूर्ण परियोजना अवधि में।

6.3.3. सामुदायिक संरचना और सेवाओं पर प्रभावः

सन्निर्माण चरण के दौरान स्थानीय क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि (रोजगार के अवसरों और प्रवासन के कारण) से विद्यमान अवसंरचना और सेवाओं पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिये विद्यमान अवसंरचना और सेवाओं की क्षमता में कमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त गांवों के आच्छादन, लोक संरचना जैसे स्कूल, विद्युत वितरण लाईन, सड़क इत्यादि प्रभावित होंगे।

पूजा के स्थल, शवदाह स्थान, पशुओं के लिए चारागाह भूमि भी प्रभावित होंगे, यद्यपि संरचना के नकारात्मक प्रभावों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु उचित प्रबंधन किया जा सकता है। यद्यपि विस्तार के मामले में यह प्रभाव स्थानीय हो सकता है और यह प्रभाव अल्प अवधि के लिए हो सकता है। इन कारणों से समाघात नकारात्मक और सूक्ष्म आंकलित किया गया है।

संचालन चरण में काम की संख्या में कटौती होगी और इसलिए स्थानीय संरचना पर दवाब कम होगा तथा संरचनात्मक विकास हो पायेगा। इसके साथ ही संरचना के विकास के लिए समुचित योजनाएं मदद करेंगी तथा संरचना और सेवाओं पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव की क्षतिपूर्ति की जा सकेगी। इस प्रभाव को भी नकारात्मक और सूक्ष्म आंकलित किया गया है।

तालिका 25 प्रभावित क्षेत्र में सामुदायिक संरचना और सेवाओं पर प्रभाव

समाघात	सन्निर्माण चरण	संचालन चरण
प्रभाव की प्रकृति	सामुदायिक संरचना पर दवाब बढेगा इसलिए प्रभाव नकारात्मक होगा।	संचालन चरण में क्षेत्र में जनबल घटेगा इसलिए स्थानीय संरचना पर प्रभाव घटेगा। अतः प्रभाव सन्निर्माण चरण की अपेक्षा नकारात्मक किन्तु सूक्ष्म होगा।
प्रभाव का प्रकार	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष
प्रभाव की अवधि	अल्पकालिक	अल्पकालिक
प्रभाव की सीमा	स्थानीय ग्रामीण	स्थानीय ग्रामीण
प्रभाव का पैमाना	लघु	लघु
प्रभाव की आवृत्ति	सन्निर्माण चरण के दौरान कम आवृत्ति का प्रभाव होगा।	सन्निर्माण चरण के दौरान कम आवृत्ति का प्रभाव होगा।

6.3.4 सामाजिक ताने बाने पर प्रभावः

हालांकि रोजगार एक सकारात्मक आर्थिक लाभ है, यह कई संभावित नकारात्मक सामाजिक प्रभावो को भी प्रस्तुत करता है। निर्माण कार्यबल का एक अंश स्थानीय गांवों से आयेगा। अतः परियोजना से सम्बन्धित रोजगार के अवसरों के कारण स्थानीय श्रमिकों की आवाजाही होगी, जिससे स्थानीय कौशल में कमी आयेगी। क्षेत्र में नये लोगों के आगमन से जातीयता और धार्मिक मूल्यों में अन्तर जैसे सामाजिक मुद्दे प्रकट को सकते है। परियोजना में बाहरी लोगों के द्वारा सफलातापूर्वक स्थान प्राप्त करने से स्थानीय लोगों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है। चूंकि कार्यबल मुख्यतः आवास शिविरों के भीतर निवास करेगा, अतः बाहरी कार्यबल और स्थानीय ग्रामीणों के बीच सामुदायिक संघर्ष की सम्भावना न्यून हो जायेगी, जिससे कि यह प्रभाव भी न्यून हो जायेगा।

तालिका 26 प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव

समाघात	सन्निर्माण चरण	संचालन चरण
प्रभाव की प्राकृति	नकारात्मक (उपर्युक्त प्रस्तर में संदर्भित)	नकारात्मक (उपर्युक्त प्रस्तर में संदर्भित)
प्रभाव का प्रकार	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष
प्रभाव की अवधि	प्रभाव अल्पकालिक होगा	प्रभाव अल्पकालिक होगा
प्रभाव की सीमा	स्थानीय ग्रामीण	स्थानीय ग्रामीण
प्रभाव की आवृत्ति	सन्निर्माण चरण के दौरान कम आवृत्ति का प्रभाव होगा।	सन्निर्माण चरण के दौरान कम आवृत्ति का प्रभाव होगा।

6.3.5 सांस्कृतिक विरासत पर प्रभावः

परियोजना क्षेत्र में कोई प्राचीन सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित नही है। इसका कोई चिन्ह् नहीं मिला है कि परियोजना स्थल के भीतर कोई सांस्कृतिक विरासत स्थित है।

6.3.6. लिंग आधारित प्रभावः

अधिकांश परिवारों में महिला सदस्य भी परिवार की आय का समर्थन करने के लिये कार्य बल में सक्रिय रूप से भाग लेती है। परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से परिवार की आय में वृद्वि होगी। इस कारण परिवार में महिलाओं की स्थिति सृदृढ़ होगी। अतः इस कारण से सामाजिक ढ़ाचे में महिलाओं के लिये एक समान स्थान निर्मित हो पायेगा।

7. प्रभावित कुटुम्बों का निर्धारण और संख्या तथा सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए लिए निर्धारण

7.1 परियोजना प्रभावित कुटुम्बों, भूमि और सम्पतियों का चिन्हीकरणः

परियोजना प्रभावित परिवारों की सम्पति और भूमि के अर्जन और भूमि के विर्निधारण किये जाने के लिए भूमि के मात्रात्तमक एक प्रारम्भिक क्षेत्र सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि के अर्जन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले तीन परियोजना प्रभावित गांव जिला टिहरी के तथा एक गांव जिला देहरादून का है जिसका क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया। दिनांक 15.12.2018,18.12.2019 और 16.01.2020 को विभिन्न तारीखों में प्रभावित परिवारों और ग्रामीणों के साथ कई बैठकें आयोजित की गयी थी। एक बैठक जिला मजिस्ट्रेट टिहरी और अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 31.07.2019 को सौंग बांध के सन्निर्माण के फलस्वरूप चार गांवों के ग्रमीणों एवं लोक प्रतिनिधियों के साथ उनके द्वारा उठाये गये पहलुओं के पुनर्विलोकन के लिए आयोजित की गयी थी। दिनांक 31.07.2019 को आयोजित बैठक की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट टिहरी द्वारा अपने पत्र संख्या 901/41–08/2018–19 दिनांक 08.08.2019 को सचिव, सिंचाई विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। क्षेत्र और राजस्व विभाग से आंकडे संकलित करने के पश्चात तालिका के रूप में निम्नवत सारांक्षित कर आर एण्ड आर योजना की विभिन्न सूचनाएं तैयार की जायेगी।

7.2 प्रभावित गांवों और भूमि का विवरणः

तालिका 27 प्रभावित गांवों और भूमि का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	जिला	प्रभावित निजी भूमि है0 में	भूमि हकदारियों (खातेदारों) की संख्या	प्रभावित व्यक्तियों की संख्या
1	प्लेड गांव	देहरादून	2.061	05	25
2	घुड़साल गांव	टिहरी गढ़वाल	4.316	80	141
3	रगड़गांव	टिहरी गढ़वाल	0.123	1	3
4	सौंदणा गांव	टिहरी गढ़वाल	3.818	64	106
	योग		10.318	150	275

स्रोत उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग। दिनांक 31.01.2019 के आंकडे।

7.3. सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए अपेक्षित निजी भूमि

तालिका 28 सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए अपेक्षित निजी भूमि

क्र.सं.	गांव का नाम	अपेक्षित निजी भूमि (है0 में)		
		जलमग्नता के लिए	संरचना और अन्य उपयोगों के लिए	योग
जिला देहरादून				
	प्लेड गांव	2.061	0	2.061
जिला टिहरी				
1	घुड़साल गांव	4.316	0	4.316
2	रगड़गांव	0.123	0	0.123
3	सौंदणा गांव	0	3.818	3.818
	कुल	4.439	3.818	8.257
	कुल योग	6.500	3.818	10.318

7.4. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में आवासों, सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि की संख्याः

तालिका 29: परियोजना प्रभावित क्षेत्र में आवासों, सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि की संख्या

क्र.सं.	गांव का नाम	आधारिक संरचना										
		पक्के घर	कच्चे घर	मंदिर	घराट	रा0इ0 कॉ0	पुल	विद्युत सुविधाए		पेयजल		सिंचाई सुविधाएं
								एलटी लाईन	एचटी लाईन (11KW)	मुख्यजल पाईपलाईन	संवितरण जल पाईप लाईन	नहर
संख्या में									किमी0 में	मी0 में		
जिला देहरादून	प्लेड	3	3	0	0	0	0					
जिला टिहरी												
1	घुड़साल गांव	13	0	0	0	0						
2	रगड़गांव	7	1	1	0	1	2	2.50	8.00	5500.00	3500.00	2500.00
3	सौंदणा	15	7	4	1	0	0					
कुल योग		38	11	5	1	1	2	2.50	8.00	5500.00	3500.00	2500.00

स्रोत उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

7.5. प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रभावित निजी भूमियों, सम्पतियों और लोक संरचनाओं का संक्षिप्तिकरणः

प्रभावित क्षेत्रों में किये गये प्रारंभिक सर्वेक्षण तथा क्षेत्र और राजस्व विभाग के आंकडों की सहायता के अनुसार यह अनुमानित है कि बांध संरचना और उसके सहयोगी स्थल के लिए लगभग 10.318 हैक्टेयर निजी भूमि जिसमें 150 की संख्या भू–स्वामियों की है और 275 की संख्या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की है, प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त 38 की संख्या में पक्के घर, 11 की संख्या में कच्चे घर, 5 की संख्या में मंदिर, 1 की संख्या में घराट, 1 की संख्या में राजकीय इण्टर कॉलेज, 2 की संख्या में पुल प्रभावित होंगे। सौंग बांध में सन्निर्माण द्वाराप्रभावित होने वाले 2.50 किमीटर की एलटी लाईन, 8.00 किलोमी0 की एचटी लाईन, 5.5 किलोमीटर की मुख्य जल पाईप लाईन और 3.5 किमी0की संवितरण जल पाईप लाईन तथा 2.5 किमी0 की सिंचाई सुविधाएं (नहर) आयेंगी।

8. सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजनाः

भूमि अर्जन, प्रभावित परिवारों द्वारा स्वामित्व वाले सम्पतियां तथा औद्यानिक/ वृक्षों सहित विस्थापित परिवारों को भुगतान किये जाने के लिए उपबंध और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार प्राथमिक सुविधाओं इत्यादि के लिए उपबंध का मूल्य प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु ऋणात्मक सामाजिक समाघात घटाते हुए सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार की गयी है। प्रभावित गांवों के साथ विभिन्न आयोजित बैठकों में उनके द्वारा यह मांग उठायी गयी है कि भूमि के बदले में केवल भूमि दी जाय। कुछ मकान डुबने या क्षतिग्रस्त होने के कारण पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे। सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना उप अध्याय 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 में यथा निम्नवत् आच्छादित किये जा चुके हैं।

8.1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार विचार किये जाने वाले क्षतिपूर्ति के घटकः

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उल्लिखित विभिन्न उपबंध परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को घटाये जाने का उपबंध करते हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार विभिन्न घटक मिलाकर परियोजना प्रभावित कुटुम्बों को दिये जाने वाले न्यूनतम क्षतिपूर्ति पैकेज का निर्माण करते हैं।

8.1.1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार भूस्वामियों हेतु क्षतिपूर्तिः

तालिका 30: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार भूस्वामियों हेतु क्षतिपूर्ति

क्र.सं.	गावं का नाम	अर्जित भूमि (है0)	क्षतिपूर्ति /हरजाना
1	सौंदणा	3.818	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
2	घुड़साल गांव	4.316	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
3	रगड़गांव	0.123	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
4	प्लेड	2.061	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

			पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
	योग	10.318	

स्रोतः उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

8.1.2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 प्रथम अनुसूची के अनुसार प्रभावित कुटुम्बों की अचल सम्पतियों हेतु क्षतिपूर्तिः

तलिका 31: प्रभावित कुटुम्बों की अचल सम्पतियों हेतु क्षतिपूर्ति

क आवास

क्र. सं.	गांव का नाम	पक्के आवासों की संख्या	पक्के आवासों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	कच्चे आवासों की संख्या	कच्चे आवासों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल (वर्गमी0 में)	क्षतिपूर्ति	हरजाना
1	सौंदणा	15	1467.00	07	—	लोक निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्रफल की लागू दरों के अनुसार	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
2	घुड़साल गांव	13	970.00	0	—	लोक निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्रफल की लागू दरों के अनुसार	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
3	रगड़गांव	07	48.00	01	—	लोक निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्रफल की लागू दरों के	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार

						अनुसार	
4	प्लेड	03	123.00	03	—	लोक निर्माण विभाग कुर्सी क्षेत्रफल की लागू दरों के अनुसार	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
	कुल	38	2605	11			

ख– अन्य सम्पतियां

क्र.सं.	गांव का नाम	घराट की संख्या	क्षतिपूर्ति	हरजाना
1	सौंदणा	01	सम्बंधित विभाग द्वारा यथानिर्णित	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार
	योग	01		

8.1.3 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की प्रथम सूची के अनुसार ईधन/ उत्पादन वृक्षों के लिए क्षतिपूर्तिः

तालिका 32: ईधन/ उत्पादन वृक्षों के लिए क्षतिपूर्ति

क्र.सं.	गांव का नाम	वृक्षों की संख्या	एक वृक्ष का अनुमानित मूल्य
1	सौंदणा	116	वन और औद्यानिक विभाग के नियमों के अनुसार
2	घुड़साल गांव	85	वन और औद्यानिक विभाग के नियमों के अनुसार
3	रगड़ गांव	102	वन और औद्यानिक विभाग के नियमों के अनुसार
4	प्लेड	10	वन और औद्यानिक विभाग के नियमों के अनुसार
	कुल	313.00	

8.1.4 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 द्वितीय अनुसूची के अनुसार परियोजना प्रभावित कुटुम्बों के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति

तलिका 33: परियोजना प्रभावित कुटुम्बों के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति

क्र. सं.	घटक	लाभार्थियों की आशायित संख्या				योग	उपबंध
		सौंदणा	प्लेड	घुड़साल गांव	रगड़ गांव		
1	वार्षिक आय या रोजगार की इच्छा	106	25	105	03	239	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय सूची के अनुसार।
2	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु सहायक अनुदान	106	08	35	03	152	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय सूची के अनुसार।
3	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन मूल्य	106	08	35	03	152	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय सूची के अनुसार।
4	शिल्पकार, लघु व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार का अनुदान	07	05	10	09	31	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय सूची के अनुसार।
5	एक बार के लिए पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	106	08	35	03	152	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की द्वितीय सूची के अनुसार।

स्रोत उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग।

8.2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 द्वितीय अनुसूची के अनुसार भूमि के क्रम में खण्ड 8.1.1 के उपबन्धों के अनुसार यदि क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं करायी जानी है।

तलिका 34: भूमि के क्रम में भूमि यदि क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

क्र.सं.	विवरण	उपबंध
1	भूमि के लिए भूमि	समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना/ नीति के अनुसार तैयार की जायेगी।

8.3. सामाजिक समाघात प्राधिकारी की बैठक में लोक मांग को सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना सम्बोधित करने के घटक:

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयारी के दौरान दिनांक 15.12.2018 और 31.07.2019 को आयोजित लोक बैठक में तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अधीन अधिसूचना के पश्चात दिनांक 18.12. 2019 और 16.01.2020 को ग्रामीणों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख विभिन्न अन्य बिन्दुओं पर अपनी बातें रखी गयी।

महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए उपचारिक मापदण्ड निम्नवत हैं––

क्र0स0	मँाग/समस्या	मँाग/समस्या का विवरण	विभागीय राय
1	मोटर/सम्पर्क मार्ग	1. मालदेवता से घुत्तु गंधक पानी वाया द्वारा सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाये।	1–मालदेवता से 12 किमी0 सड़क सन्निर्मित हो चुकी है और अवशेष गंढाक पानी तक की 16 किमी0 की सड़क लोक निर्माण विभाग को शीघ्र निर्माण हेतु संदर्भित की जायेगी।
		2. दुबडी–रगडगांव पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।	2– पीएमजीएसवाई को शीघ्र निर्माण हेतु संदर्भित किया जायेगा।

		3. ग्राम पंचायत बनाली से घुड़सालगांव तक सड़क का निर्माण किया जाये, यह सड़क पूर्व में वन विभाग की आन्तरिक सड़क थी जिसका निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 से कराया जाये।	3– पीएमजीएसवाई को संदर्भित किया जायेगा।
		4. सौंदणा के पास पुल एवं सड़क का निर्माण कर तोल्याकाटल ग्राम सभा को कनेक्ट किया जाये।	4. बांध सन्निर्माण से सम्बंधित गतिविधियों के लिए अस्थाई पुल सन्निर्मित किया जायेगा। स्थाई पुल बनाये जाने के लिए समुचित निकट स्थान हेतु प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
		5. रगड़गांव के लिए सौंग नदी पर पुल का निर्माण किया जाये।	5. संयोजन के प्रयोजन हेतु पुराने विद्यमान लकड़ी के पुल का नवनिर्माण किया जा सकता हैं।
		6. रगडगांव से कुण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क का निर्माण किया जाये।	6. पीएमजीएसवाई को मामला संदर्भित किया जायेगा।
		7. अखण्डवाली भिंलग से सौंधना ग्राम तक वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाये।	7. इस सड़क के सन्निर्माण की योजना दुबड़ी रगड़गांव के पीएमजीएसवाई द्वारा सन्निर्माण के पश्चात् बनाई जानी चाहिये।
2	बेनाप भूमि पर काबिज कास्तकारों एवं व्यवसायियों को क्रमशः भूमि के बदले भूमि एवं	1. बेनाप भूमि/सरकारी भूमि पर काबिज कास्तकारों एवं व्यवसायियों को मुआवजा दिया जाये।	1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात लाभार्थियों का विवरण तैयार किया जायेगा और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

	मुआवजा		अधिनियम की योजना/ नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
		2. ऐसी भूमि जो किसी और के नाम है किन्तु उस पर कोई और के कब्जे में है और काश्तकारी कर रहा है, उसे भी भूमि के बदले भूमि दी जाये।	2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात लाभार्थियों का विवरण तैयार किया जायेगा और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम की योजना/ नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
		3. ऐसी भूमि जो सरकारी है पर प्रभावित परिवार खेती/व्यवसाय कर रहे है उसके बदले ग्रामीणों को पट्टे आंवटित किये जाये।	3. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात लाभार्थियों का विवरण तैयार किया जायेगा और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम की योजना/ नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
3	रोजगार एवं आय सृजन सम्बन्धि मांग	1. बॉध निर्माण के पश्चात झील में व्यवसायिक गतिविधियों में स्थानीय लोगों/प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाये।	1. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के द्वितीय अनुसूची की संख्या 9 के अधीन आच्छादित होगा।
		2. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को रोजगार/सरकारी	2. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

		नौकरी/बॉध निर्माण कार्य में रोजगार दिया जाये।	अधिनियम, 2013 के द्वितीय अनुसूची की संख्या 4 के अधीन आच्छादित होगा।
4	सम्पार्श्विक क्षति का उपचार	1. प्रभावित क्षेत्र के चारागाहों एवं वनो का विस्तारीकरण किया जाये।	1. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तृतीय अनुसूची के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम की योजना/ नीति के भाग के रूप में तैयार किया जायेगा।
		2. बॉध बनने के पश्चात भू–स्खलन से प्रभावित घरों व भूमि को चिन्हित कर समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जाये।	2. भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा विश्लेषण करने के पश्चात विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।
5	सामुदायिक सुविधाओं का पुर्ननिर्माण	1. बॉध से प्रभावित होने वाली सामुदायिक सुविधाओं सड़क, स्कूल, मंदिर, गूल, विद्युत लाइन, पेयजल का पुनर्निमाण किया जाये।	1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार किया जाये।
6	अन्य मांगे	1. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र का उपबंध।	1. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना/ नीति के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।

		2. घुड़साल गांव में नवोदय विद्यालय की स्थापना।	2. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना/ नीति के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।
		3. ग्राम पंचायत घुड़साल गांव को अन्य पिछडा वर्ग का दर्जा दिया जाना।	3. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना/ नीति के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।
		4. पुनर्व्यवस्थापन के पश्चात अन्य पिछडा वर्ग दर्जे के अनुसरण में लाभ उपलब्ध करायेगे।	4. यह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के पश्चात् पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना/ नीति के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।

8.4. लोक सम्पतियों का स्थानांतरण :

तालिका 35: लोक सम्पतियों का स्थानांतरण

क्र. सं.	घटक	मात्रा	इकाई	उपबन्ध
1 विद्युत सुविधाएं				
क	एलटी लाईन	2.50	किलोमीटर	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
ख	एच टी लाईन (11 केवी)	8.00	किलोमीटर	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
2	सिंचाई सुविधाएं			
क	नहर	2500	मीटर	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
3	पेयजल			
क	मुख्य जल पाईप लाईन	5500.00	मीटर	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
ख	संवितरण जल पाईप लाईन	3500.00	मीटर	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
4	राजकीय इण्टरकालेज	1	0	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

				अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
5	मंदिर	5	0	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

9. परिशिष्टः

9.1. बैठकों /परामर्शों के दौरान हितलाभकारियों से कतिपय वार्तालाभः

गांव का नाम	कुटुम्ब के मुखिया का नाम	उत्तरदाता का नाम	संदर्भ संख्या
प्लेड	सतेन्द्र प्रसाद	सतेन्द्र प्रसाद	9627178457
प्लेड	जय सिंह	जय सिंह	9568728618
प्लेड	जगदीश प्रसाद तिवारी	ओम प्रकाश तिवारी	9720323812
प्लेड	रविन्द्र प्रसाद	रविन्द्र प्रसाद	7351834353
प्लेड	सुमित्रादेवी	सुमित्रा देवी	9627965319
प्लेड	नारायण सिंह	नारायण सिंह	8954138108
प्लेड	भरोसा राम	बिमला देवी	8958163170
प्लेड	शकुन्ता देवी	जय प्रकाश	9758042847
घुड़साल	प्रेम सिंह	बलबीर सिंह	9758261510
घुड़साल	राजेन्द्र सिहं	राजेन्द्र सिंह	953628579
घुड़साल	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र सिंह	9720402694
घुड़साल	रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह	9536099216
घुड़साल	चमन सिंह	जगदीश सिंह	9759270056
घुड़साल	जसवन्त सिंह	जगदीश सिंह	9536838319
घुड़साल	सुरेन्द्र सिह	जय सिंह	9675253451
घुड़साल	दीपक सिंह	राजेन्द्र सिंह	9536099216
घुड़साल	धूमसिंह	राजेन्द्र सिंह	9536099216
घुड़साल	राजेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह	9627370784
घुड़साल	शेर सिंह	शेर सिंह	उपलब्ध नही
घुड़साल	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह	8449798220
घुड़साल	सूरवीर सिंह	सूरवीर सिंह	9759308566
घुड़साल	भगवान सिंह	जय सिंह	9536099216
घुड़साल	कमल सिंह	राजेन्द्र सिंह	9675045201
घुड़साल	महेन्द्र सिंह	जगदीश सिंह	9672494675
घुड़साल	हरी सिंह	दीपक	9758261510
घुड़साल	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह	7830357815
घुड़साल	बीरेन्द्र सिह	जय सिंह	9719958572
घुड़साल	ज्ञान सिंह	सुनील सिंह	7251964934
घुड़साल	दर्शन	दर्शन	7251964934
घुड़साल	जयपाल	दर्शन	7830865920
घुड़साल	पंचम सिंह	जयसिंह	9627005805
घुड़साल	मदनलाल	राकेश	9719693686
रगड़गांव	मंजीत सिंह	मंजीत सिंह	8650838839
सौंदणा	सुन्दरलाल	सुन्दरलाल	8449508488
सौंदणा	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह	9756928892
सौंदणा	मोर सिह	दिगम्बर सिंह	9690199093
सौंदणा	कृपाल सिंह	वचनसिंह	7533882299

सौंदणा	सुरेन्द्र सिह	रवीन्द्र सिंह	7500318923
सौंदणा	सुमित्रादेवी	मनोज	8938049670
सौंदणा	बीरेन्द्र सिंह	बीरेन्द्र सिंह	9411173241
सौंदणा	वर्फीदेवी	पदम सिंह	9720660283
सौंदणा	चंदन सिंह	चंदन सिंह	9639275631
सौंदणा	बीर सिंह	बीर सिंह	9690437380
सौंदणा	गजेन्द्र सिंह	हरेन्द्र सिंह	9619901993
सौंदणा	चंदन सिंह	पदम सिंह	9719693686
सौंदणा	महराज सिंह	मंजीत सिंह	9719693686

9.2. सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की गाइड लाइन के अनुसार सामाजिक प्रभाव के अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरी।

सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन एक्ट 2013 की गाईड लाईन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का अध्ययन (Social Impact Assessment Study) हेतु प्रश्नोत्तरी

दिनांक	सर्वे करने वाले का नाम	सुपरवाईजर का नाम

1. सूचना देने वाले का विवरण:–

- **नाम:–** कुँवर सिंह
- **आयु:–** 70 वर्ष
- **पिता/पति का नाम:–** श्री/श्रीमती:– स्व0 ऑपाल सिंह
- **पता:–** गांव का नाम/ग्राम सभा/विकास खण्ड/जिला रंगड़ गांव दि0गा0
- **वैवाहिक स्थिति :–** अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर
- **मोबाइल नं0:–** 885920509
- **क्या परियोजना से प्रभावित है ?** हां [✓] नहीं [x]

2. पहचान पत्र विवरण (यदि देना चाहें):– (आधार कार्ड/वोटर आई0डी/राशन कार्ड/अन्य) :–

3. जाति:– सामान्य/ओ0बी0सी0/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति

4. धर्म:– हिन्दू/मुस्लिम/सिख/ईसाई/अन्य

5. क्या आपको सौंग बांध परियोजना के निर्माण सम्बन्धी जानकारी है ?

हां [✓] नहीं [ ]

यदि हां तो जानकारी का स्रोत

- टेलीविजन द्वारा
- अखबार द्वारा
- सरकारी अधिकारियों द्वारा
- जनप्रतिनिधियों/ ग्रामवासियों द्वारा
- अन्य (विवरण)

Scanned by CamScanner

6.(अ) सूचना देने वाले की धारित कुल सम्पत्ति का विवरणः–

- कुल भूमि (हैक्टेयर/नाली):–
  सिंचित भूमि [ ] असिंचित भूमि [ ]
- भवन/दुकान :–
  रिहायशी भवन :– (कच्चा/पक्का) संख्या [ ]
  व्यावसायिक मकान :– (कच्चा/पक्का) संख्या [ ]
- पशु बाड़ा (संख्या) :– [ ]
- पशु (संख्या) :– [10]
- वृक्ष (संख्या):– [20]
- अन्य सम्पत्ति (यदि कोई हो):–
- आय का मुख्य स्रोतः– कृषि

6 (ब) सूचना देने वाले की सम्पत्ति का विवरण जो कि परियोजना निर्माण से प्रभावित हो रही हो:–

- कुल भूमि (हैक्टेयर/नाली):–
  सिंचित भूमि [ ] असिंचित भूमि [ ]
- भवन/दुकान :–
  रिहायशी भवन :– (कच्चा/पक्का) संख्या [ ]
  व्यावसायिक मकान :– (कच्चा/पक्का) संख्या [ ]
- पशु बाड़ा (संख्या) :– [ ]
- पशु (संख्या) :– [10]
- वृक्ष (संख्या):– [20]
- अन्य सम्पत्ति (यदि कोई हो):– x

7. क्या प्रभावित भूमि/सम्पत्ति आपके नाम से है ? हां [x] नहीं [✓]

यदि नहीं तो भूमि/सम्पत्ति जिसके नाम से रजिस्टर्ड है का विवरणः–

Scanned by CamScanner

8) परियोजना निर्माण से भू–सम्पत्ति प्रभावित होने की स्थिति में पुनर्वास नीति हेतु आपका विकल्प

- सरकार द्वारा निर्धारित नकद मुआवजाः– जमीन के बदले जमीन व मकान के बदले मकान तथा परिवार को रोजगार
- अन्य विकल्प यदि देना चाहेंः– सदस्यों को सरकारी नौकरी

नोटः– उपरोक्त विवरण सूचना देने वाले द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर है।

दिनांकः–31.7.2019
स्थानः– रेंगड़ गांव

सूचना देने वाले का हस्ताक्षर

सर्वेयर/सुपरवाईजर के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रश्नावली			
क्र.सं.	नाम	ग्राम	पुनर्वास विकल्प (सरकारी, नौकरी, घर, दुकान, भूमि, स्थानीय व्यवसाय)
1	सुरेन्द्र सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, दुकान, भूमि, स्थानीय व्यवसाय
2	वैसाख सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
3	कमलादेवी	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
4	पुष्पादेवी	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
5	पदमसिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
6	मनोज	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि, स्थानीय व्यवसाय
7	मोरसिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
8	रविन्द्र सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
9	गोविन्द सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
10	राजेश सिंह	सौंदणा (तोल्या काटल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
11	कृपाल सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
12	वीरेन्द्र सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
13	राजेन्द्र सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
14	हरेन्द्र सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
15	मंजीत सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
16	करनसिंह	सौंदणा (तोल्या काटल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
17	बीरसिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
18	प्रेम सिंह	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा
19	जय सिंह	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा, भूमि
20	मातबर सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
21	दिनेश सिंह	सौंदणा (तोल्या काटल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
22	प्रमोद सिंह	प्लेड (लड़वाकोट)	सरकारी सेवा, भूमि
23	सुरबीर सिंह राना	प्लेड (लड़वाकोट)	सरकारी सेवा, भूमि
24	बीरेन्द्र सिंह	सौंदणा (तोल्या काटल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
25	राकेश	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
26	हीरा सिंह	रगड़गांव (बदाड)	सरकारी सेवा, दुकान, भूमि
27	सतीश सिंह	रगड़गांव (बदाड)	सरकारी सेवा, भूमि
28	कृपाल सिंह	रगड़गांव (बदाड)	सरकारी सेवा, दुकान, भूमि
29	राजेन्द्र सिंह राना	रगड़गांव (बदाड)	सरकारी सेवा,
30	बुद्ध सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
31	राजेश	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
32	मदन	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा, भूमि
33	दिनेश	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
34	दयाल सिह	रगड़गांव (बदाड)	सरकारी सेवा,

35	जगमोहन सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, भूमि
36	पदम सिंह	सौंदणा (टोलिया कटाल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
37	मनीश सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
38	जय सिंह	सौंदणा (टोलिया कटाल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
39	सोना देवी	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, दुकान,भूमि और स्थानीय व्यवसाय
40	रवि पंवार	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
41	अनिल सिह	एरल गांव	स्थानीय व्यवसाय
42	रमेश सिंह	रगड़गांव	मकान, भूमि
43	ओमप्रकाश सिहं	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
44	दिगम्बर सिंह	सौंदणा (टोलिया कटाल)	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
45	भागवत सिहं	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
46	धानसिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
47	सुमनसिंह	घुड़साल गांव	मकान, भूमि
48	विक्रम सिंह	घुड़साल गांव	मकान, भूमि
49	प्रताप सिंह पंवार	रगड़गांव	मकान, भूमि
50	हरी सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
51	प्रेम सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
52	प्रेम सिंह	घुड़साल गांव(कोटी)	मकान, भूमि
53	प्रताप सिंह	सौंदणा	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
54	सुरेश सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
55	अमन सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, भूमि
56	संगीता सोलंकी	रगड़गांव	मकान, भूमि
57	मधुदेवी	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
58	सतीश	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
59	दीपचंद्र सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
60	सुरेन्द्र सिंह	रगड़गांव बदाड़	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
61	हरेन्द्र सिंह	रगड़गांव	सरकारी सेवा, भूमि
62	सुनीता	रगड़गांव	—
63	जय प्रकाश तिवाडी	प्लेड (लड़वाकोट)	सरकारी सेवा, भूमि
64	सोबन सिंह	प्लेड (लड़वाकोट)	सरकारी सेवा, भूमि
65	प्रेम सिंह	प्लेड (लड़वाकोट)	सरकारी सेवा, भूमि
66	घनश्याम कंडारी	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा, मकान, भूमि
67	शेर सिंह पंवार	घुड़साल गांव	भूमि
68	मुकेश सिंह	चिफल्डी	सरकारी सेवा, भूमि
69	हरी सिंह	घुड़साल गांव	सरकारी सेवा

सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रश्नावली का सारांश						
क्र.सं.	सर्वेक्षण में कुल व्यक्तियों की संख्या	ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो केवल क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हैं	ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो सरकारी सेवा के लिए सहमत हैं	ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो मकान और दुकान पर सहमत हैं	ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो भूमि पर सहमत हैं	ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो स्थानीय व्यवसाय पर सहमत हैं
1	69	.	88.41प्रतिशत	72.46 प्रतिशत	91.30 प्रतिशत	5.80 प्रतिशत

9.3. सार्वजनिक बैठकों के दौरान परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के विभिन्न मांग पत्र एवं उपस्थिति पंजिका

ए0

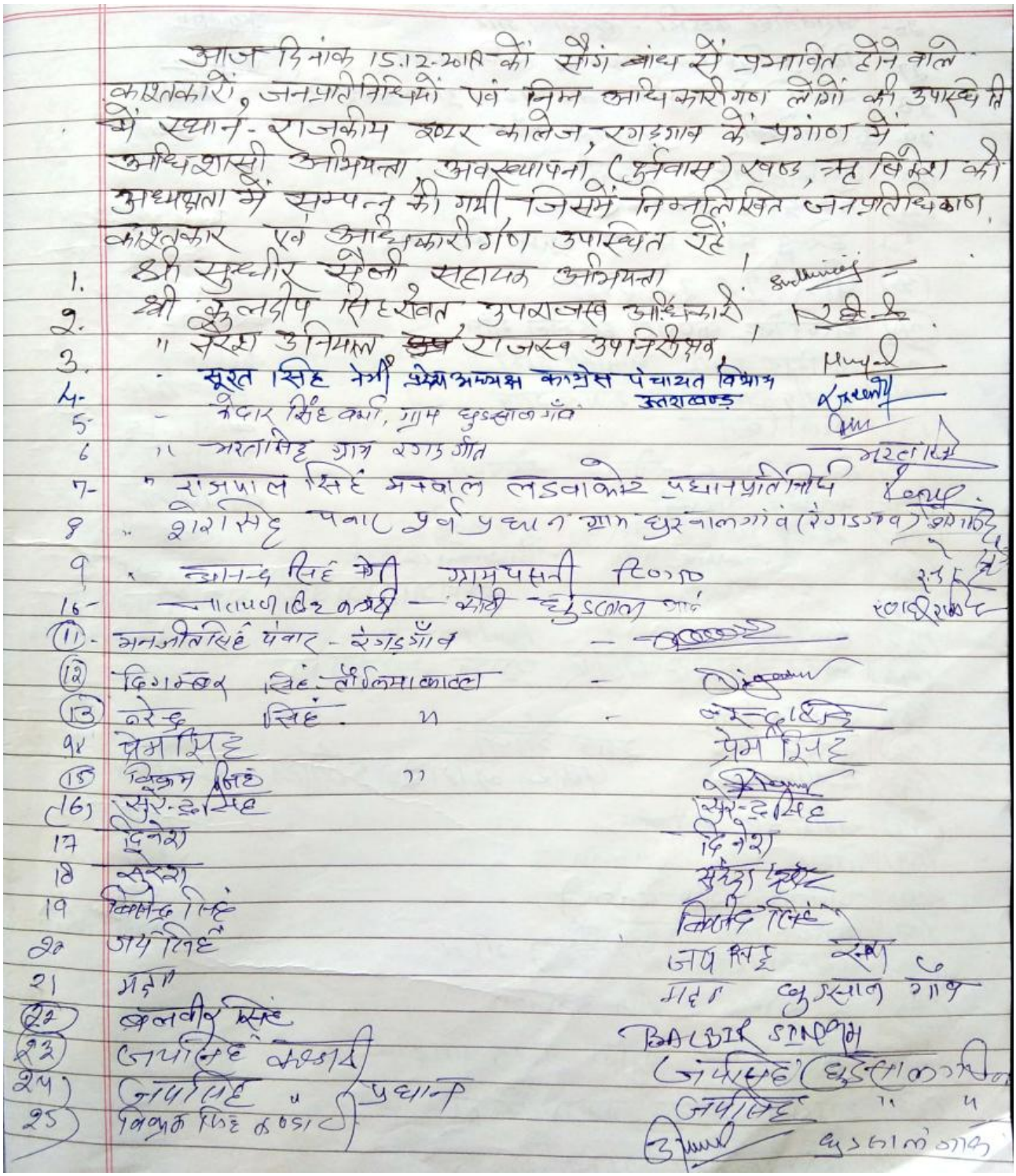

आज दिनांक 15.12.2018 को सौंग बांध से प्रभावित होने वाले काश्तकारों, जनप्रतिनिधियों एवं निम्न अधिकारीगण लोगों की उपस्थिति में स्थान- राजकीय इण्टर कालेज, रगड़गाव के प्रांगण में अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड, न्यू टिहरी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी जिसमें निम्नलिखित जनप्रतिनिधिगण, काश्तकार एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे

1. श्री सुधीर सैनी, सहायक अभियन्ता
2. श्री कुलदीप सिंह रावत, उपराजस्व अधिकारी
3. " सुरेश उनियाल राजस्व उपनिरीक्षक
4. सूरत सिंह नेगी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पंचायत विभाग उत्तराखण्ड
5. केदार सिंह वर्मा, ग्राम घुड़साल गाँव
6. " भरतसिंह ग्राम रगड़गाँव
7. " राजपाल सिंह मनवाल लडवाकोट प्रधान प्रतिनिधि
8. " हीरासिंह पंवार पूर्व प्रधान ग्राम घुड़सालगांव (रंगड़गाव)
9. आनन्द सिंह नेगी ग्रामपसनी [illegible]
10. नारायण सिंह [illegible] — [illegible] घुड़साल गांव
11. मनजीतसिंह पंवार - रंगड़गाँव
12. दिगम्बर सिंह तौलिया काटल
13. नरेन्द्र सिंह "
14. प्रेम सिंह
15. विक्रम सिंह "
16. सुरेन्द्र सिंह
17. दिनेश
18. सुरेश
19. विनोद सिंह
20. जय सिंह
21. मदन — घुड़साल गांव
22. बलवीर सिंह — BALBIR SINGH
23. जयसिंह [illegible]
24. जयसिंह " प्रधान
25. विक्रम सिंह [illegible]

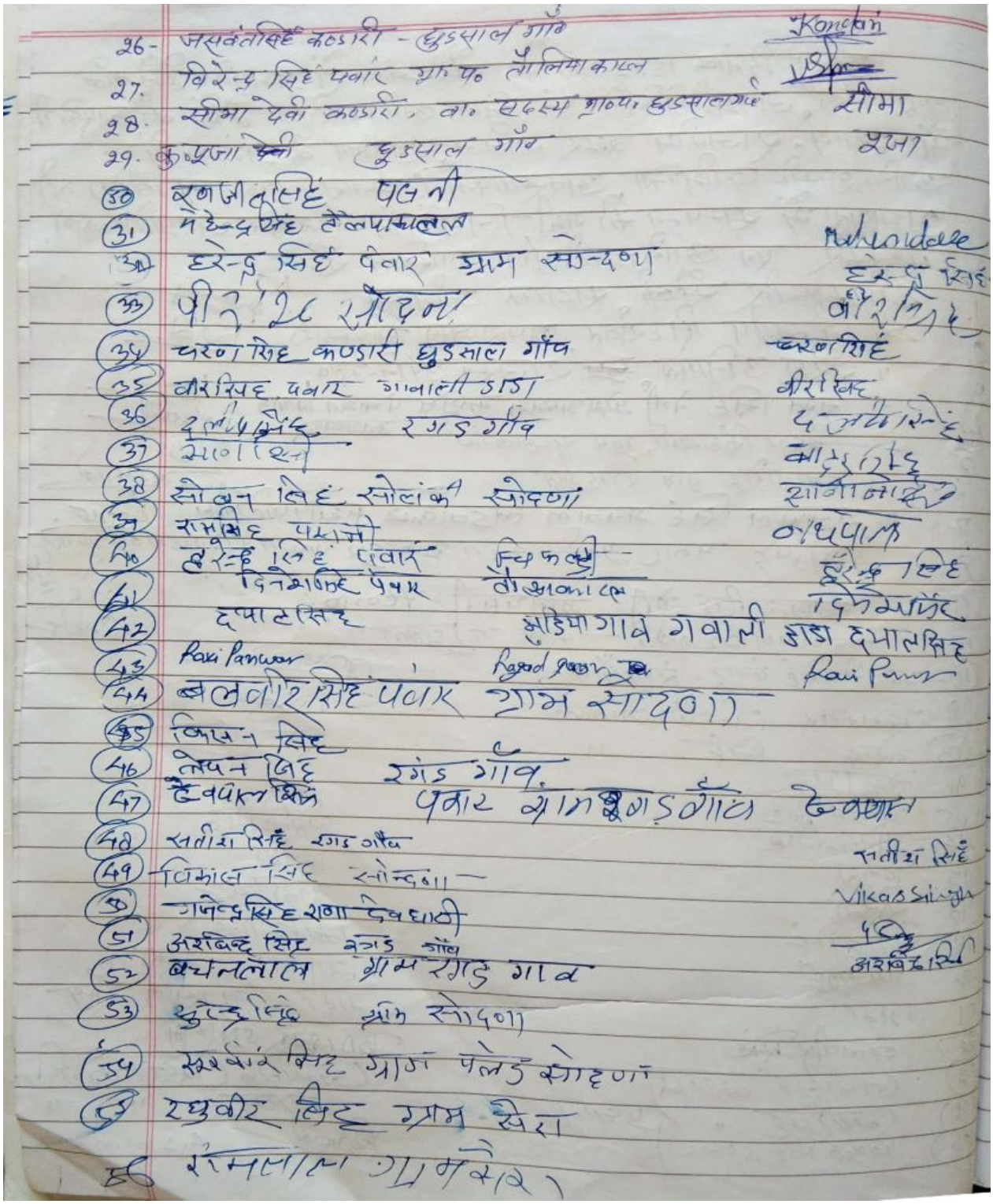

26- जसवंतसिंह कण्डारी - छुड़साल गाँव Kandari
27. विरेन्द्र सिंह पवांर ग्रा॰ प॰ तौलिया काल्ल VSP
28. सीमा देवी कण्डारी, वा॰ सदस्य ग्रा॰प॰ छुड़सालगांव सीमा
29. कु॰ पूजा छुड़साल गाँव पूजा
30 रणजीत सिंह पवनी
31 महेन्द्र सिंह तैलपाकालल mahendra
32 हरेन्द्र सिंह पंवार ग्राम सान्दणा हरेन्द्र सिंह
33 वीरेन्द्र सौदना वीरेन्द्र
34 चरण सिंह कण्डारी छुड़साल गाँव चरणसिंह
35 वीरसिंह पवार गवाली डाडा वीरसिंह
36 दर्शन सिंह रगड़ गाँव दर्शनसिंह
37 आनन्द सिंह आनन्द सिंह
38 सोवन सिंह सोलंकी सोदणा सोवनसिंह
39 रामसिंह पयाली राधपाल
40 हरेन्द्र सिंह पंवार चिफलडी हरेन्द्र सिंह
41 दिनेश सिंह पंवार तौलियाकाल्ल दिनेशसिंह
42 दयालसिंह औडियागांव गवाली डाडा दयालसिंह
43 Ravi Panwar Ragad gaon Ravi Panwar
44 बलवीर सिंह पंवार ग्राम सादणा
45 किशन सिंह
46 तेपन सिंह रगड गाँव.
47 देवपाल सिंह पवार ग्राम रगड गाँव देवपाल
48 सतीश सिंह रगड गाँव सतीश सिंह
49 विकास सिंह सोन्दणा Vikas Singh
50 गजेन्द्र सिंह राणा देवधारी
51 अरविन्द सिंह रगड गाँव अरविंद सिंह
52 बचनलाल ग्राम रगड़ गाव
53 कुलेन्द्र सिंह ग्राम सोदणा
54 सरवीर सिंह ग्राम पेलड सोदणा
55 रघुवीर सिंह ग्राम सेरा
56 रामलाल ग्राम सैरा

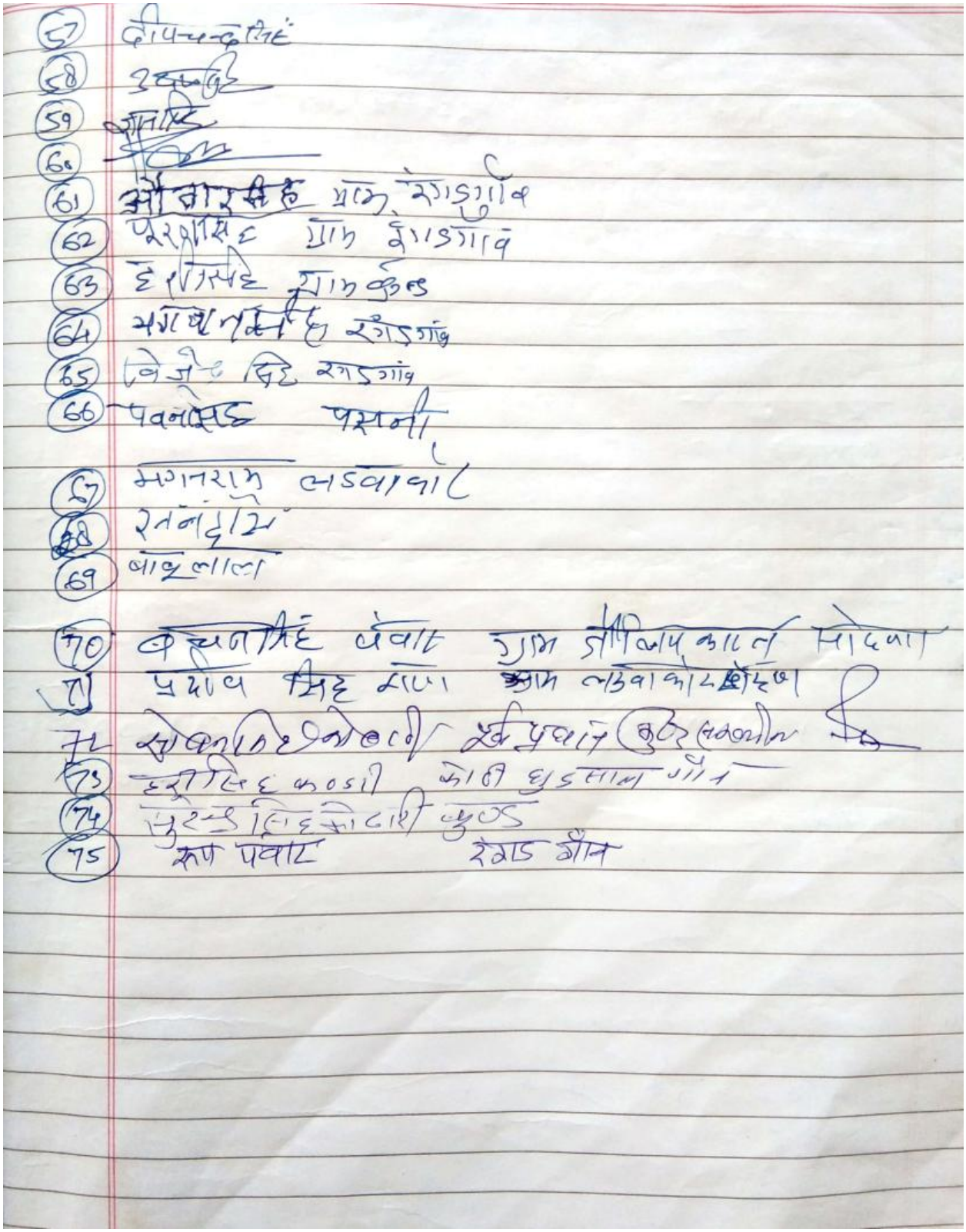

आज दिनांक 31.07.2019 को राजकीय इंटर कालेज, रगड़गांव में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में सौंगबांध परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्राम- रगड़गांव, घुड़साल गाव, सौंधना टिहरी, व सौंधना (प्लेड) देहरादून के परिवारों की समस्याओं की सुनवाई हेतु बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा प्रतिभाग किया गया,

1- ग्राम- सौंधना टिहरी

क्रस०	नाम काश्तकार/ग्रामीण	हस्ताक्षर	मो० नं०
1	जयसिंह		7690034866
2	दिनेश सिंह		8444508488
3	भगवती सिंह		6399857047
4	[illegible] सिंह		8475977376
5	रविन्द्र पंवार		7533882299
6	बचन सिंह		9690199043
7	विरेन्द्र सिंह पंवार		8938049070
8	अवतार सिंह राणा		9412926836
9	हरेन्द्र सिंह		6395374973
10	जगदीश [illegible]		8218029949
11	[illegible]		
12	B.S. Pang		9536277137

ग्राम- धुड़साल गांव

क्र०सं०	नाम काश्तकार/ग्रामीण		हस्ताक्षर	मो० नं०
	शेरसिंह पूर्व प्रधान	ग्राम धुड़साल गांव	शेरसिंह	
	बलवीर सिंह	धुड़साल गांव	B.S. Kan	
	रामसिंह			96270050
	जसवंतसिंह	धुड़साल गांव		9536 8383
	महेन्द्रसिंह	धुड़सालगांव		9675045201
	Omvir			
	सुरवीर			
	दर्शन			
	हरीसिंह			
	जयसिंह			
	रतनसिंह			962721286
	गंभीरसिंह			9758683762
	सुरेन्द्रसिंह			9627370784
	भागचन्द भट्ट	धुड़सालगांव		9927227611
	कलमसिंह			
	दलीप सिंह			
	सम्प्रेश्वर सिंह			9720339985
	Bhoomsingh			9761210357
	राकेश			

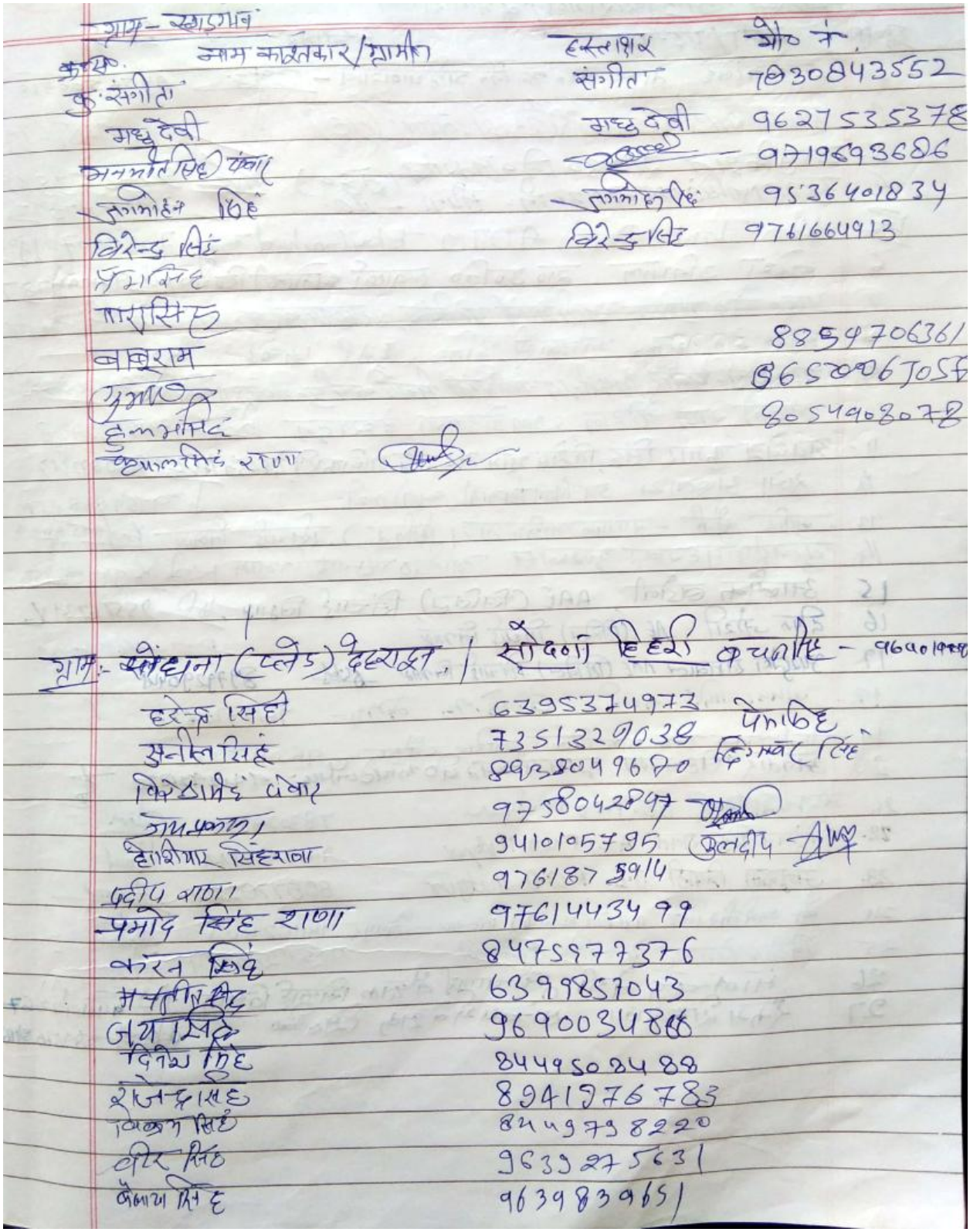

ग्राम – खाड़गांव

क्र.सं. नाम काश्तकार/ग्रामीण	हस्ताक्षर	मो० नं.
कु. संगीता	संगीता	7830843552
मधु देवी	मधु देवी	9627535378
मनमोहन सिंह पंवार	[signature]	9719693686
जगमोहन सिंह	जगमोहन सिंह	9536401834
विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह	9761664913
प्रेमसिंह		
तारासिंह		8859706361
बाबूराम		8650006705[illegible]
[illegible]		8054908078
हुकमसिंह		
कुशालसिंह राणा	[signature]	

ग्राम – सौंधना (प्लेड) देहरादून / सौदणा हिहरी पंचायत – 96401[illegible]

हरेन्द्र सिंह	6395374973	प्रेमसिंह
सुनीलसिंह	7351329038	दिगम्बर सिंह
विरेन्द्र सिंह पंवार	8923049670	
जयप्रकाश	9758042847	[signature]
होशियार सिंह राणा	9410105795	कुलदीप [signature]
प्रदीप राणा	9761875914	
प्रमोद सिंह राणा	9761443499	
करन सिंह	8475977376	
मनवीर सिंह	6399857043	
जय सिंह	9690034866	
दिनेश सिंह	8449508488	
राजेन्द्र सिंह	8941976783	
विक्रम सिंह	8449798220	
वीर सिंह	9639275631	
कैलाश सिंह	9639839651	

31/07/2019

10

समस्त अधिकारीगण / कर्मचारीगण

क्र०	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर	मो० नं०
1	बलदेवसिंह तोमर स० क० नि० अठियालगांव		9456500918
2	हरिअवतारकंडारी ग्रा०वि०अ० डोईवाला (टिहरी)		991755663
3-	रामकिशन स०उ० नि० लेतगांव (टि०ग०)		94565386
4.	रघुबरसिंह स० उ० नि० सौंदना – टि०-		9412487812
5-	Km. Janki Devi ADIO Tehri Garhwal		7055007018
6	नरेश उनियाल स० उ० नि० लवार्का थतोली टि०ग०		941294787
7.	आर० के० गुप्ता, अधीशासी अभियंता, अवस्थापना (पु०) खण्ड, मुनिकीरेती		941214516
8.	आर० के० पन्त, अधिशासी अभि०, I&P सिंचाई		
9.	पी० एस० पवांर अधीशासी अभियंता सिंचाई कार्य पु० खण्ड मुनिकीरेती		9412057336
10.	लक्ष्मी राज चौहान, SDM डोईवाला, देहरादून		9412932428
11-	अवधेश कुमार सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून		8650872147
12	रजा अब्बास उप Mिला अधिकारी, धनोल्टी		9759838037
13	सुधीर सैनी – सहायक अभियन्ता (सिविल), सिंचाई विभाग		97598607 93
14.	कुलदीपसिंहरावत, उपराजस्व अधि० सिंचाई विभाग		9411502850
15	आलोक बडोनी, AAE (सिविल), सिंचाई विभाग		955767346
16	दीपक जोशी, AE, (सिविल), सिंचाई विभाग		9760490266
17	आशुतोष सेमवाल AAE (सिविल) सिंचाई विभाग		8979290445
18-	जयपालसिंह पंवार ग्रा.वि.अ. थत्यूड़		9412920688
19	जीवन लाल आर्य ग्राम विकास अधि० जौनपुर		9634158885
20	अवतार सिंह राणा ग्राम पंचायत वि० अधि० जौनपुर		9412920838
21.	रजनीश कुमार EE. PWD Thatyur		7830291398
22.	निरंजन सिंह रावत A.E. P.WD. Thatyur		9412413744
23.	अनुराग त्रिपाठी J.E. P.W.D. Thatyur		8057702220
24	के०पी० वीरसिंह A.A.E (R.W.D) वि०ख० – जौनपुर		9411521089
25	विनोद सेमवाल स० नि० धनोल्टी		8650209374
26	मोलू चंद नेगी सींचपाल बैराज सिंचाई विभाग		9411512367
27	रुकम सिंह राणा सींचपाल बैराज सिं०वि०		7895663416

12

क्र०	अन्य गणमान्य व्यक्ति नाम / ग्राम / पता	मो० नं०	हस्ताक्षर
(1)	अखिलेश उनियाल सदस्य जिला पंचायत, टि०ग०	8410103736	
(2)	महावीर सिंह रांगड़ अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल विकास निगम	9456590870	Singh
(3)	सुनील सिंह राणा जिला संयोजक भा०ज०पा० टि०ग०	9690872650	
(4)	गजेन्द्र सिंह राणा ग्राम दारू सकलाना	9675445624	
(5)	सूरत सिंह नेगी / श्रीकुन्तला नेगी लोड देहरादून	9690209097	
(6)	प्रसुलाल कड़ुगमा पूर्व ब्लाक प्रमुख टि०ग०	9149331565	
(7)	संजय नेगी (जिलाध्यक्ष) कांग्रेस	9758051388	

आज दिनांक 18.12.2019 को सौंग बांध से प्रभावित होने वाले काश्तकारों, जनप्रतिनिधियों एवं निम्न अधिकारीगण लोगों की उपस्थिति में स्थान - राजकीय इण्टर कालेज, रगड़गांव के प्रांगण में श्री वी०के० पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी, जिसमे निम्नलिखित जनप्रतिनिधिगण, काश्तकार, एवं अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे,

श्री आर० के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता,

1- श्री वी०एस० धरवारियाल, अधिशासी अभियन्ता — श्री रविन्द्र जुआंठा उपजिलाधिकारी धनौल्टी

2. " निजय कान्त मौर्य, अधि० अभि०

3. " सुधीर सैनी, सहायक अभियन्ता

4. " दीपक जोशी, सहायक अभि०

5. " प्रशान्त श्रीवास्तव, सहायक अभि०

6. " गोविन्द कुमार, सहायक अभि०

7. " कुलदीप सिंह रावत, उपराजस्व अधिकारी

8. " सिदांसप सिंह नेगी, तहसीलदार धनौल्टी — तह० धनौल्टी 18.12.19

9. " बलदेव सिंह तोमर, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र मठियाण गांव

10. " नरेश उनियाल, राजस्व उपनिरीक्षक, क्षेत्र ल्वारखा

11. " बालकिशन ग्रा० अधि० भतगांव डोईवाला 9456538697

12. " हरि अवतार सिंह राजस्व निरीक्षक डोईवाला 9917556632

13. " माल चन्द नेगी सींचपर्य वैक्षक

14. कपिल सिंह ऐरला, ग्राम प्रधान सेरा ऐरल गांव

15 दिगम्बर सिंह — तौलिया काटल

16-

17 ओमप्रकाश क्षेत्र पंचायत सदस्य 7986227223

18 Ravi Panwar — ग्राम रगड़ गाँव 8449630156

19 Jaswant Kandari — ग्राम प० घुड़साल गांव 9536838312.

20 जयसिंह कण्डारी — ग्राम " 9627212864

21 उधमसिंह सौर्द — ग्राम सेरा गांव 8006886965

22 भरत सिंह रगड़गाँव पूर्व प्रधान " — रगड़ गाँव 9720660586

23 जगमोहन कण्डारी पूर्व प्रधान " — घुड़साल गांव 9758633762

24 प्रमोद कण्डारी, ग्राम कोटी घुड़साल — 9758265353

25 विरेन्द्र सिंह पंवार पूर्व प्रधान — सौन्दणा तौलिया काटल 8938049690

26- वीर सिंह पंवार — सौन्दणा — 9639275631

27- आनन्द सिंह नेगी ग्राम पहली टिहरी गढ़वाल
28- सुरेन्द्र सिंह भरवाल " लड़वाकोट ९०६७
29 पदमसिंह ग्राम सोदणा 9568099254 पदमसिंह
30- हरेन्द्र सिंह पंवार ग्राम- सोदणा 6395374973
31- तीरथसिंह रावत धौलागिरी 9536413536 [signature]
32 शेरसिंह पूर्व प्रधान रेगड़गांव शेरसिंह
33 प्रेमुलाल कद्दुगा पूर्व ब्लाक प्रमुख [signature]
34 सोहनसिंह ग्राम रेगड़गांव [signature]
35- आशा रावत ग्राम धौलागिरी Asha Devi
9536413536
36 सोमवती कण्डारी ग्राम घुड़सवाल गांव 9761024133 सोमवती कण्डारी
37 अखिलेश उनियाल, पूर्व सदस्य, जिला पंचायत, 8410103736 [signature]
38 सूरत सिंह नेगी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य- कांसीयार
39. बलवीर सिंह 9458261510. 9690209097
B. S. Kandari
40 रामसिंह कण्डारी 9627005807 - रामसिंह
41 पंचम सिंह 9627338423 - पंचमसिंह
42 सुरेन्द्र सिंह सोदणा 7248831719 - सुरेन्द्र सिंह
43 मनजीतसिंह घुड़साल गांव 8057540245 - [signature]
44 ज्ञानसिंह कण्डारी " ज्ञानसिंह
45 रविन्द्र पंवार तौलियाकाटल 9759533251 [signature]
46- विक्रमसिंह पंवार सोदणा — — 9639864573
47 प्रदीप राणा ग्राम पलेठ लड़वाकोट - 9761875414
48 प्रमोद सिंह राणा ग्राम-पलेठ(लड़वाकोट)- 9761443499
49 विरेन्द्रसिंह कोठारी प्रधान कुण्ड 8859810548 [signature]
50 सतीश सिंह रगड़ गांव 9720243546 सतीश सिंह
51 सुरेन्द्र सिंह राणा पू० उपप्रधान रेगड़गांव 9627499002 [signature]
52 विक्रमसिंह पंवार ग्राम सोदणा
53 सोबन सिंह सोलंकी ग्राम लोड सोदणा 9690199093 [signature]
54 दिनेश ग्राम घुड़साल गांव — 963962772
55 किशन सिंह ग्राम सेरा 7251986347 [signature]
56 देवपाल सिंह लड़वाकोट रगड़गांव 9758218044 [signature]
57- महेन्द्र सिंह घुड़साल गांव 9675045183 [signature]
58- सुरेन्द्र सिंह मेहर टिहरी गढ़वाल 9675045201 [signature]
9719350395

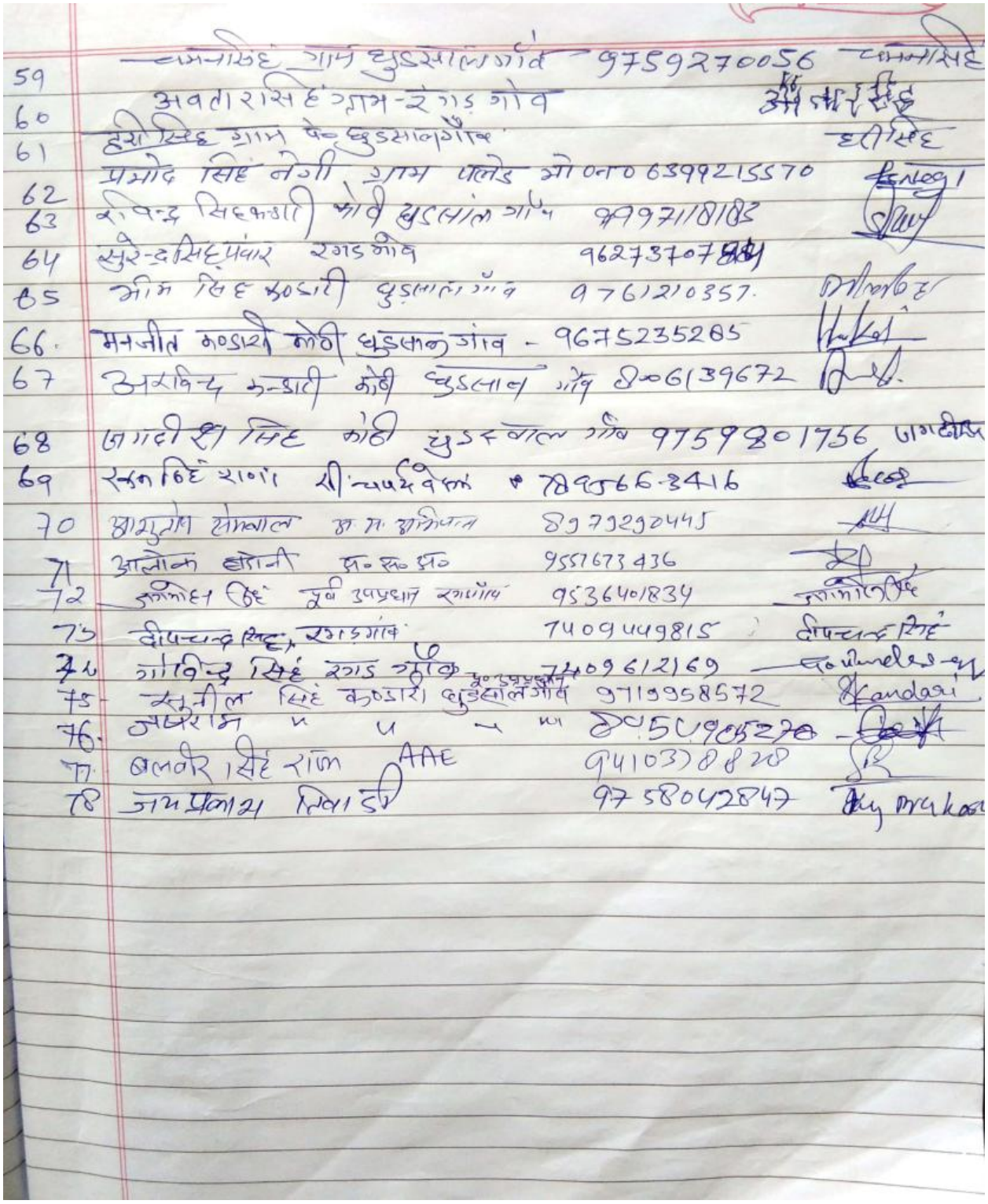

59	चमनसिंह ग्राम चुड़सालगांव	9759270056	चमनसिंह
60	अवतारसिंह ग्राम-रगड़ गांव		अवतार सिंह
61	हरीसिंह ग्राम पो० चुड़सालगाँव		हरीसिंह
62	प्रमोद सिंह नेगी ग्राम पलेड़ मो०नं० 6399215570		[signature]
63	रविन्द्र सिंह कण्डारी कोठी चुड़साल गाँव	9997118183	[signature]
64	सुरेन्द्र सिंह पंवार रगड़ गांव	962737078[illegible]	
65	भीम सिंह कण्डारी चुड़साल गाँव	9761210357	[signature]
66	मनजीत कण्डारी कोठी चुड़साल गांव	9675235285	[signature]
67	अरविन्द कण्डारी कोठी चुड़साल गांव	8006139672	[signature]
68	जगदीश सिंह कोठी चुड़साल गाँव	9759801756	जगदीश
69	रतन सिंह राणा सीं-चपरवैकर	789566-3416	[signature]
70	आशुतोष सेमवाल अ. ग. अभियन्ता	8979290445	[signature]
71	आलोक डोभाल अ० स० अ०	9551673436	[signature]
72	जगमोहन सिंह पूर्व उपप्रधान रगड़गाँव	9536401834	जगमोहन सिंह
73	दीपचन्द सिंह, रगड़गांव	7409449815	दीपचन्द सिंह
74	गोविन्द सिंह रगड़ गाँव	7409612169	[signature]
75	सुनील सिंह कण्डारी चुड़सालगाँव	9719958572	Kandari
76	जबरसिंह " " " "	8954905270	[signature]
77	बलवीर सिंह राणा AAE	9410378828	[signature]
78	जयप्रकाश तिवाड़ी	9758042847	Jay Prakash

आज दिनांक 16.01.2020 को सौंग बांध परियोजना के कार्य हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act 2013) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु धारा 5 के अनुसार प्रभावित होने वाले काश्तकारों, जनप्रतिनिधियों, एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थान राजकीय इण्टर कालेज, रगड़गांव के प्रांगण में श्री एस. सी. द्विवेदी, अपर जिला अधिकारी/प्रशासक सौंग बांध परियोजना, नई टिहरी की अध्यक्षता में सम्पन्न की गयी;

1. श्री वी० के० पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता
2. " आर० के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता
3. " विजय कान्त मौर्य, अधिशासी अभियन्ता
4. " सुधीर सैनी, सहायक अभियन्ता
5. " प्रशान्त श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता 16/1/20
6. " कुलदीप सिंह रावत, उपराजस्व अधिकारी 16/01/2020
7. " दीपक जोशी, सहायक अभियन्ता
8. " गोविन्द कुमार, —"—
9. " बलवीर सिंह राणा, अपर सहायक अभियन्ता 16/01/20
10. " अरुण नेगी, अपर सहायक अभियन्ता
11. " नरेश कुमार उनियाल, राजस्व उपनिरीक्षक तप्पा/क्षेत्र तहसील-धनोल्टी
12. " बलदेव सिंह तोमर, —"— अहिपाणगांव
13. " बालकृष्ण, —"—
14. " रुकम सिंह राणा, सींचपर्यवेक्षक
15. " परमानन्द सकलानी प्रधानाचार्य रा० इ० का० रगड़गांव
16. श्री मती आशा रावत जिला पंचायत सदस्य थौलागिरी
17. प्रभुलाल बहुगुणा पूर्व ब्लाक प्रमुख
18. अखिलेश उनियाल, पूर्व सदस्य जिला पंचायत, टिहरी
19. तीरथ सिंह रावत थौलागिरी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कार्यकारिणी
20. शेर सिंह पंवार पूर्व प्रधान रगड़गाँव शेरसिंह
21. नारायण सिंह कठैत - पूर्व BDC/प्रधान कुड़ियालगांव, श्री तारसिंह चमनाडियाली -चमनाडियाली
22. जयप्रकाश - पलेड Jay Prakash
23. गुलाब रगड़गांव
24. बालकिशन रा० उ० नि० सतगांव

(रविन्द्र जुवांठा)
उपजिलाधिकारी
धनोल्टी

24	विक्रम सिंह	पसनी	विक्रम सिंह
25	दिनेश	धुड़साल गाँव	दिनेश
26	बाबूराम	रंगड़ गाँव	बाबूराम
27	आयुष पंवार	सौंदणा	आयुष पवार
28	गोविन्द सिंह	ग्राम रंगड़ गाँव	गोविन्द सिंह
29	संजय सिंह	गवालीडांडा	संजय सिंह
30	अंकीत सिंह	सौंदणा	अंकीत सिंह
31	विजेन्द्र सिंह	ऐरल गाँव	[signature]
32	चतरसिंह	ग्राम पंचायत पसनी	[signature]
33	हरेन्द्र सिंह	ग्राम - सौंदणा	हरेन्द्र सिंह
34	जयसिंह	—	
35	दिनेश कठैत	धुड़साल गाँव	[signature]
36	पवनसिंह	पसनी	पवनसिंह
37	हरिश्चन्द्र	सेरा	हरिश्चन्द्र
38	सोबन सिंह	ग्राम सेरा	[signature]
39	मोहनसिंह	ग्राम पसनी	मोहनसिंह
40	मोहित सिंह	ग्राम पसनी	मोहित सिंह
41	देवेन्द्र सिंह	रंगड़ गाँव	देवेन्द्र सिंह
42	श्री जगपाल सिंह पंवार	बड़ेथ	जगपाल
43	राकेश	कोठी धुड़साल गाँव	राकेश
44	राजेश	कोठी धुड़साल गाँव	राजेश
45	नारायणसिंह	ग्राम पसनी	नारायणसिंह
46	महेश	ग्राम धुड़साल गाँव	महेश
47	सरूपसिंह	ग्राम कुण्ड	सरूपसिंह
48	विरेन्द्रसिंह पंवार	ग्राम सौदना	विरेन्द्र सिंह
49	सुरतसिंह	ग्राम सेरा	
50	पंचमसिंह	धुड़साल गाँव	पंचम सिंह
51	गजेन्द्र सिंह	पसनी	[signature]
52	सोबन सिंह	पसनी	सोबन सिंह
53	राजेन्द्र सिंह	पसनी	राजेन्द्र सिंह
54	सुरेश सिंह	कुण्ड	

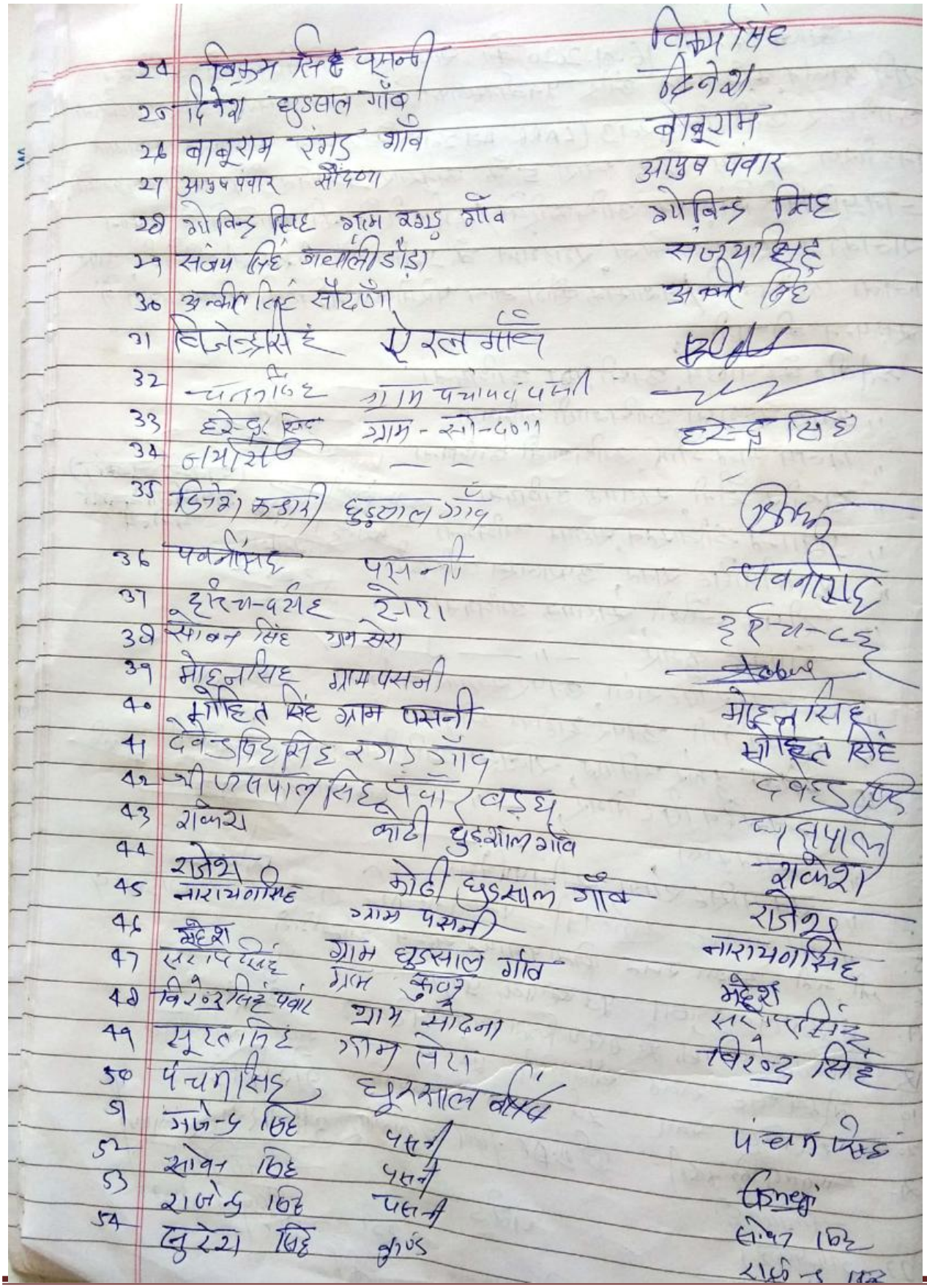

21

Date
Page

55 Ravi Panwar Ragadgaon Ravi Panwar 8449630156
56 Jaswant- Gawarlalanda [illegible] 8859548955
57 महेन्द्र सिंह [illegible] धुरसाल गांव
58 सुरेन्द्र सिंह राणा [illegible] रंगड़ गाँव (554) 9627499002
59 ममता सोन्दणा
60 सुरेन्द्र सिंह नेगी हिलावाली
61 सन्दीप सिंह [illegible] हिलावाली ब्लॉक 6399600459
62 बीना सौन्दणा बीना
63
64 गीता सौन्दणा गीता
65 कयतो श
66 अनिता सौन्दणा
67 शिवानी पंवार सौन्दणा टिहरी गढवाल 9837907955 8279734201
68 मनोज सिंह पंवार सौन्दणा " 7500818923
69 जयसिंह — जयसिंह 9690034866
70 बबीता पंवार सोन्दणा Barita 9536666886
71 कमला देवी सोन्दणा कमला देवी
72 तारा पंवार तारा
73 गीता पंवार रंगड़गाँव गीता 9536523975
74 रेखा तौलियाकाटल रेखा 7351153800
75 पदमा सौन्दणा [illegible] 9568094254
76 प्रेमसिंह कुरमालगांव 9627512198
77 सुनील सिंह सौन्दणा 7351329038
78 बैसाखसिंह सौन्दणा 9639839651
79 Arvind Kandari Lihrshal hona 8006139671
80 सोबन सिंह ग्राम सेरा रंगड़ गाँव [illegible]
81 खेमराज " कोटी धुरसाल 8965767067
82 महिपाल सिंह पूर्व प्रधान रगड़गांव महिपाल 9720660586
83 जयपाल पूर्व प्रधान धुरसाल गांव 9758633767
84 ज्ञानसिंह " " ज्ञान
85 सुरेश सिंह रंगड़ गाँव सुरेश सिंह
86 दिनेशसिंह तौलियाकाटल 8449508488 दिनेश सिंह

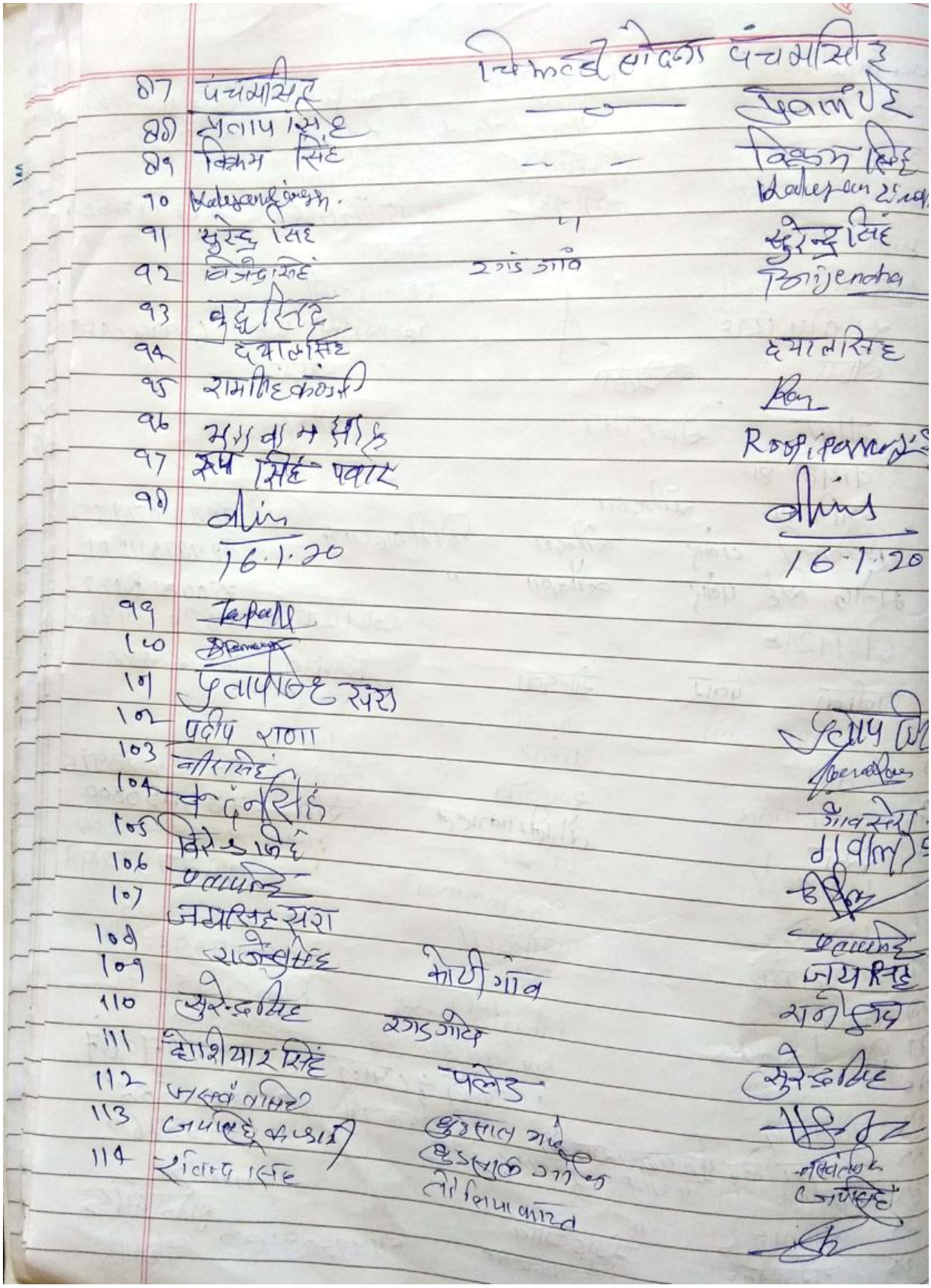

23

115	बैलाक सिंह ग्राम सेरा		बैलाक सिंह
116	बलवीर सिंह कठैत (प्रधानपति) धुड़साल गाँव		B.S. Kait
117	मनजीत " "	"	[illegible]
118	सोबन सिंह कोठारी ग्राम कुण्ड [illegible]	9759557096	[illegible]
119	रविन्द्र सिंह पंवार ग्राम सोदणा	7533882299	[illegible]
120	आनन्दीलाल नेगी पाली	7895021174	[illegible]
121	मनजीत कठैत कौंधे धुड़साल	9675235285	[illegible]
122	भीम सिंह कठैत धुड़साल गाँव	9761210357	Bheemsingh
123	बचन सिंह पंवार सोदणा	9690199093	बचन सिंह
124	दिगम्बर सिंह तौलिया काटल	9756928892	Digam
125	कुलदीप सिंह रंगड़ गाँव	9639373845	[illegible]
126	हरी सिंह धुड़साल गाँव	9761384524	हरी सिंह
127	मालचन्द नेगी सचिव पर्यवेक्षक	9411512367	[illegible]
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	विजेन्द्र सिंह कठैत — " —	9557360979	[illegible]
130	सूरत सिंह नेगी	9690209097	[illegible]
131	कलम सिंह रावत	9012163895	[illegible]

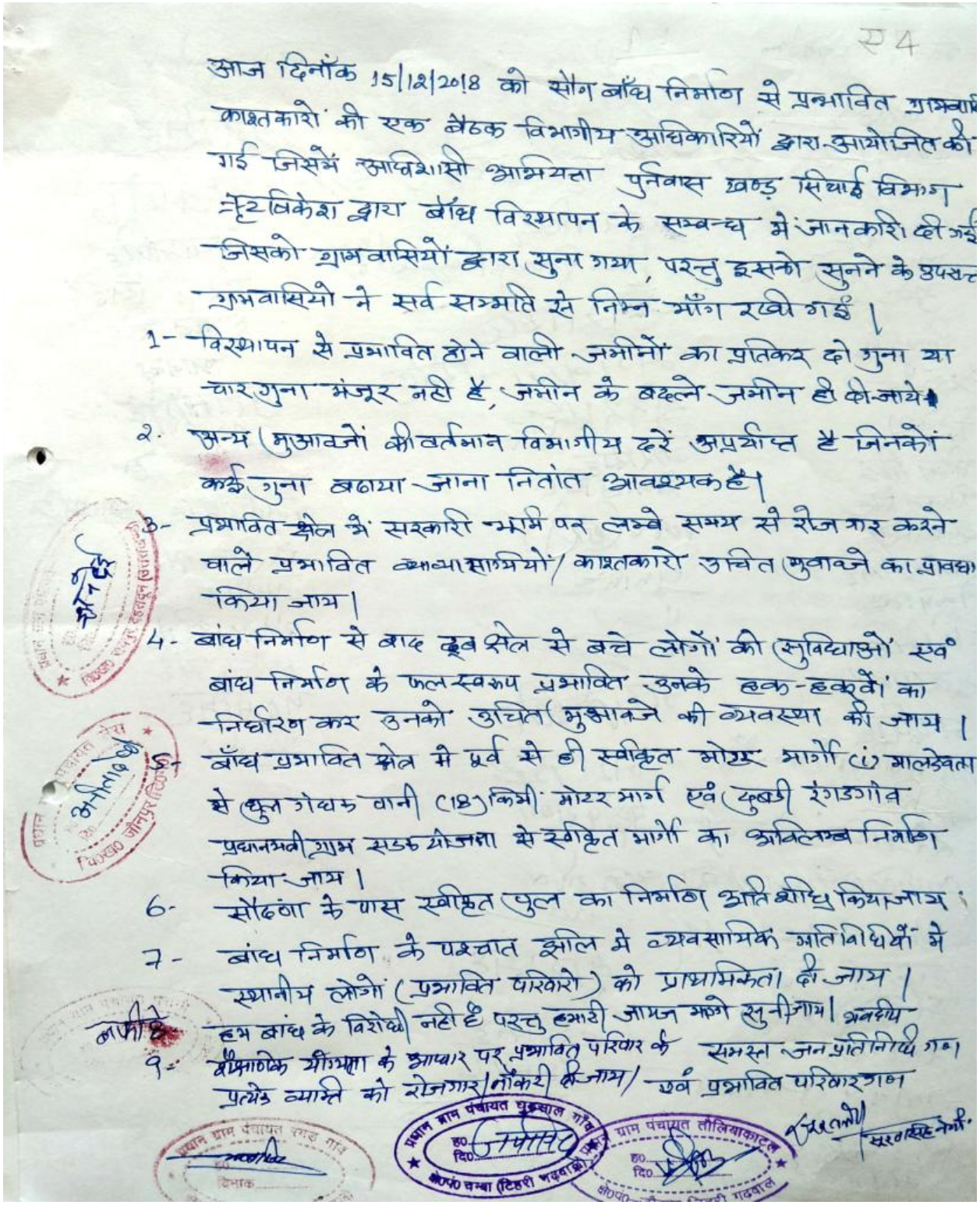

ए4

आज दिनांक 15/12/2018 को सौंग बाँध निर्माण से प्रभावित ग्रामवासी काश्तकारों की एक बैठक विभागीय अधिकारियों द्वारा आयोजित की गई जिसमें अधिशासी अभियन्ता पुनर्वास खण्ड सिंचाई विभाग ऋषिकेश द्वारा बाँध विस्थापन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई जिसको ग्रामवासियों द्वारा सुना गया, परन्तु इसको सुनने के उपरान्त ग्रामवासियों ने सर्व सम्मति से निम्न माँग रखी गई।

1- विस्थापन से प्रभावित होने वाली जमीनों का प्रतिकर दो गुना या चार गुना मंजूर नहीं है, जमीन के बदले जमीन ही दी जाये।

2. अन्य मुआवजों की वर्तमान विभागीय दरें अपर्याप्त हैं जिनको कई गुना बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है।

3- प्रभावित क्षेत्र में सरकारी भूमि पर लम्बे समय से रोजगार करने वाले प्रभावित व्यावसायियों / काश्तकारों उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाय।

4- बांध निर्माण से बाद डूब क्षेत्र से बचे लोगों की सुविधाओं एवं बांध निर्माण के फलस्वरूप प्रभावित उनके हक-हकूकों का निर्धारण कर उनको उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाय।

5- बाँध प्रभावित क्षेत्र में पूर्व से ही स्वीकृत मोटर मार्गों (i) मालदेवता से कुमाल्डा गौरव धानी (18) किमी मोटर मार्ग एवं कुखी रंगड़गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत मार्गों का अविलम्ब निर्माण किया जाय।

6- सौंदणा के पास स्वीकृत पुल का निर्माण अति शीघ्र किया जाय।

7- बांध निर्माण के पश्चात झील में व्यवसायिक गतिविधियों में स्थानीय लोगों (प्रभावित परिवारों) को प्राथमिकता दी जाय।

हम बांध के विरोधी नहीं हैं परन्तु हमारी आवाज मांगें सुनी जाय। शैक्षिक

9- शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार / नौकरी दी जाय।

एवं प्रभावित परिवारगण

समस्त जनप्रतिनिधि गण।

प्रधान ग्राम पंचायत रगड़ गांव

प्रधान ग्राम पंचायत धुमाल गांव, ब्लॉक थत्यूड़/चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

प्रधान ग्राम पंचायत तौलियाकाटल, ब्लॉक जौनपुर टिहरी गढ़वाल

सूरतसिंह नेगी

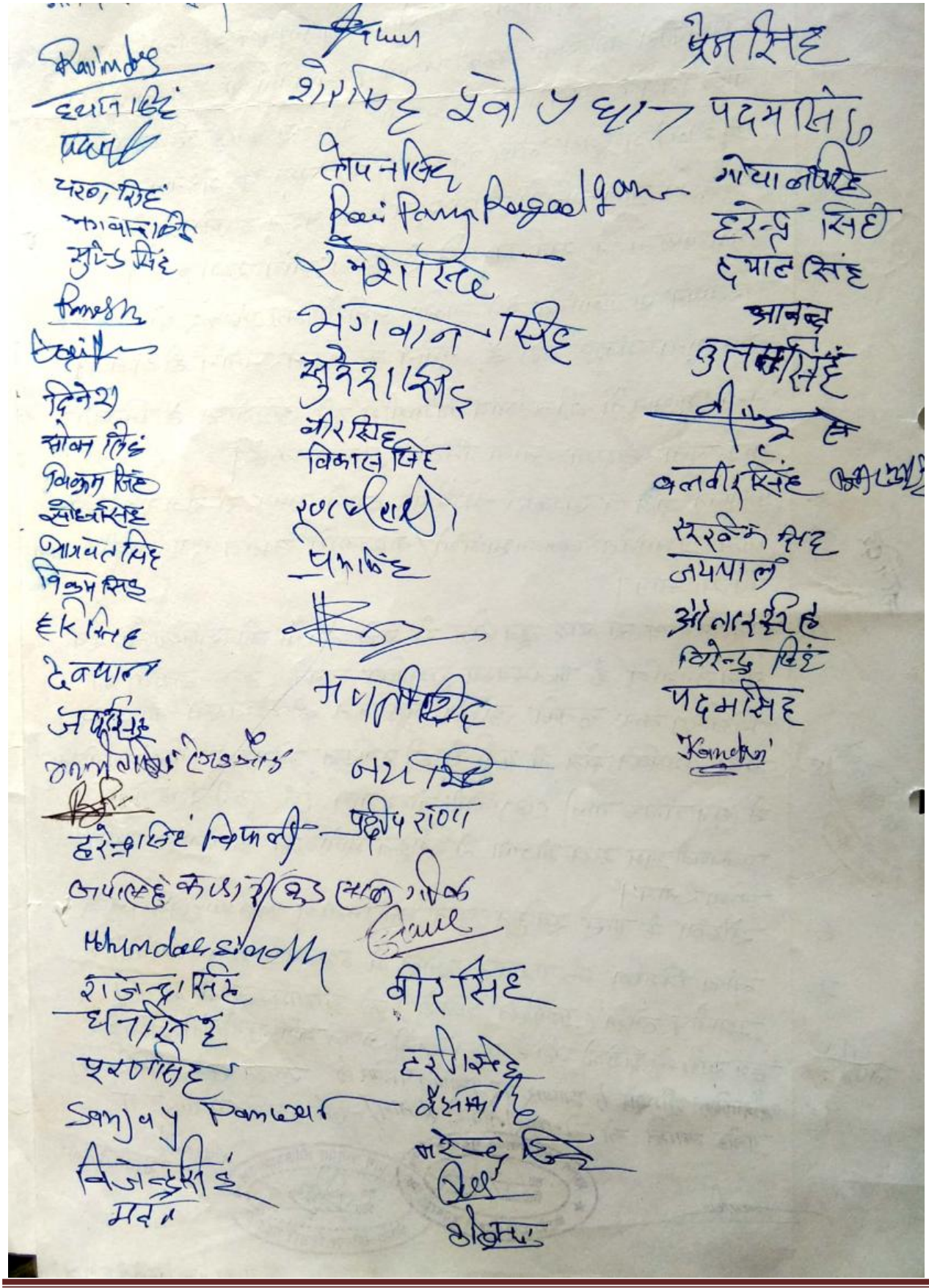

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड,

ऋषिकेश।

विषयः–सौंग बांध पेयजल योजना से सम्बन्धित।

सन्दर्भ–सार्वजनिक सूचना दिनांकित–10–12–2018

महोदय,

सन्दर्भित सार्वजनिक सूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें। सम्बन्धित ग्रामीण प्रश्नगत विषय पर एकमत होते हुए निम्न तथ्यों के साथ प्रस्ताव करते हैं कि :–

1. प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित गांव के भूमि गाटा संख्याओं की जानकारी उपलब्ध कराया जाना।
2. प्रभावित गांव के आवागमन हेतु वैक्लपिक व्यवस्था का प्रारूप।
3. प्रस्तावित मुआवजे का आधार।
4. प्रभावित ग्रामवासियों के पुर्नवास के वैक्लपिक व्यवस्था की परियोजना/प्रारूप।
5. स्थानीय रोजगार सम्बन्धित प्रस्ताव को उपलब्ध कराना।
6. डूबक्षेत्र में सम्भावित स्लाईडिंग जोन की भूमि का आंकलन तथा उसके पुर्नस्थापना की व्यवस्था।

दिनांक–15–12–2018

समस्त ग्रामवासी

घुड़साल गांव

जिला टिहरी गढ़वाल,

उत्तराखण्ड।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
जनपद टिहरी गढवाल,
नई टिहरी।

विषयः– ग्राम सोंदणा टिहरी गढवाल में "सौंग बांध परियोजना" से प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको ज्ञात ही होगा कि उत्तराखण्ड प्रशासन द्वारा प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने मौखिक रूप से अवगत कराया है कि बांध निर्माण से हमारा गांव सोंदणा विस्थापित होगा जिससें ग्रामवासियों में अनेक तरह की भ्रान्तियां व शंका व्याप्त है अतः स्थानीय निवासी बांध से प्रभावित होने के कारण स्थानीय निवासियों का अग्रिम भविष्य क्या होगा। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि यहां समस्त स्थानीय निवासी, कृषि कार्य/मजदूरी एवं पशुपालन पर निर्भर है, अगर प्रशासन द्वारा ग्राम सोंदणा टिहरी को विस्थापित किया जाता है तो हमारे (ग्रामवासियों) जीवन यापन एवं रोजी रोटी के क्या साधन होंगे। विस्थापन की स्थिति में हमारी मांगे एवं शर्तें निम्नवत होंगीः–

1. सर्वप्रथम विस्थापित किये जाने पर सिंचित उपजाऊ भूमि के बदले में सिंचिंत कृषि योग्य उपजाऊ भूमि ही मिलनी चाहिए।
2. प्रत्येक प्रभावी परिवारों को मकान के बदले मकान और गौशालाओं के बदले गौशालाएं ही मिलनी चाहिए।
3. सभी विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के प्रत्येक सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाये।
4. वर्तमान गांव में स्थानीय परिवार, पशु आहार के लिए आस–पास के जंगलों में चारे एवं घास की व्यवस्था है। विस्थापन की स्थिति में हमारें

मवेशियों/पशुओं के पालन हेतू अलग से चारा एवं घास फूस की ही भूमि प्रदान की जाये।

5. वर्तमान में हमारे पौराणिक पनचक्की (घराट) की व्यवस्था है जो कि हमारे परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। विस्थापन की स्थिति में हमें पनचक्की के बदले पनचक्की या लघु उद्योग की व्यवस्था की जाये।
6. बांध बनते समय या बनने के बाद जो भी रोजगार उपलब्ध होगा उसमें समस्त स्थानीय एवं प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाये।
7. वर्तमान मे हमारे आवासीय क्षेत्र/गांव नजदीक भरपूर सम्पदा होने से ग्रामीणो को इसी वातावरण में जीवन यापन करने की आदत है विस्थापन की स्थिति में ग्रामीण को प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर स्थान पर विस्थापित किया जायेगा।

महोदय हम ग्रामीणों का अपने गांव क्षेत्र से भौतिक ही नही, अपितु भावात्मक लगाव भी है। हमारे बीच कई ऐसे बुजुर्ग व महिलायें है जिन्होने घाटी के बहार दुनिया ही नही देखी है उनकी सम्पूर्ण दुनिया इसी घाटी में बसी है वर्षों संघर्ष के पश्चात् उन्होनें इस घाटी में मूल भूत सुविधाएं जुटायी है व अपने बच्चों के भावी भविष्य के लिए सपने संजोय है। विस्थापन की स्थिति में उनके साथ ही वर्तमान व भविष्य की पीढी के सपने भी टूट जायेंगे। यदि हमारा विसथापन हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं के विपरीत संस्कृति के लोगों के बीच हुआ तो तब भी जीवन यापन करना सरल न होगा। वर्तमान में हमारे क्षेत्रवासियों को ओ0बी0सी0 का लाभ मिल रहा है ऐसा न हो कि भविष्य में हमें सरकारी व्यवस्था के अनुरूप मिल रहे लाभों से वंचित रहना पड़े। इसी तरह की अनेकानेक शंकाएं हम ग्रामीणों के दिल दिमाग में है।

अतः निवेदन है कि उक्त शंकाओं के निदान हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर पहल करना सुनिश्चित करे, उसके उपरान्त ही बांध निर्माण कार्य प्रारम्भ करे ऐसा न होने की स्थिति में हमारे द्वारा उक्त योजना का विरोध किया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन/प्रशासन की होगी। आशा है कि जन भावना के अनुरूप कार्यवाही कर कृत कार्यवाही हमें अवगत करायें व प्रभावित परिवारो को पूर्ण रूप से विस्थापित होने के पश्चात् ही बांध का निर्माण कार्य किया जाये।

आशा है कि आप प्रभावित परिवारों का भविष्य ध्यान में रखते हुए उचित कार्य करेंगे।

दिनांक- 31-07-15 सादर!

भवदीय

समस्त बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामवासी

ए7

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
जनपद टिहरी गढवाल,
नई टिहरी।

विषयः– सौंग बांध परियोजना से विस्थापित परिवारो की कब्जा कास्त भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम सोंदणा तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढवाल में जो सौंग बांध परियोजना का कार्य चल रहा है इसमें राजस्व ग्राम सोंदणा टिहरी को सिंचाई विभाग की सूचना के आधार पर विस्थापित किया जायेगा। हमारी मुख्य समस्या यह है कि हमारे राजस्व गांव सोंदणा टिहरी के प्रत्येक परिवार की कुछ कृषि योग्य भूमि कई पीढियों से कब्जे कास्त में है जो पैमाईश न होने के कारण स्थानीय परिवारों के नाम दर्ज नही हुई है, जिसको हमारे पूर्वजो ने कड़ी मेहनत करके कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है, जिसमें हम कई वर्षों से व्यवसायिक खेती करके अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे है।

महोदय जी से निवेदन है कि इस कृषि योग्य भूमि के सम्बन्धित परिवारों के नाम पर दर्ज की जाये या इसके स्थान पर पट्टे आंवटित किये जाये, जो कि इस कृषि योग्य भूमि में कई वर्षों से व्यवसायिक खेती कर रहे है। विस्थापन की स्थिति में अगर हमे दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है तो इस कब्जा कास्त भूमि के स्थान पर हमें कृषि योग्य भूमि आंवटित की जाये क्योकि यह भूमि हमारे या समस्त प्रभावित परिवारों की मुख्य आय का स्रोत है इस भूमि के स्थान पर हमें विस्थापित स्थान में कृषि योग्य भूमि या मुआवजा दिया जाये। अगर प्रशासन इस प्रक्रिया को गैर कानूनी मानता है तो उदाहरण के रूप में हमारे पड़ोसी जिला

देहरादून में हजारों ऐसे परिवार है जो बहारी राज्यों से कुछ ही वर्षों से आये हुए थे अब वहां के प्रशासन के द्वारा उनको हजारों पट्टे आंवटित किये जा चुके है, और यह क्रम जारी है। हम आजादी से पूर्व कई पीढियों से कड़ी मेहनत करके और उपजाऊ भूमि बनाकर अपने परिवारों का भरण–पोषण कर रहे है तो हमें इसका लाभ व मुआवजा अवश्य मिलना चाहिए।

अतः हम प्रशासन से आशा करते है कि हमारे परिवार एवं समाज का भला करने की कृपा करे, आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद!

दिनांक– 31-07-19

भवदीय

समस्त बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामवासी

दिनांक 31-7-2019 ए8

सेवा में,

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय
जनपद टिहरी गढ़वाल

विषय- सौंग बांध प्रभावितो काश्तकार / परिवारो मांगों के सम्बन्ध मे;-

महोदय,

आपसे से अनुरोध करना है कि सौंग बांध परियोजना के अन्तर्गत सौंग नदी पर प्रस्तावित है जिससे की हम काश्तकारो की भूमि, आवासीय मकान खेत, खलिहान, गौशाला आदि डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे है। हम प्रभावित काश्तकारो की शर्ते निम्नवत है.

1- सौंग बांध से प्रभावित परिवार व काश्तकारो को भूमि के बदले भूमि एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी जाय,-

2- सौंग बांध से प्रभावित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियो योग्यतानुसार सरकारी सेवा मे सम्मिलित प्रत्येक परिवार से सरकारी सेवा मे वरीयता दी जाय-

3- बांध से प्रभावित रा० इ० कालेज भवन रगड़ गाँव का भवन जल मग्न क्षेत्र मे आ रहा है, रा० इ० कालेज का नव निर्माण भवन ग्राम रगड़ गांव व ग्राम कुंडसाल गांव के अन्तर्गत विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाय.

4- बांध से प्रभावित परिवारो को अन्य बांध परियोजना की तरह वरीयता क्रम मे रखा जाय,

5- सौंग बांध से प्रभावित क्षेत्रीय व स्थानीय लोगो को यातायात की समुचित व्यवस्था प्राथमिकता दी जाय,

6- सौंग बांध से प्रभावित लोगो की रक्षा सुरक्षा नवनिर्माण कार्य के पहले अन्य जानकारीयां, दी जाय,

जगदीश सिंह
राकेश
दिनेश
राजेश
प्रेम सिंह
भगवान सिंह
जसवंत सिंह
सुरवीर

ए9

दिनांक 31-07-2019

र-9

सेवा में,

श्रीमान जिला अधिकारी देहरादून

विषय - सौंग बाँध योजना के विस्थापित की लिस्ट में हैं। पर हम यहाँ से उठना नहीं चाहते हैं।

महोदय जी

निवेदन इस प्रकार से है कि जिस कृषि भूमि पर मैं सन 1970 से काबिज हूँ वह भूमि किसी और के नाम दर्ज है। मैंने इस कृषि भूमि की रजिस्ट्री सन 1990 में अपने नाम दर्ज की थी, लेकिन जिनसे यह जमीन खरीदी उनकी भूमि कहीं और भी थी, लेकिन अज्ञातवश इस भूमि के नम्बर न मिलने के कारण कहीं दूसरी जगह के नम्बर हमें मिल चुके थे, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं हुआ। आज पता चला कि इस भूमि के नम्बर अदल-बदल हो चुके हैं हमें जहाँ के नम्बर मिले हैं आज वहाँ जंगल व झाड़ी हो चुकी है लेकिन जिसने आज यह जमीन जिसमें हम काबिज हैं उसने यह भी ज्ञात नहीं किया कि इस भूमि पर कौन काबिज है यदि विभाग हमें हटाता है तो हम घर से बेघर हो जायेंगे। क्योंकि लाभ उसे मिलेगा जिसके नाम पर यह भूमि दर्ज है हम अत्यन्त गरीब व बी०पी०एल श्रेणी के हैं हमारी रोजी रोटी इसी सिंचित भूमि पर निर्भर है।

अतः महोदय जी हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि विभाग हमें यहाँ से हटाता है तो आप हमारी समस्या को देखते हुए कहीं पर जमीन उपलब्ध कराने का कष्ट करें हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। अन्यथा हम यहाँ से उठने को तैयार नहीं है

धन्यवाद

प्रार्थी

प्रेम सिंह राणा पुत्र स्व० श्री भोपाल सिंह
ग्राम पलेड (सोदना) ग्राम पंचायत लड़वाकोट
पो० औ० हल्द्वाडी जिला - देहरादून
उत्तराखण्ड

प्रेम सिंह

दिनांक 31-07-19

सेवा में,

श्रीमान जिला अधिकारी देहरादून

ए-10

विषय – सौंग बाँध योजना में विस्थापित की लिस्ट में नहीं हैं।

महोदय जी,

आपसे निवेदन इस प्रकार से है कि हम सौंग बाँध योजना में विस्थापित की लिस्ट में नही आये हैं हमें तब पता चला कि हम जिस भूमि पर काबिज हैं वह भूमि हमारे नाम पर नही है हमारे पिताजी वर्षों से इस भूमि पर खेती करते आ रहे थे, पिताजी के देहान्त होने के बाद हम चारों भाई भी इस कृषि भूमि पर खेती करते रहे हैं। लेकिन अभी पता चला हैं कि यह भूमि पर हमारा नाम दर्ज नही हैं किसी से सुना है कि यह भूमि पिताजी को परिवार कल्याण (नस बन्दी) करने पर मिली थी लेकिन यदि हमें इस सिंचित 'व' उपजाऊ भूमि के बदले भूमि न मिली तो हम भूखे मरेगे, क्योंकि आज तक हमारे परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं रहा है। हम अत्यन्त गरीब (बी॰ पी॰ एल॰) परिवार से हैं।

अतः महोदय जी आपसे अनुरोध करते है कि आप भूमि के साथ-साथ सरकारी सेवा का मौका योग्यता के आधार पर दिलवाने का कष्ट करेंगे। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे

धन्यवाद

प्रार्थी

होशियार सिंह पुत्र स्व॰ श्री मोहन सिंह

ग्राम - पलेड सोदना

ग्राम पंचायत लडवाकोट

पो॰ ऑ॰ रन्हाड़ी जिला - देहरादून उत्तराखण्ड

प्रमोद सिंह राणा पुत्र स्व॰ श्री चरण सिंह राणा

ए11

सेवा में,

सींचाई श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
(~~लोक निर्माण~~) विभाग जौनपुर (टि0ग0)

विषयः ग्राम रगड़ गाँव (वि0ख0) जौनपुर टिहरी गढ़वाल में सौंग नदी पर प्रस्तावित बांध के कारण प्रभावित होने के विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अपसे अनुरोध करना है कि उक्त ग्राम रगड़ गाँव में सौंग नदी पर प्रस्तावित बांध निर्माण के कारण ग्राम सभा को जल, जंगल एवं जमीन आदि के नुकसान होने का भारी अन्देशा है जिस कारण गाँव के हक–हकूक खेती आदि प्रभावित हो रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि ग्राम सभा वासियों का जल, जंगल एवं जमीन आदि कास्त हेतु प्रभावित नहीं हो, इस हेतु विभाग से उचित कार्यवाही करने अपेक्षा हेतु निवेदन है।

दिनांकः ~~30–13–2016~~ 31/7/19

प्रार्थी
रूप सिंह
(रूप सिंह पंवार)
ग्राम व पो0– रंगड गाँव
जनपद टिहरी गढ़वाल।
मो0 9419396173

ए12

सेवा में
जिला अधिकारी महोदय जी
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड)

ए-12

विषय - सौंग नदी पर बनने वाले डाम के विरुद्ध !
रंगड़ गांव विस्थापन हेतु।

महोदय
निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा सौंग नदी पर डाम बनाया जा रहा है। जिसके कारण ग्राम रंगड़ गांव अति प्रभावित होगा। अतः क्षेत्रवासीयों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है की पानी का जलभराव कहाँ तक होगा। अतः क्षेत्रवासी इस डाम का विरोध कर रहे हैं। अगर रंगड़ गांव डूबने में या इसके (जलभराव) आस पास आ रहा है, तो इससे पूरी ग्राम सभा रंगड़ गांव सर्वाधिक प्रभावित होगी। जिससे की क्षेत्रवासीयों को कृषि, पशुपालन, आवागमन मोटर मार्ग आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

ग्रामवासीयों की सरकार से निम्न मांगे है-

- क्षेत्रवासीयों
- ग्रामवासी रंगड़गांव को डाम के निर्माण से पहले विस्थापित किया जाये।
- ग्रामवासीयों की जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दिये जाये।
- डाम निर्माण शुरू होने से पहले मोटरमार्ग का निर्माण किया जाये।
- हमें सामाज की भूमि की जगह जमीन दी जाए और परिवार में 1 सदस्य को रोजगार दिया जाए

समस्त प्रभावित क्षेत्रवासी

धन्यवाद

ग्राम सिंह प्रधान रंगड़गांव

Rs Pawar
Babulal
Manoj thapa
Manoj Pawar
Mahesh
विक्रम सिंह
बचन लाल
प्रेमसिंह
बाबूराम
कलम सिंह
मातबर सिंह
अरविन्द सिंह
तारा सिंह
जयपाल सिंह
Ankit Singh
Govind
राजेन्द्र सिंह
ROHIT Singh Panwar
Papendra
विजेन्द्र पवांर
विजयसिंह
प्रेमसिंह
जगदीश
Rajesh
न्याय पंचायत
संगीता
मधुदेवी
Rajani

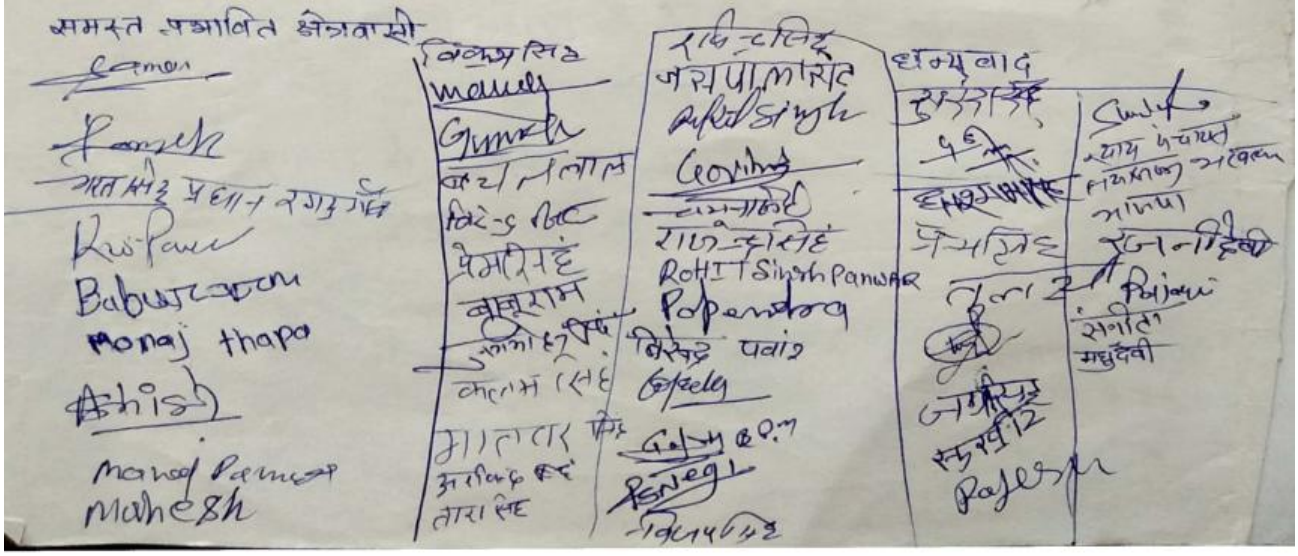

Date- 31.07.2019

में

R-13

श्री मान जिला अधिकारी महोदय नई टिहरी

जिला- टिहरी गढ़वाल

विषय:- ग्राम सौन्दणा में सौंग नदी पर प्रस्तावित पुल के सम्बन्ध में

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि ग्राम सौन्दणा में सौंग नदी पर पुल की मांग गत कई वर्षो से चली आ रही है ..जिसका आंकलन P.W.D थत्यूड़ (जौनपुर) द्वारा 2015 में किया गया था। यह पुल 110 मीटर का स्पान में हो और स्वीकृत हो लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया है, जिससे यहां पर स्कूल के छोटे बच्चे, कृषकों की नगदी फसल प्रसव वाली महिलाऐ जिनको देहरादून हॉस्पिटल में जाना होता है भारी दिक्कते झेलनी पड़ती है,

अतः महोदय जी से निवेदन है कि आप विषय को और यहां की जनता की समस्याओं को मद्य नजर रखते हुए शासन से धन स्वीकृत कराकर सम्बन्धीत विभाग से यह पुल अति शिघ्र बनवाने की महान कृपा करेंगे

भगनी देवी
सदस्य क्षे०प०
बचनसिंह

जिला पंचायत टिहरी

आभारी
निवर्तमान प्रधान
ग्रा०प० सौलियाकाल
विरेन्द्र सिंह

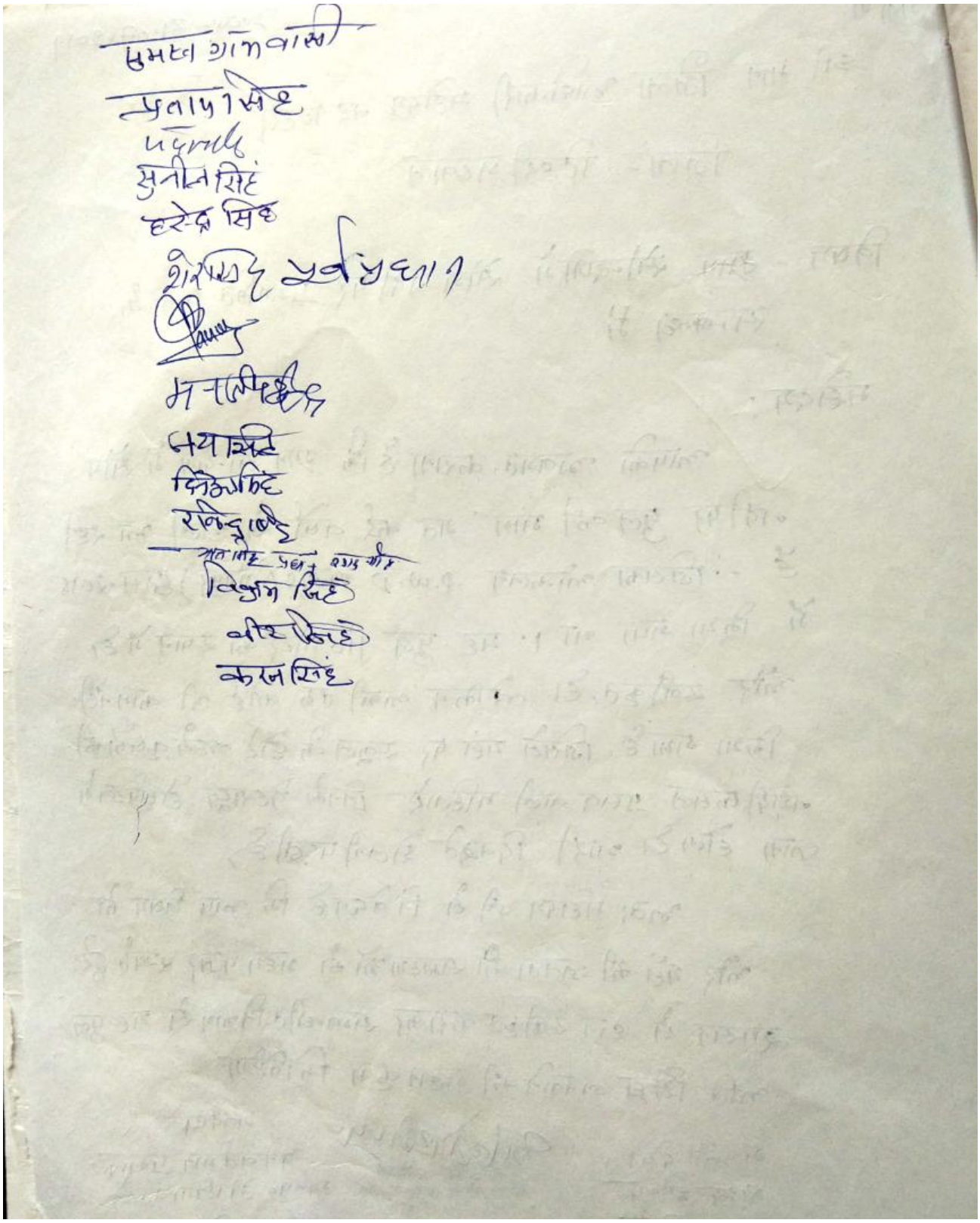

Date- 31.07.2019

सेवा मे

श्री मान जिलाधिकारी महोदय नई टिहरी
जिला - टिहरी गढ़वाल

विषय :- P.M.G.S.Y. सड़क दुबड़ी से रेगड़ गाँव के सम्बन्ध मे

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि दुबड़ी से रेगड़ गाँव मोटर मार्ग स्वीकृत है। और इसकी ठेकेदारी प्रक्रिया भी पुरी हो चुकी है। लेकिन वन विभाग की (N.OC) न मिलने के कारण अभी लम्बीत पडी है। जब की इस सड़क पर पेड भी बहुत कम मात्रा मे है। और इसी के साथ की अन्य सड़को पर कार्य शुरु हो चुका है।

अतः महोदय जी से पुनः निवेदन है कि आप इस विषय पर सग्यान लेते हुए इस क्षेत्र के विकास की किरन देने हेतु उक्त सड़क के निर्माण को अति शीघ्र बनवाने मे कड़ा कदम उठाने की महान कृपा किजिएगा

मंगनी देवी
सदस्य क्षे० पं०
बचन सिंह

[illegible]
([illegible])
सदस्य जिला पंचायत

निवर्तमान प्रधान
ग्रा० पं० तौलियाकाटल
वीरेन्द्र सिंह

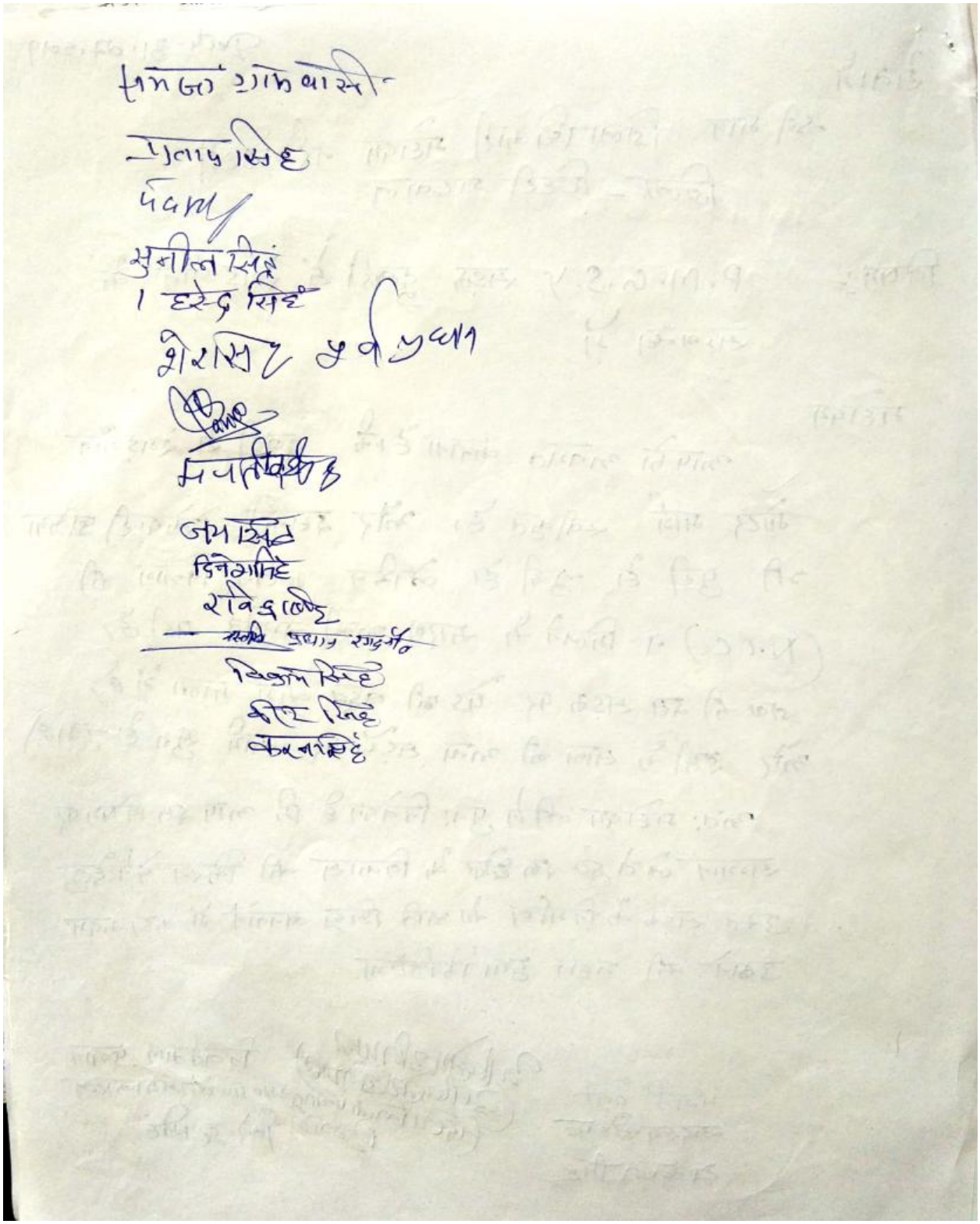

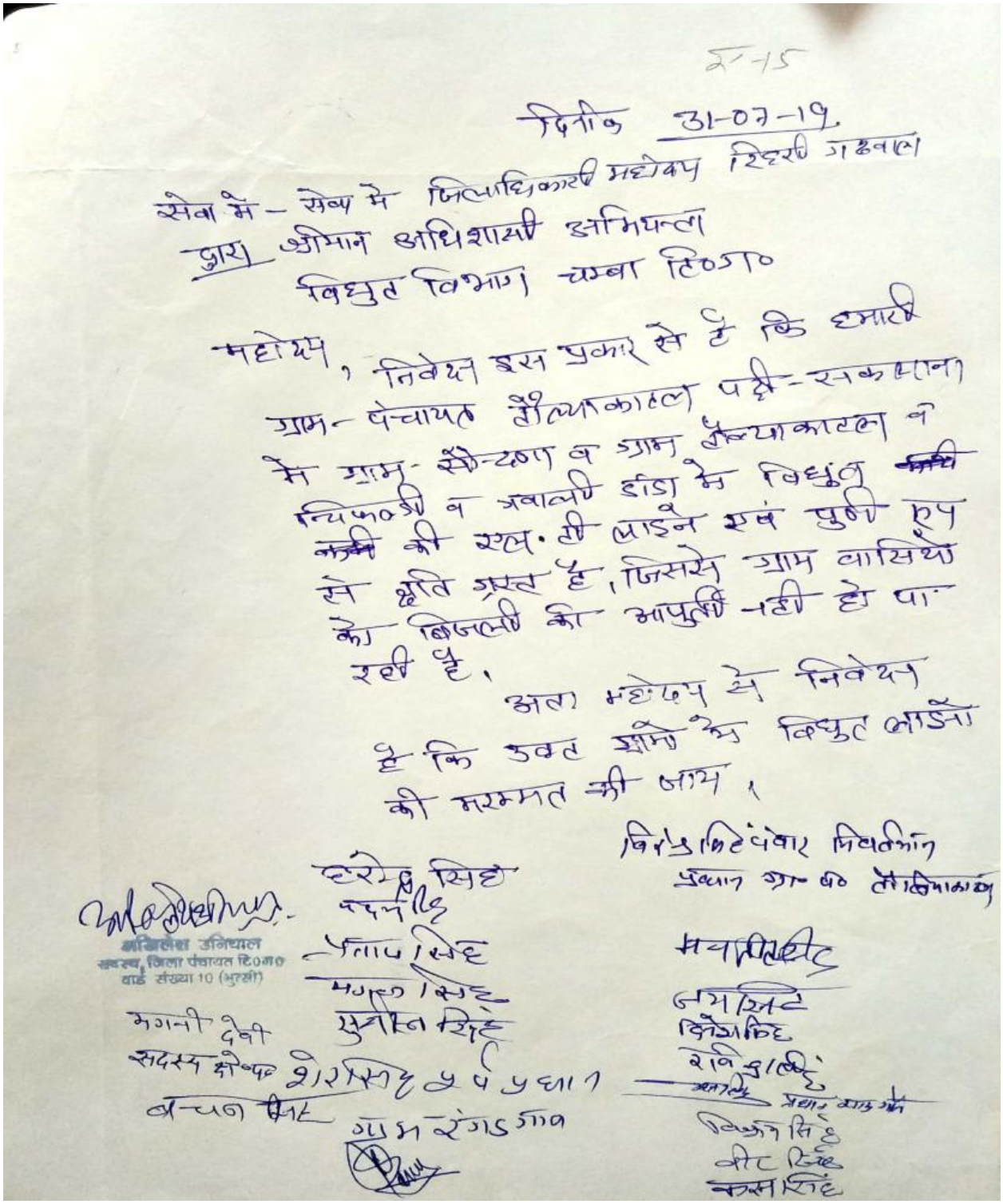

ए-15

दिनांक 31-07-19.

सेवा मे - सेवा मे जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल
द्वारा श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
विद्युत विभाग चम्बा टि०ग०

महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि हमारी ग्राम- पंचायत तौल्याकाटल पट्टी-रमकसाना में ग्राम- सौन्दणा व ग्राम तौल्याकाटल व [illegible] न्यिफाड़ी व नवाली डांडा मे विद्युत [illegible] की एल.टी लाइन एवं पुर्णि रूप से क्षति ग्रस्त है, जिससे ग्राम वासियों को बिजली की आपुर्ति नहीं हो पा रही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त ग्रामो के विद्युत लाइनों की मरम्मत की जाय।

विरेन्द्र सिंह पंवार निर्विरोध
प्रधान ग्रा० पं० तौल्याकाटल

हरेन्द्र सिंह
चन्दन सिंह
प्रताप सिंह
मंगल सिंह
सुनील सिंह
मगनी देवी
सदस्य क्षेत्र पं० शेर सिंह पूर्व प्रधान
ग्राम रंगड़गांव
बचन सिंह

अखिलेश उनियाल
सदस्य, जिला पंचायत टि०ग०
वार्ड संख्या 10 (भुरसी)

मदन सिंह
जय सिंह
किशन सिंह
रवि कुमार
प्रधान ग्राम पं०
विक्रम सिंह
वीर सिंह
करन सिंह

ए16

रजि. UK06008012020003081

ॐ

सौंग बांध प्रभावित एवम विस्थापित विकास समिति

मालदेवता, रायपुर, देहरादून – 248008 (उत्तराखण्ड)

सचिव	अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष
हरेन्द्र सिंह पंवार	**रविन्द्र सिंह कंडारी**	**आनन्द सिंह नेगी**
6395374973	9997118183	7895021174

पत्रांक सैप्रवि/03/20. दिनांक : 15/01/2020

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पूर्नवास खण्ड)
ऋषिकेश, देहरादून।

विषयः **सौंग बॉध पेयजल योजना से प्रभावित एवं विस्थापित क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांगे एवं आवश्यकताऐं।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपसे निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की मांगे विषयवार निम्नलिखित प्रकार से हैः–

1. यातायात –

(अ) वर्तमान में प्रभावित मालदेवता घुत्वूगंधक पानी मोटरमार्ग का विकल्प डैम कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्मित करना।

(ब) दुबडी रगड़गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत मोटरमार्ग का शीघ्र निर्माण।

(स) मालदेवता द्वारा लडवाकोट गन्धक पानी राज्य सकार द्वारा स्वीकृत मोटर मार्ग का शीघ्र निर्माण।

(द) सोन्दणा राजस्व ग्राम से ग्राम पंचायत तौलिया काटल (ग्वालीडांडा) को मोटर मार्ग से जोड़ना।

(य) सम्पर्क मार्गों के अन्तर्गत सौंग नदी में सौदंर्णा गांव, रगड़गांव, सेरा गांव एवं पसनी गांव में पुलों का निर्माण।

(र) ग्राम रंगड़गॉव से कुल्हड व गन्धक पानी से बनाली तक मोटर मार्ग से जोडना

2. पूर्नवास –

(अ) विस्थापित परिवारों को सिचित उपजाऊ भूमि के बदले ग्रामिणों की सहमती के अनुसार भूमि आंवटित की जाये।

(ब) मकान के बदले मकान बनाकर दिया जाय।

(स) गौशाला चरागाह खलिहान एवं जीवन उपयोगी सम्बन्धित (जिस प्रकार वर्तमान में हैं) दिया जाये।

(द) सैकडों वर्षो से बिना नाम वाली कब्जा कास्त भूमि व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बदले भी ग्रामिणों को पट्टे आवंटित किये जाये।

(य) सौंग नदी किनारे प्रभावित शमशान घाटों का उचित जगह पर स्थापित किया जाये।

(र) बॉध के नजदीक स्थित घरों को भी विस्थापित किया जाय

3. रोजगार –

(अ) सभी विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के एक–एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाये।

(ब) सभी प्रभावित उवं विस्थापित क्षेत्रीय ग्रामिणों को बांध निर्माण सम्बन्धित कार्यो में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाये।

(स) बांध निर्माण के पश्चात् झील के आस–पास पर्यटक/पर्यटन सम्बन्धित बाजारों का निर्माण कर स्थानीय क्षेत्रवासियों/दुकानदारों एवं बेरोजगारों समयोजित किया जाये।

(द) सभी विस्थापित एवं प्रभावित डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दुकानदारें एवं अन्य व्यवसायों को दुकान एवं व्यवसाय हेतु भूमि आंवटित की जाये।

4. सरकारी भवन –

(अ) रा0इ0का0 रगडगांव का उचित स्थान पर स्थापना कराना निर्माण कराना।

(ब) पंचायत एवं प्राथमिक/सामुदायिक भवन का उचित निर्माण कराना।

(स) प्रभावित मंदिर/धार्मिक संस्थाएं/पेयजल/बिजली/स्थानीय पनचक्की (घराट) का उचित स्थानों में समायोजित कराना।

(द) बिजली घर एवं दूरसंचार टॉवरों की स्थापना/निर्माण कराना।

(य) बांध निर्माण से प्रभावित ग्राम सभा हिलासवाली को सिंचाई हेतु पानी सुचारू रूप से उपलब्ध कराना एवं ग्राम सभा घुरसालगांव से द्वारा पेयजल लाईनों का समायोजित/निर्माण कराना।

5. वनीकरण एवं चरागाह–

बांध से प्रभावित क्षेत्र की चारागाह एवं वनों का विस्तारीकरण कराना ताकि भविष्य में स्थानीय पशु पालको को अपने जन–धन हेतु घास–पत्ती/ईंधन हेतु लकड़ी के लिए पूर्ववत की भांति उपलब्ध होती रहे।

6. स्वास्थ्य–

प्रभावित क्षेत्र में आजादी के 70 वर्षो के बाद भी दर्जन भर ग्राम पंचायतों के मध्य एक भी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं है जिस कारण ग्रामिणों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। अतः ग्रामिणों की मांग के मध्यनजर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाये।

सौंग बांध प्रभावित एवम् विस्थापित विकास समिति
निवेदक
समस्त प्रभावित/विस्थापित
ग्राम पंचायतें एवं ग्रामिण

ग्राम पंचायत पसनी बमेण्डी (विकासखण्ड चम्बा) टि०ग०

श्री रघुवीर सिंह
प्रधान

निवास : ग्राम पसनी, पट्टी बमुण्ड,
टिहरी गढ़वाल
Mob.: 9759185105, 6397830836

पत्रांक : ....

दिनाँक : 16/01/2020

सेवा में
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुनर्वास)
खण्ड ऋषिकेश - जनपद - देहरादून उत्तराखण्ड

विषय - प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्राम पंचायत पसनी - कुड़सालगांव लड़वाकोट दलेड़ - हल्द्वाड़ी - गन्धकुपानी - शेरा - ग्राम पंचायत कुण्ड धुलु गन्धकुपानी मोटर मार्ग से मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय उपरोक्त वर्णित ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत हल्द्वाड़ी, लड़कोट दलेड़ को छोड़कर सभी पंचायतों का विकासखण्ड तहसील एवं जिला मुख्यालयों का काम सौंग बांध परियोजना से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा। अतः निवेदन है कि मालदेवता धुलु गन्धकुपानी मोटर मार्ग, को मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग से, जोड़ने के लिए सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही करने की महान कृपा करेंगे, जिससे सभी ग्राम पंचायतें अपने जिला मुख्यालय के कार्य. करने. में इस मार्ग, का बनाना विशेष महत्वपूर्ण रहेगा।

भवदीय

धन्यवाद।

समस्त क्षेत्रवासी, सौंग बांध प्रभावित।

ग्राम पंचायत कुण्ड सकलाना

विकास खण्ड जौनपुर जिला– टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

श्री बिरेन्द्र सिंह कोठारी
(ग्राम प्रधान)

निवासः–
ग्राम–कुण्ड पो. रगड़गांव
पट्टी–सकलाना
जिला– टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मोः–8859810548,8126084718

पत्रांक .... ग्रा॰प्र॰ .... दिनांक 16-01-2020

सेवामे
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड ऋषिकेश
जनपद- देहरादून उत्तराखण्ड

विषय- प्रस्तावित सौंग बाँध पेयजल परियोजना से अप्रत्यक्ष रूप प्रभावित ग्राम पंचायत कुण्ड सकलाना को दुवडी रगडगॉव मोटर मार्ग से जोड़ने विषयक प्रार्थना पत्र महोदय की सेवा मे।

महोदय उपरोक्त विषय सादर अवगत कराना है कि PMGSY के अन्तर्गत निम्न 2 सड़के वर्तमान मे स्वीकृत / कार्यरत है।
(1). दुवडी से रगड गॉव मोटर मार्ग (2) मरोडा बनाली मोटर मार्ग से कुण्ड सकलाना

इन निम्न दोनो स्वीकृत सड़को को आपस मे मिलाने से यह मार्ग चम्बा मसूरी कद्दूखाल से रायपुर देहरादून के लिए बन सकता है। निम्न स्वीकृत मार्गो के बीच मे 3 से 4 गॉव पड़ते है। रगडगॉव से कुण्ड सकलाना के बीच की दूरी लगभग 8 KM है।

महोदय स्वीकृत मोटर मार्ग दुवडी से रगड़गॉव से आगे 8 KM मोटर मार्ग कुण्ड सकलाना तक सम्बन्धित विभाग से बनवाने की कृपा करेंगे।

॥ सादर प्रणाम ॥

भवदीय
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रगड़ गांव — ह॰ गीता — दिनांक — वि॰ख॰ ...
प्रधान ग्राम पंचायत तौलियाकाटल — ह॰ रेखा — दि॰ — वि॰ख॰ जौनपुर टिहरी गढ़वाल
प्रधान ग्राम पंचायत ... — ह॰ — दि॰ 16/01/2020 — वि॰ख॰ जौनपुर (टि॰ग॰)
प्रधान ग्राम पंचायत ... — ह॰ — दि॰ — ... टिहरी गढ़वाल
प्रधान ग्राम पंचायत कुण्ड (सकलाना) — ह॰ — दि॰ 16/01/2020 — वि॰ख॰ जौनपुर (टि॰ग॰)

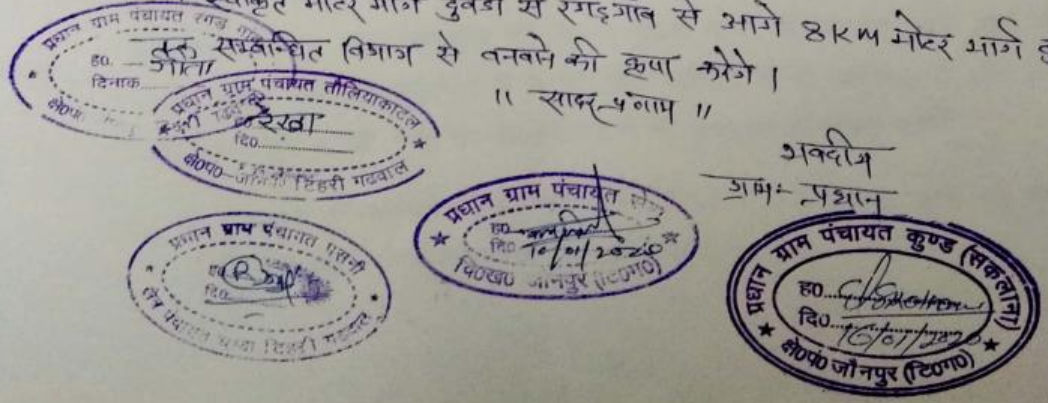

ए19

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एक भारत, श्रेष्ठ भारत
नशा मुक्त भारत

ग्राम पंचायत तौलिया काटल

विकास खण्ड जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

श्रीमती रेखा देवी
(ग्राम प्रधान)

निवास :
ग्राम-तौलिया काटल
पो०ओ० रंगड गांव, पट्टी - सकलाना
जिला - टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मो०. 9756928892, 7351153800

पत्रांक......मे. भो.   दिनांक..16..1..2020

सेवा में,

अधिशासी अभियंता
अवस्थापना (पुनर्वास खण्ड)
देहरादून।

विषय–ग्राम सौंदना सौंग बांध परियोजना से विस्थापित एंव प्रभावित ग्राम वासियों की तरफ से मांग पत्र।

महोदय,

जैसे आप (अधिशासी अभियंता) सिचांई विभाग द्वारा बार–बार अवगत कराया जा रहा है कि सौंग बांध परियोजना का कार्य अति शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा जिस कारण राजस्व ग्राम सौंदना विस्थापन की स्थिति में है और इस सम्बन्ध में राजस्व गांव ग्राम सौंदना, ग्राम पंचायत तौलिया काटल की तरफ से सम्बन्धित विभाग एवं मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल को अनेको बार प्रस्ताव एवं मांग पत्र सौंप चुके हैं। हम राजस्व ग्राम सौंदना के लोग सम्बन्धित विभाग और प्रशासन को अपनी मुख्य मांगों से अवगत करा चुके हैं। हमारी मुख्य मांगे जो पूर्वकाल में मे थी और वर्तमान में भी यथावत हैं और यदि कोई मांग पूरी न की गयी तो वह भविष्य में भी यथावत निम्नवत रहेंगी–

1. सर्वप्रथम विस्थापित किये जाने पर सिंचित एंव उपजाऊ भूमि के बदले सिंचित कृषि योग्य उपजाऊ भूमि ही मिलनी चाहिये।

1

2. प्रत्येक विस्थापित व प्रभावित परिवारों को मकान के बदले मकान या उचित मुआवजा, शौचालय के बदले शौचालय व गौशालाओं के बदले गौशालायें मिलनी चाहिये।

3. सभी विस्थापित एंव प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाये।

4. कब्जा कास्त वाली भूमि के बदले में हमें कृषि भूमि प्रदान की जाये या पट्टे आवंटित किये जायें।

5. वर्तमान गांव में स्थानीय परिवार पशु आहार के लिये आसपास के जंगलों में चारे एवं घास की व्यवस्था है। विस्थापन की स्थिति में हमारे पशुओं को पालने हेतु अलग से चारा एवं चारागाह प्रदान किया जाये।

6. वर्तमान में हमारे पौराणिक पनचक्की (घ्राट) की व्यवस्था है जो कि हमारे परिवारों की आय का मुख्य स्रोत है। विस्थापन की स्थिति में हमे पनचक्की के बदले पनचक्की या लघु उद्योग की व्यवस्था की जाये।

7. बांध बनाते समय या बनने के बाद जो भी रोजगार उपलब्ध होगा उसमें समस्त स्थानीय एवं प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाये।

8. वर्तमान में हमारे आवासीय क्षेत्र/गांव नजदीक भरपूर प्राकृतिक सम्पदा होने से ग्रामीणों को इसी वातावरण में जीवन यापन करने की आदत है। विस्थापन की स्थिति में ग्रामीणों को भरपूर प्राकृतिक सम्पदा वाले स्थान पर विस्थापित किया जाये।

9. ग्राम सौंदना में सौंग नदी पर पुल निर्माण की मांग प्रभावित एवं ग्राम वासियों के लिये प्रस्ताव।

10. ग्राम सौंदना से प्राथमिक विद्यालय गवाली डांडा तक मोटर मार्ग के निर्माण की मांग।

11. विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों को जीवन यापन के लिये बांध की नजदीक दो –दो दुकाने रोजगार हेतु आवंटित की जायें।

12.अखाड़ी भिलंग से सौंदना ग्राम तक वैकल्पिक मोटर मार्ग की व्यवस्था की जाये।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि हम ग्राम वासियों को अपने गांव क्षेत्र से भौतिक ही नही अपितु भावात्मक लगाव भी है। हमारे बीच कई ऐसे बुजुर्ग व महिलायें है जिन्होने घाटी के बाहर दुनिया ही नहीं देखी है उनका सम्पूर्ण जीवन इसी घाटी में बीत गया। वर्षो संघर्ष के पश्चात् उन्होने घाटी में मूलभूत सुविधायें जुटायी हैं और अपने बच्चों के भावी भविष्य के लिये सपने संजोये है। विस्थापन की स्थिति में उनके साथ ही वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी के सपने भी टूट जायेंगे यदि हमारा विस्थापन हमारी संस्कृति एवं परम्पराओं के विपरीत सस्कृति के लोगों के बीच हुआ तो इनके लिये जीवन यापन करना सरल न होगा। वर्तमान में हमारे क्षेत्रवासियों को ओ0बी0सी0 का लाभ भी मिल रहा है। ऐसा न हो कि भविष्य में हमें सरकारी व्यवस्था के अनुरूप मिल रहे लाभों से वंचित रहना पड़े। देहरादून जनपद में हजारो परिवार ऐसे हैं जो वाहय राज्यों से कुछ वर्ष पूर्व आये थे और प्रशासन द्वारा उन्हें हजारों पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं और यह कम जारी है परन्तु हम आजादी से पूर्व कई पीढ़ियों से कड़ी मेहनत करके और उपजाऊ भूमि बनाकर अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ व मुआवजा अवश्य मिलना चाहिये।

अतः शासन एवं प्रशासन से आशा करते हैं कि हमारे परिवार एवं समाज का भला करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रधान ग्राम पंचायत तौलियाकाटल
रेखा
16-1-2020
भवदीय,
वि0खं0-जौनपुर टिहरी गढ़वाल

श्रीमती रेखा देवी
ग्राम प्रधान, तौलियाकाटल

3

नाम	ह०
दिगम्बर	Digamber
विरेन्द्र सिंह	[illegible]
हरेन्द्र सिंह	हरेन्द्र सिंह
कल्याण सिंह	Kalyan Singh
जसवंत सिंह	[illegible]
प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
जय सिंह	जय सिंह
रविन्द्र सिंह	[illegible]
सुनील सिंह	सुनील सिंह
बैसाख सिंह	बैसाख सिंह
रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह
सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
बिक्रम सिंह	बिक्रम सिंह
दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
दयाल सिंह	दयाल सिंह
अंकित सिंह	
पंचम सिंह	पंचम सिंह
हरेन्द्र सिंह	हरेन्द्र
दीपक सिंह	दीपक सिंह
मनोज सिंह	[illegible]
सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
मनजीत सिंह	[illegible]
बिक्रम सिंह	बिक्रम सिंह
बबीता पंवार	Babita
कमला देवी	कमला
अनिता देवी	अनिता
सीमान्ती पंवार	[illegible]
दीपक सिंह पंवार	[illegible]
गीता देवी	गीता
बीना पंवार	बीना
आयुष पंवार	आयुष पंवार

ग्राम पंचायत लड़वाकोट

मो0 9105790616
6395393277

विकास- खण्ड रायपुर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

श्रीमती शिवानी
(ग्राम प्रधान)

निवासः
ग्राम लड़वाकोट,
पो0 ओ0- हल्द्वाड़ी
जिला - देहरादून

पत्रांक मैमो/20 दिनांक 16-01-2020

सेवामें,
अधिशासी अभियन्ता महोदय
अवस्थापना (पुर्नवास) खण्ड
ऋषिकेश (देहरादून)

विषय:- सौंग बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं क्षेत्रवासियों के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि सौंग बाँध परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत लड़वाकोट के अन्तर्गत तोक सोड़ा में जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उन परिवारों को जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान एवं रोजगार दिया जाए। परियोजना से प्रभावित क्षेत्रवासियों के अरखड़वानी मिलांग से तोक लड़वाकोट गन्धक पानी तक शीघ्र- अतिशीघ्र सड़क निर्माण किया जाए।

अतः महोदय अनुरोध है कि सौंग बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं क्षेत्रवासियों को उनकी मांग के अनुसार सड़क, एवं रोजगार आदि सुविधायें दी जाए।

भवदीय

प्रतिलिपि- प्रशासक/अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

प्रधान, ग्राम पंचायत लड़वाकोट
हस्ताक्षर शिवानी
दिनांक 16-01-2020
विकास खण्ड रायपुर देहरादून

ग्राम पंचायत लड़वाकोट

विकास- खण्ड रायपुर, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

मों0 9105790616
6395393277

श्रीमती शिवानी
(ग्राम प्रधान)

निवासः
ग्राम लड़वाकोट,
पो0 ओ0- हल्द्वाड़ी
जिला - देहरादून

पत्रांक 5 मै0/2020   दिनांक 16-01-2020

सेवामें,
प्रशासक / अपर जिलाधिकारी
सौंग बान्ध परियोजना (दि0 उ0)

विषयः- सौंग बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं क्षेत्रवासियों के सम्बन्ध में।

महोदय, निवेदन है कि सौंग बाँध परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत - लड़वाकोट के अर्न्तगत ल्वेड, सोढ़ना में जो परिवार सौंग बाँध परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं उन परिवारों को जमीन के बदले जमीन एवं मकान के बदले मकान दिया जाए। क्षेत्रवासियों को सड़क अखड़वानी मिलन से ल्वेड, लड़वाकोट, गन्धकपानी तक सड़क निर्माण शीघ्र - अतिशीघ्र किया जाए।

अतः महोदय अनुरोध है कि सौंग बाँध से प्रभावित परिवारों एवं क्षेत्रवासियों को उनकी माँग के अनुसार, सड़क, रोजगार आदि सुविधायें दी जाए।

भवदीया

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना / पुर्नवास खण्ड
ऋषिकेश।

प्रधान, ग्राम पंचायत लड़वाकोट
हस्ताक्षर शिवानी
दिनांक 16-01-2020
विकास खण्ड रायपुर, देहरादून

ए22

पत्रांक सं:........ दिनांक: 16/Jan/2020

ग्राम पंचायत - अरखण्डवाली भिलंग
विख - रामपुर
जिला - देहरादून (उत्तराखण्ड)

सेवा में,

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई विभाग (सौंग नदी बाँध
परियोजना
देहरादून

विषय: ग्राम सभा अरखण्डवाली भिलंग में समस्त पेयजल लाइन एवं विद्युत लाइन एवं सिंचाई हेतु यथास्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय, विनम्र भावना से आपको अवगत कराना है कि अपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराना है,

1. ग्राम सभा अरखण्डवाली भिलंग की समस्त पेयजल लाइनें भविष्य में परियोजना से प्रभावित न हों,
2. अरखण्डवाली भिलंग के मजरा हिलांसवाली की विद्युत सेवा यथावत रहे,
3. सिंचाई हेतु समस्त हिलांसवाली सौंग नदी पर ही निर्भर है, इसको यथावत रहना सुनिश्चित करें,
4. सड़क मार्ग यथावत रहना सुनिश्चित करें,
5. इसके अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि कृपया स्थानीय बेरोजगारों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए,

पूर्वप्रधान विरेन्द्रसिंह
वीरसिंह
मदनसिंह
विक्रमसिंह
रतनदास
रणवीरसिंह

यशोदा रैठवान
प्रधान
ग्राम पंचायत - अरखण्डवाली भिलंग
मो: 9410707184

ए23

अनिल सिंह ऐरला
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सेरा

एक भारत श्रेष्ठ भारत
नशा मुक्त भारत

निवास–
ग्राम सेरा (ऐरल गांव) पो.ओ. रंगड़ गांव
वि.ख. जौनपुर (टिहरी गढ़वाल)
दूरभाष– 9675157158, 8630757640

पत्रांक:...मै...मौ...

दिनांक: 16/01/2020

सेवा मे,

श्रीमान अधिकक्षण अभियंता सिचांई कार्य मंडल पुर्नवास
सौंग बांध 26 ई० सी० रोड (देहरादून)
सौंग बांध परियोजना (उत्तराखण्ड)

विषय – रायपुर – कुमाल्डा - कद्दूखाल - रंगड़ गांव (P.M.G.S.Y) के अंर्तगत रंगड़ गांव से आगे ऐरल गांव तक जोड़ने अथवा सेरा मे पुल निर्माण हेतू

महोदय जी,

उक्त विषय आपको अवगत कराना है कि उक्त (P.M.G.S.Y) प्रस्तावित सड़क रायपुर- कुमाल्डा कद्दूखाल - रंगड़ गांव 15 Km. प्रस्तावित है। जिसके आगे ऐरल गांव 5 Km. लगभग है! महोदय जी से निवेदन है कि ऐरल गांव, बडद, सेरा, पसनी एव कुण्ड सकलाना को विकाश कि मुख्य धारा से जोड़ा जाए जिसके बाद समस्त क्षेत्रवासीयो को स्वास्थ सेवाओ से शिक्षा एंव रोजगार से वंचित ना रहना पड़े।

साथ ही आपको ये भी अवगत करवाना है कि ग्राम पंचायत सेरा मे एक पुल कि अति आवश्यकता है जो कि सौंग नदी पर पड़ता है। कई सालो से पुल न होने पर स्थानीय लोगो को बरसात मे बड़ी समस्याओ का सामना करना पड़ता है जिसमे हमेशा जान-माल का खतरा बना रहता है। कई लम्बे अरसे के चलते हमारी मांग रहती है किन्तु हमे हमेशा निराशा हि हाथ लगी है।

महोदय से कर बद्ध निवेदन है कि हमारी मांगो पर विचार कर शीघ्र अति शिघ्र कार्यवाही करने कि कृपा करे।)

धन्यवाद

अनिल सिंह ऐरला
प्रधान ग्राम पंचायत
(सेरा)

[Stamps and signatures dated 16/01/2020: प्रधान ग्राम पंचायत ... विकासखण्ड जौनपुर (टिहरी); प्रधान ग्राम पंचायत ... टिहरी; ग्राम पंचायत तौलियाकाटल; प्रधान ग्राम पंचायत सेरा, विकासखण्ड जौनपुर (टि०ग०)]

दिनांक -25/2/2019

सेवामें, श्रीमान अधिशासी अभियन्ता
पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश।

ए-25

विषय - सौंग बाँध योजना में विस्थापित की लिस्ट में नाम छूट जाने के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार से है कि जहाँ पर सौंग बाँध बन रहा है वहाँ पर हमारी कृषि भूमि एवं पक्का छत वाला कमरा बना है। हमारा नाम विस्थापित की लिस्ट में नहीं आया है, तब हमें पता चला कि यह कृषि भूमि हमारे नाम पर नहीं है। यह कृषि भूमि सिंचित एवं उपजाऊ है। इस समय हमने गेहूँ 'व' प्याज की फसल लगा रखी है। हमने पिताजी से सुना था कि सरकार ने यह कृषि भूमि नसबन्दी (परिवार नियोजन) करने पर मिली थी हमारे पिताजी ने यहाँ पर खेती की है। उनके देहान्त के बाद हम भी यहाँ पर खेती कर रहे हैं। लेकिन आज हमार पास इस कृषि भूमि के कोई भी कागजात हमारे पास नहीं है। यह कृषि भूमि सिंचित एवं उपजाऊ है और जो भूमि हमारे पास और है वह असिंचित है। बारिश न होने के कारण कुछ भी नहीं होता है हमारी रोजी रोटी इस सिंचित भूमि पर निर्भर है। हम यहाँ के मूल निवासी है हिन्दू राजपूत परिवार से है। आज तक हमारे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं रहा है। इसलिए आज हम बी०पी०एल० 'एवं' अन्त्योदय की ही श्रेणी में अपना जीवन यापन कर रहे है। यदि हमें सिंचित भूमि न मिली तो हम लोग भूखे मर जायेंगे। हमें आशा है कि आप हमें सिंचित भूमि के साथ-साथ योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा का मौका देंगे।

अतः महोदयजी हम आपसे निवेदन करते है कि आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुँचाएगें जिससे सरकार हमारे साथ न्याय कर सके। हम आपके एवं सरकार के सदैव आभारी रहेंगें। धन्यवाद।

D.R.O

प्रार्थीगण

1- बीर सिंह पुत्र स्व०श्री मोहन सिंह — बीरसिंह
2- शूरबीर सिंह पुत्र स्व०श्री मोहन सिंह — शूरवीर सिंह
3- होशियार सिंह पुत्र स्व०श्री मोहन सिंह
4- हंस देई धर्मपत्नी स्व०श्री चरण सिंह
5- प्रमोद सिंह पुत्र स्व० श्री चरण सिंह — प्रमोद सिंह
6- गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व०श्री चरण सिंह — गजेन्द्र सिंह

ग्राम पलेड (सोदना) ग्राम पंचायत लड़वाकोट दे०दून उत्तराखण्ड।

प्रधान ग्राम पंचायत तौलिया काटल (सकलाना)

विकास खण्ड जौनपुर (थत्युड़) टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

2-26

विरेन्द्र सिंह
प्रधान

निवास : ग्राम-तौलिया काटल,
पो0ओ0-रंगड़ गाँव,
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मो0 : 8938049670

पत्रांक ......मे0 नो...... दिनांक 30-01-2019

सेवा मे,
श्रीमान माननीय विधायक श्री प्रीतम सिहं जी पंवार
विधानं सभा क्षेत्र धनोल्टी टिहरी गढ़वाल

विषय: सौंग नदी पर ग्राम सौदना मे पुल निर्माण
व सौंग बांध परियोजना के सम्बन्ध मे,

महोदय,
1. निवेदन है कि ग्राम सौदणा मे सौंग नदी पर प्रास्तावित पुल का निर्माण कार्य बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाये जिसकी मांग गत कई वर्षो से की जा रही है।
2. सौंग बाध परियोजना कार्य चल रहा है उससे प्रभावित समस्त क्षेत्रवासियो की मूलभूत सुख सुविधाओ को मध्यनजर रखते हुए समस्त प्रभावित क्षेत्र के हित मे, आप उक्त क्षेत्रवासियो का सहयोग करने की कृपा कीजियेगा।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत तौलियाकाटल, ह0 दि0, वि0ख0-जौनपुर टिहरी गढ़वाल)

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून।

ए26

विषयः– सौंग बांध प्रभावितों के पुनर्वास सम्बन्धित।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्राथमिकता से सौंग बांध परियोजना निर्माण अग्रसारित है। इस परियोजना से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी ऐसी अपेक्षा के साथ इस पक्ष पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि परियोजना की जद में जन सामान्य के घर तथा बहुउपयोगी भूमि आयेगी, जिससे दूरगामी लाभ के साथ हानि होनी भी अवश्यम्भावी है। हानि की क्षतिपूर्ति व क्षेत्रीय हितों में यह आवश्यक है कि क्षेत्र में आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली तथा जीविकोपार्जन हेतु प्रभावी उपाय किये जावें। यद्यपि वर्तमान में भी लोग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आवागमन व जन सुविधाओं के अभाव में पल–बढ़ रहे हैं फिर भी विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा यह क्षेत्र कई वर्षों से अलग–थलग व उपेक्षित रहा है। बांध बनने के पश्चात यहां के निवासियों को समुचित जीवन यापन की व्यवस्था राज्य सरकार की नीति में प्रथम प्राथमिकता में होना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में सभी प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की निम्नलिखित मांगे सरकार के समक्ष रख कर यथोचित कार्यवाही की अपेक्षा रखते हैं।

1. बांध निर्माण के समय प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को उनके योग्यतानुसार जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध कराना।
2. प्रभावित क्षेत्र का पुनर्वास (Rehabilitation) के लिये भूमि का आवंटन जिला देहरादून के आस–पास करना। (गूलर घाटी के पास घोड़ा फैक्ट्री जो कालान्तर से बंद है की भूमि का आवंटन)
3. भूमि के बदले भूमि का आवंटन तथा मकान के बदले मकान।
4. प्रभावित क्षेत्र के परिवार में से एक या उससे अधिक योग्य व्यक्तियों को सरकारी सेवा में सम्मिलित करना।
5. बांध बनने तथा इसके पश्चात् भू–स्खलन (Sliding Zone) क्षेत्र से प्रभावित गांवों व घरों को चिन्हित कर समुचित पुनर्वास (Rehablitation) की व्यवस्था करना आदि।
6. इस क्षेत्र को शहर तक आने–जाने की सड़क व्यवस्था सर्वप्रथम होना जिससे क्षेत्र के लोग शहर से सम्पर्क रख सकें तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जन उपयोगी वस्तुओं का उपयोग कर सकें और अपनी फसल को समय पर बाजार तक ला सकें।

दिनांक

भवदीय
ग्रामसभा–घुडसालगांव,
तहसील–धनोल्टी,
विकासखण्ड–चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

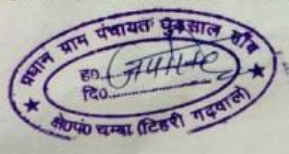

ए27

ग्राम पंचायत घुडसालगांव

विकास खण्ड–चम्बा जिला– टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जय सिंह कण्डारी
(ग्राम प्रधान)
मो:– 9758633762

निवास:–
ग्राम–घुडसालगांव
पो. रंगड़गांव विकास खण्ड–चम्बा
तहसील–धनोल्टी
जिला–टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

पत्रांक............................ दिनांक............................

सेवामे

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता सिंचाई
कार्यमण्डल बांध पुर्नवास 26. ई०सी० रोड
देहरादून - उत्तराखण्ड

विषय- ग्राम पंचायत घुडसाल वि०खण्ड चम्बा तहसील धनोल्टी. जनपद टिहरी गढ़वाल टि० ग० के अन्तर्गत सौंग नदी पर सौंग बाँध नव निर्माण सरकार द्वारा सन्दर्भ मे प्रस्तावित प्रस्ताव. ग्रामपंचायत द्वारा ! -

महोदय: समस्त ग्राम वासियो द्वारा अनुरोध किया जा रहा है, शासन प्रशासन से मांग की जा रही है, बाँध निर्माण से प्रभावित, ग्राम वासियों को, व भविष्य मे आने वाली परेशानी से निम्न शर्तो को मध्य नजर रखते हुए मुख्य मांग को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए जो कि निम्न प्रकार से है।

1. - प्रभावित परिवारो के प्रति व्यक्ति को सरकारि नौकरी मे प्राथमिकता
2. - ग्राम पंचायत को भविष्य मे सुरक्षा निर्माण कार्य पहले,
3. . गाँ० की यातायात की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाय,
4. - स्वास्थ सम्बन्धी स्वास्थ केन्द्र खोला जाय,
5. ग्राम पंचायत को ओ० बी० सी० दर्जा दिया जाय,
6. जो सुविधा टिहरी बाँध मे दी गई सौंग बाँध मे लागू की जाय,
7. . ग्राम पंचायत मे नवोदय विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाय,
8. बालिका/किशोरी को भविष्य मे सरकार द्वारा सुख सुविधा प्रदान की जाय,
9. . भूमि के बदले भूमि व विभिन्न स्वयं के रोजगार करने के प्राथमिकता दी
10. गाँव प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी मे प्राथमिकता दी जाय,

प्रधान ग्राम पंचायत घुडसालगांव
ह० जयसिंह
दि०
वि०ख० चम्बा टिहरी गढ़वाल

ए28

सेवामें

श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
उत्तराखण्ड सरकार दे. दून

विषय- ग्राम पंचायत घुड़साल गाँव तहसील धनोल्टी जिला टि०ग०
के अन्तर्गत ओ० बी० सी० से वंचित के सन्दर्भ में -

महोदय जी

निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत घुड़साल गाँव तहसील धनोल्टी जिला टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अति पिछड़ा एवं बैकवर्ड एवं सौंग नदी पर डैम बनने पर यह गाँव पूरा प्रभावित होगा सरकार द्वारा इस गाँव को ओ० बी० सी० से वंचित किया गया है जबकि हमारे पड़ोसी (पास के गाँव) रगड़ गाँव, सेरल गाँव, तोलिया काटल, सेरा, कुठड़, बडेथ, दुवड़ा, भरवा काटल, च्यूलागीरि, आनन्द चौक सभी गाँवों को ओ० बी० सी० के दायरे में लिया गया है

अतः सभी ग्रामवासीयों का सरकार (शासन) से माँग करते है कि इस गाँव को भी ओ० बी० सी० के दायरे के अन्तर्गत लिया जाय, क्योंकि भविष्य में यहाँ पर इस गाँव के अन्तर्गत नदी में सरकार की बाँध परियोजना का कार्य निर्माण चल रहा है जिसके कारण यह गाँव डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहा है जिससे भविष्य में यहाँ पर बेरोजगारी एवं रोजगार सम्बन्धी समस्याओं का समाधान हो सके।

प्रार्थी समस्त ग्राम वासी
घुड़साल गाँव

प्रधान ग्राम पंचायत घुड़साल गाँव
ह०
दि०
पो० चम्बा (टिहरी गढ़वाल)

30

ग्राम पंचायत घुडसालगांव

विकास खण्ड–चम्बा जिला– टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जय सिंह कण्डारी
(ग्राम प्रधान)
मो:– 9758633762

निवास:–
ग्राम–घुडसालगांव
पो. रंगड़गांव विकास खण्ड–चम्बा
तहसील–धनोल्टी
जिला–टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

पत्रांक.............................

दिनांक...1...2...19......

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत घुडसाल गाँव के अन्तर्गत मौजा कोठी घुडसाल गाँव में तोक ~~ओडार~~ चरक ओडार नामे तोक में सौंग नदी के किनारे स्थिति कृषि भूमि कुछ ग्रामीण किसानों लोगों के पास सन 1984 से काश्तकारी खेती पर फसल धान, गेहूं, मडुवा आदि प्रकार की फसल की जुताई करते थे और कृषि सिंचित भूमि के कमी के कारण गरीब लोग अपने परिवार के पालन पोषण अपना जीवन यापन करते थे जो कि सन 1984 में ग्राम प्रधान श्री राम किशोर जी द्वारा ग्राम समाज की भूमि ग्रामीण लोगों को भूमि के कमी एवं बेरोजगारी के होने के कारण उन्हें खेरे पट्टे में आवंटन की गयी थी जो कि 20 बीघा है जो कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा सौंग नदी पर डैम निर्माण कार्य के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आ रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि इन ग्रामीण गरीब किसानों को इस भूमि का निरीक्षण करके भूमि का मुवावजा बदले में भूमि सिंचित भूमि की व्यवस्था की जाय क्योंकि भूमि के कमी के कारण लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं

प्रार्थी ग्रामीण गरीब किसान

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत घुडसाल, वि०ख० चम्बा (टिहरी गढ़वाल), ह०, दि० 1–2–19)

बादर सिंह s/o सुखराम सिंह
श्याम सिंह s/o थापा सिंह
रतन सिंह s/o थापा सिंह
जयसिंह s/o बादर सिंह
दिलीप सिंह s/o आनन्द सिंह
जयसिंह s/o ... सिंह

ए30

ग्राम पंचायत घुड़साल गांव

विकास खण्ड – चम्बा जिला– टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जय सिंह कण्डारी
(ग्राम प्रधान)
मो: 9758633762

ग्राम पंचायत-घुड़साल गांव
पो. ओ. रंगड़गांव
विकास -खण्ड- चम्बा
तहसील-धनोल्टी
जिला- टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सेवा में,

क्रमांक .....

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उत्तराखण्ड सरकार।

दिनांक.....

विषय –बनाली से पसनी, बमेण्डी, हल्दाड़ी, सतेली, लडवाकोट, सेरा कुण्ड, रगड़ गाँव से घुड़साल गाँव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में,

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बनाली से घुड़साल गाँव तक 10 ग्राम पंचायतें सडक से वंचित है। इस क्षेत्र में ग्रामवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा इन कठिनाइयों को देखकर गाँव के लोग पलायन कर रहे हैं। **इस क्षेत्र में 1957 के समय ग्राम पंचायत बनाली से ग्राम पंचायत घुड़साल गांव तक जंगलात मार्ग का निर्माण किया गया था लेकिन अब यह मार्ग वर्तमान समय में जगह जगह पहाड़ गिरने, मलवा,** मिटटी, पत्थरों से **क्षतिग्रस्त हो गया है।** तथा अब इस मार्ग के बनने से गाँव के किसान अपनी सब्जियाँ, फल व अन्य सामग्री मण्डी तक आसानी से पहुँचा सकेंगे और यह क्षेत्र यातायात से भी जुड़ जायेगा तथा इस क्षेत्र का विकास भी होगा। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पिछले कई वर्षों से गन्धक का पानी भी प्राप्त है जो इस समय क्षेत्र में पर्यटन के रूप में विकसित हो सकता है।

अतः आपसे विनती है कि आप बनाली से घुडसाल गाँव तक प्रधानमंत्री सड़क योजना से इस क्षेत्र को सडक से जोड़ने का प्रयास करेंगे।

धन्यवाद।

सभी सम्मानित ग्राम पंचायतें
बनाली से घुड़साल गांव तक
वि0ख0–चम्बा
तहसील–धनोल्टी
जिला–टिहरी गढ़वाल

ग्राम पंचायत घुडसाल गांव

विकास खण्ड – चम्बा जिला– टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

32

जय सिंह कण्डारी
(ग्राम प्रधान)
मो:-9758633762

ग्राम पंचायत-घुडसाल गांव
पो. ओ. रंगड़गांव
विकास -खण्ड- चम्बा
तहसील-धनोल्टी
जिला- टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

पत्रांक.....

दिनांक.....

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी,
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून।

द्वारा: माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार जी, धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

विषय: टिहरी गढ़वाल के सकलाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घुड़साल गांव व रगड गांव के अन्तर्गत प्रस्तावित सौंग नदी में बांध परियोजना बनने से प्रभावित ग्रामवासियों की समस्या के संबंध में प्रार्थना–पत्र।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि सकलाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घुड़साल गांव व रगड़ गांव के अन्तर्गत सौंग नदी पर बांध बनने जा रहा है जिसके कारण शीघ्र ही ग्रामीणों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में 10 ग्राम पंचायते निवास करती हैं, घुडसाल गांव, रगड़ गांव, सेरा, कुण्ड, पसनी, हल्द्वाडी, लड़वाकोट, प्लेड, तौलियाकाटल, सौंदणा, हिलासवाली आदि गांव है ये सभी ग्राम पंचायते अभी तक ढंग के यातायात से वंचित है, जबकि यहाँ ये क्षेत्र देहरादून के बहुत ही समीप है तथा इस क्षेत्र में हर साल करोड़ों रुपये का खनन भी होता है फिर भी यह क्षेत्र अभी तक विकास से वंचित है और अब दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में सौंग नदी पर बांध बनने जा रहा है जिससे कई लोग बेरोजगार हो जायेंगे और कई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। बांध का कार्य शुरु कर दिया गया है पर अब तक कोई ढंग की यातायात सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी गई है इस बांध को मध्यनज़र रखते हुए ग्रामीणों की कुछ मांगे हैं:–

1. सबसे पहल क्षेत्र में सड़क निर्माण कर गांव को यातायात से जोड़ा जाये।
2. डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को कहाँ और किस प्रकार विस्थापन किया जायेगा।
3. क्षेत्र के सभी ग्रामीणों को रोजगार दिया जाये क्योंकि ग्रामवासियों की खेती डूबने से कई लोग बेरोजगार हो जायेंगे।
4. इन सभी मांगों को सरकार स्पष्ट रुप से क्षेत्रवासियों को अवगत कराये अगर सरकार ग्रामवासियों की मांगे नहीं सुनेगी तो ग्रामवासियों को मज़बूर होकर बांध का कार्य रोकना पड़ेगा और धरना–प्रदर्शन भी करना पड़ेगा।

अतः सरकार को ग्रामीणों ने 10 दिन का समय दिया है इन मांगों पर शीघ्र कार्यवाही हो।

धन्यवाद।